भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
कोलकाता

<u>निविदा आमंत्रित करने की सूचना</u>

(निविदा आईडी: 2026_RBI_296169_1)

(केवल सरकारी ई-मार्केटप्लेस के माध्यम से - केंद्रीय सार्वजनिक खरीद (सीपीपी) पोर्टल)

<u>बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में संबद्ध सिविल कार्यों के साथ-साथ पूर्व और दक्षिण रुख पर पुराने माइल्ड स्टील (एमएस) फिक्स्ड ग्लेज़िंग को तीसरी मंजिल पर नई यूपीवीसी ग्लेज़िंग सह शटर सिस्टम विंडो के साथ बदलना</u>

भारतीय रिज़र्व बैंक, कोलकाता शीर्षक वाले कार्य के लिए दो भागों में सीमित ई-निविदाएं आमंत्रित करता है। कार्य की अनुमानित लागत ₹27,33,422/- है और इसे 75 दिनों के भीतर पूरा किया जाना है।

2. **पात्रता मानदंड:** 25 रुपये (पच्चीस) लाख रुपये से 50 (पचास) लाख रुपये के तहत सिविल कार्य श्रेणी के तहत बोलीदाता आरबीआई कोलकाता के साथ सूचीबद्ध हैं।

3. ई-निविदा की प्रक्रिया आरबीआई की ओर से एक थर्ड पार्टी के रूप में 'सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल' (CPPP) https://etenders.gov.in/eprocure/app द्वारा संचालित की जाएगी। इसलिए, टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक फर्मों को सीपीपी पोर्टल पर पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) कराना होगा। सीपीपीपी पर पंजीकरण और ई-निविदा की प्रक्रिया से जुड़ी विस्तृत जानकारी 'अनुबंध II' में दी गई है। ई-निविदा को ऑनलाइन दो भागों में जमा करना होगा। ई-निविदा के भाग I में प्रस्तावित कार्य के लिए मानक तकनीकी और व्यावसायिक शर्तें होंगी, जबकि भाग II में 'प्राइस बिड' (मूल्य बोली) होगी। निविदा के भाग I के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज और उनके प्रमाण भी अपलोड करने होंगे। यह एक ई-निविदा बोली है, इसलिए निविदा खोलने के समय बोलीदाताओं (बिडर्स) का वहां मौजूद रहना अनिवार्य नहीं है।

4. बैंक, न्यूनतम बोली स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक अपने विवेकाधिकार पर किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, इसके लिए कोई कारण बताए बिना।

5. बैंक परिशिष्ट/शुद्धिपत्र/कार्यवृत्त /पूर्व-बोली बैठक जारी करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसे केवल आरबीआई और सीपीपीपी की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। इस तरह के अपडेट निविदा दस्तावेज का एक अभिन्न अंग होंगे, और व्यक्तिगत बोलीदाताओं को कोई अलग अधिसूचना नहीं भेजी जाएगी। किसी भी संशोधन के लिए इन पोर्टलों की निगरानी करना बोलीदाता की एकमात्र जिम्मेदारी है।

6. निविदा की अनुसूची (एसओटी) अनुलग्नक में दी गई है।

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
पश्चिम बंगाल और अंदमान और निकोबार द्वीप समूह

दिनांक: 29 अक्टूबर, 2026
स्थान: कोलकाता

निविदा (एसओटी) का विवरण इस प्रकार है:

	ई-निविदा सं.	2026_RBI_296169_1
1.	निविदा का तरीका	ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम (ऑनलाइन भाग I - तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग II - सीपीपी पोर्टल के माध्यम से मूल्य बोली https://etenders.gov.in/eprocure/app)
2.	अनुमानित लागत	₹27,33,422/-
3.	कार्य पूरा करने की समय अवधि	75 दिन
4.	बयाना राशि (केवल एनईएफटी/डिमांड ड्राफ्ट/बैंक गारंटी के माध्यम से)	**₹54,668/- (चौवन हजार छह सौ अड़सठ रुपये मात्र)** **ए) एनईएफटी/आरटीजीएस** **बी) डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चेक/बैंक गारंटी:** भारतीय रिज़र्व बैंक के पक्ष में सुपुर्दगी दी जाएगी भारतीय रिज़र्व बैंक, 15, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता - 700 001 में भौतिक प्रपत्र।
5.	सीपीपी पोर्टल/आरबीआई वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए ई-निविदा दस्तावेज की उपलब्धता की तिथि	29 अक्टूबर 2026 शाम 06:00 बजे से
6.	भाग I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) और भाग II (मूल्य बोली) प्रस्तुत करने के लिए ई-निविदा की प्रारंभिक तिथि	4 नवम्बर, 2026 शाम 06:00 बजे से
7.	पूर्व-बोली मीटिंग की तिथि और समय	2 नवम्बर 2026 12: 00 अपराह्न **स्थान**: भारतीय रिज़र्व बैंक, संपदा विभाग, तीसरी मंजिल, 15, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता
8.	आरबीआई की वेबसाइट/सीपीपीपी पर पूर्व-बोली बैठक के कार्यवृत्त प्रकाशित करने की तिथि	4 नवम्बर 2026
9.	ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि और समय	12 नवंबर, 2026 से शाम 03:00 बजे तक (हमारे खाते में परिलक्षित होना चाहिए)
10.	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि और समय	12 नवंबर, 2026 से शाम 03:00 बजे तक
11.	A. भाग I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) के खुलने की तिथि और समय B. भाग II के खुलने की तिथि (मूल्य बोली)	13 नवंबर, 2026 को या उसके बाद दोपहर 03:00 बजे निविदा का भाग II केवल उन बोलीदाताओं के लिए खोला जाएगा जो भाग I प्रस्तुतियों की जांच के बाद पात्र पाए जाते हैं।



भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
कोलकाता

ई-निविदा / बोली के लिए

बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में पूरब और दक्षिण रुख पर पुराने माइल्ड स्टील (MS) फिक्स्ड ग्लेज़िंग को बदलकर तीसरी मंज़िल पर नयी यूपीवीसी (UPVC) ग्लेज़िंग कम शटर सिस्टम विंडो लगाई गई, साथ ही उससे जुड़े सिविल कार्य भी किए गए।

भाग - I

(तकनीकी वाणिज्यिक बोली)

अस्वीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक, संपदा विभाग, कोलकाता ने इच्छुक पक्षों को काम के बारे में पृष्ठभूमि की जानकारी देने के लिए यह दस्तावेज़ तैयार किया है। हालाँकि भारतीय रिज़र्व बैंक ने इसमें दी गई जानकारी को तैयार करते समय पूरी सावधानी बरती है और इसे सही माना है, फिर भी भारतीय रिज़र्व बैंक या इसके किसी भी प्राधिकरण, अधिकारी या कर्मचारी की ओर से इस दस्तावेज़ में दी गई जानकारी (या इसके साथ दी जाने वाली किसी भी अन्य जानकारी) के पूर्ण या सटीक होने की कोई गारंटी नहीं दी जाती है और न ही कोई दावा किया जाता है।

यह जानकारी पूरी या विस्तृत नहीं है। इच्छुक पक्षों को अपनी ओर से भी जांच-पड़ताल करनी होगी। निविदा (निविदा) जमा करते समय, उन्हें लिखित रूप में यह पुष्टि करनी होगी कि उन्होंने ऐसी जांच कर ली है और वे केवल आरबीआई द्वारा दी गई जानकारी पर ही निर्भर नहीं हैं। यह जानकारी इस शर्त पर दी जा रही है कि यह भारतीय रिज़र्व बैंक, इसके किसी प्राधिकरण, एजेंसी, अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं होगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह काम को आगे न बढ़ाए, काम के स्वरूप में बदलाव करे, इस दस्तावेज़ में दी गई समय-सारणी में फेरबदल करे, या अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में बदलाव करे। साथ ही, उसके पास यह अधिकार भी है कि वह रुचि दिखाने वाले किसी भी पक्ष के साथ इस मामले पर आगे चर्चा करने से इनकार कर दे।

रुचि दिखाने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था को उनके द्वारा किए गए खर्च की कोई प्रतिपूर्ति (reimbursement) नहीं दी जाएगी। भविष्य में निविदा (निविदा) से जुड़ा कोई भी संशोधन या सुधार (corrigendum) केवल आरबीआई की वेबसाइट और सीपीपी पोर्टल पर ही जारी किया जाएगा; इसे समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

अनुक्रमणिका

क्रम सं.	विवरण		
1.	खंड I	**निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)**	
2.	खंड II	**निविदा का प्रारूप**	
3.	खंड III	**बोलीदाताओं के लिए सामान्य निर्देश**	
	उपबंध	1.	कार्य का नाम
		2.	कार्य का संक्षिप्त दायरा
		3.	सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल (सीपीपीपी) पर ई-निविदा
		4.	पात्रता मापदंड
		5.	निविदा प्रक्रिया
		6.	बयाना जमाराशि (ईएमडी)
		12.	बोली-पूर्व बैठक
		13.	विचलन
		14.	वैधता
		15.	भाषा
		16.	मूल्य-बोली में दर (भाग II)
		17.	सफल बोलीदाता
		18.	करार की शर्तें
		19.	साइट की स्थिति
		20.	निषेध/अदालती मामला
		21.	भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश
	खंड III (ए)	**मूल्यांकन के मानदंड**	
4.	खंड IV	**संविदा की सामान्य शर्तें**	
	उपबंध	1.	व्याख्या खंड
		2.	संविदा का दायरा
		3.	बदलावों को बैंक से मंज़ूरी लेनी होगी
		4.	चित्र, मात्रा का बिल और करार
		5.	संविदाकर्ता को अपने खर्च पर सभी ज़रूरी चीज़ें मुहैया करानी होंगी
		6.	प्राधिकरण, नोटिस और भुगतान
		7.	काम से बाहर निकलना

क्रम सं.	विवरण		
		8.	विवरण के अनुसार सामग्री और कारीगरी
		9.	काम पर संविदाकर्ता का सुपरिंटेंडेंस और प्रतिनिधि
		10.	कामगारों की बर्खास्तगी
		11.	कार्यों तक पहुंच
		12.	बैंक के प्रतिनिधि
		13.	असाइनमेंट और सब-लेटिंग
		14.	परिवर्तन, जोड़, चूक आदि
		15.	मात्रा का बिल
		16.	मात्रा के बिल की पर्याप्तता
		17.	कार्यों का मापन
		18.	माप पुस्तिका
		19.	अतिरिक्त चीज़ों वगैरह की कीमतों का पता लगाना
		20.	अनिर्धारित सामग्री
		21.	अनुचित कार्य को हटाना
		22.	वर्चुअल पूरा होने के बाद दोष
		23.	आभासी पूर्णता का प्रमाणपत्र
		24.	नामित उप-संविदाकर्ता
		25.	बैंक द्वारा नियोजित अन्य व्यक्ति
		26.	व्यक्ति और संपत्ति को हुए नुकसान के संबंध में बीमा
		27.	प्रारंभ और समापन की तिथि
		28.	परिसमापन हर्जाना
		29.	विलंब और समय विस्तार
		30.	संविदाकर्ता द्वारा बैंक के निर्देशों का पालन न करना
		31.	बैंक द्वारा संविदा की समाप्ति
		32.	संविदाकर्ता द्वारा संविदा की समाप्ति
		33.	प्रमाणपत्र और भुगतान
		34.	विलम्बित भुगतान
		35.	मध्यस्थता द्वारा विवाद का निपटारा
		36.	अंतिम बिल की तकनीकी जांच का अधिकार
		37.	बैंक को कामगारों को दिया गया मुआवज़ा वापस पाने का अधिकार है
		38.	कार्यों का परित्याग
		39.	अधिशेष सामग्री की वापसी

क्रम सं.	विवरण		
		40.	संविदाकर्ता की मौत होने पर संविदा खत्म करने का बैंक का अधिकार
		41.	दुर्घटना रिपोर्ट
		42.	कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम
		43.	अप्रकटन उपबंध
		44.	कार्यक्रम चार्ट/प्रगति रिपोर्ट
		45.	वैधानिक अनुमोदन
		46.	निषेध/अयोग्यता
		47.	पुलिस सत्यापन
5	खंड V	**संविदा की विशेष शर्तें**	
6	खंड VI	**इसके पूर्व संदर्भित परिशिष्ट**	
7	खंड VII	**सुरक्षा कोड**	
		A. सामान्य सुरक्षा	
		B. आग और विद्युत सुरक्षा	
8	खंड VIII	**सामान्य तकनीकी विनिर्देश सिविल**	
~~9.~~	~~खंड IX~~	~~**सामान्य तकनीकी विनिर्देश विद्युत**~~	
10.	खंड X	**बिना कीमत वाला मात्रा का बिल/निविदा के भाग II की छवि**	
	अनुलग्नक		
1.	अनुलग्नक I	प्रस्ताव पर साइन करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी का फॉर्मेट	
2.	अनुलग्नक II	सीपीपीपी पर ई-निविदा की प्रक्रिया	
3.	अनुलग्नक III	बैंकर प्रमाणपत्र/सॉल्वेंसी प्रमाणपत्र का फॉर्मेट	
4.	अनुलग्नक IV	बयाना राशि जमा करने के बदले बैंक गारंटी का प्रोफार्मा	
5.	अनुलग्नक V	करार की शर्तों का प्रारूप	
6.	अनुलग्नक VI	प्रदर्शन बैंक गारंटी / प्रतिधारण धन जमा का प्रोफार्मा	
~~7.~~	~~अनुलग्नक VII~~	~~वॉटरप्रूफिंग के लिए परफॉर्मेंस गारंटी का प्रोफार्मा~~	
8.	अनुलग्नक VIII	भारत के साथ ज़मीनी सीमा शेयर करने वाले देश के बारे में बोली लगाने वाले की तरफ़ से अंडरटेकिंग / घोषणा / सर्टिफ़िकेट का प्रोफ़ॉर्मा	
9.	अनुलग्नक IX	बोली लगाने वाले द्वारा कानूनी कार्रवाई / सिविल मुकदमे / मुकदमेबाजी / मध्यस्थता पर वचन	
10.	अनुलग्नक X	सार्वजनिक संस्थानों द्वारा निषेध की घोषणा	

खंड-I

ई-निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)

बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में ईस्ट और साउथ फेस पर पुराने माइल्ड स्टील (MS) फिक्स्ड ग्लेज़िंग को बदलकर तीसरी मंज़िल पर नई UPVC ग्लेज़िंग कम शटर सिस्टम विंडो लगाई गई, साथ ही उससे जुड़े सिविल काम भी किए गए।

भारतीय रिज़र्व बैंक, कोलकाता ने उपर्युक्त कार्य के लिए दो भागों में सीमित ई-निविदा मंगाये हैं। काम की अनुमानित कीमत ₹27,33,422/- है और इसे 75 दिनों में पूरा करना है।

2. **पात्रता मानदंड:** सिविल कार्य श्रेणी के तहत ₹25 (पच्चीस) लाख से ₹50 (पचास) लाख तक के बोलीदाताओं आरबीआई कोलकाता के साथ एम्पैनल्ड हैं।

3. ई-निविदा की प्रक्रिया आरबीआई की ओर से एक थर्ड पार्टी के रूप में 'सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल' (सीपीपीपी) https://etenders.gov.in/eprocure/app द्वारा संचालित की जाएगी। इसलिए, निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक फर्मों को सीपीपी पोर्टल पर पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) कराना होगा। सूपीपीपी पर पंजीकरण और ई-निविदा की प्रक्रिया से जुड़ी विस्तृत जानकारी 'अनुबंध II' में दी गई है। ई-निविदा को ऑनलाइन दो भागों में जमा करना होगा। ई-निविदा के भाग I में प्रस्तावित कार्य के लिए मानक तकनीकी और व्यावसायिक शर्तें होंगी, जबकि भाग II में 'प्राइस बिड' (मूल्य बोली) होगी। निविदा के भाग I के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज और उनके प्रमाण भी अपलोड करने होंगे। यह एक ई-निविदा बिड है, इसलिए निविदा खोलने के समय बोलीदाताओं (बिडर्स) का वहां मौजूद रहना अनिवार्य नहीं है।

4. बैंक सबसे कम बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूरा या कुछ हिस्सा स्वीकार करने का अधिकार रखता है। बैंक अपनी मर्ज़ी से किसी भी या सभी निविदा को अस्वीकार करने का अधिकार रखता है। बिना कोई कारण बताए।

5. बैंक जारी करने का अधिकार सुरक्षित रखता है परिशिष्ट / शुद्धिपत्र / कार्यवृत्त / बोली-पूर्व बैठक, जो सिर्फ़ आरबीआई और सीपीपीपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएंगे। ऐसे अपडेट निविदा दस्तावेज़ का एक ज़रूरी हिस्सा होंगे, और अलग-अलग बोलीदाताओं को कोई अलग सूचना नहीं भेजी जाएगी। किसी भी बदलाव के लिए इन पोर्टल्स को मॉनिटर करना सिर्फ़ बोलीदाताओं की ज़िम्मेदारी है।

5. निविदा (एसओटी) का शेड्यूल इस तरह है:

	ई-निविदा संख्या	2026_आरबीआई_296169_1

i.	निविदा का तरीका	ई-खरीद प्रणाली (ऑनलाइन भाग I – तकनीकी-व्यावसायिक बोली और भाग II - सीपीपी पोर्टल https://etenders.gov.in/eprocure/app के माध्यम से मूल्य बोली)
ii.	अनुमानित लागत	₹27,33,422/-
iii.	काम पूरा होने की समय अवधि	75 दिन
iv.	बयाना राशि जमा (केवल NEFT/डिमांड ड्राफ्ट/बैंक गारंटी के माध्यम से)	**₹54,668/- (केवल चौवन हजार छह सौ अड़सठ रुपये)** **क) एनईएफटी / आरटीजीएस** **b) डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चेक/बैंक गारंटी:** भारतीय रिज़र्व बैंक के पक्ष में जमा किया जाना है भौतिक रूप भारतीय रिज़र्व बैंक, 15, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता – 700 001।
v.	सीपीपी पोर्टल /आरबीआई वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए ई-निविदा दस्तावेज़ की उपलब्धता की तिथि	29 अक्टूबर, 2026 शाम 06:00 बजे से
vi.	भाग I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) और भाग II (मूल्य बोली) जमा करने के लिए ई-निविदा की आरंभ तिथि	4 नवंबर, 2026 शाम 06:00 बजे से
vii.	बोली-पूर्व बैठक की तिथि और समय	2 नवंबर, 2026 दोपहर 12:00 बजे **स्थान**: भारतीय रिज़र्व बैंक, संपदा विभाग, तीसरी मंज़िल, 15, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता
viii.	आरबीआई वेबसाइट/सीपीपीपी पर बोली-पूर्व बैठक के कार्यवृत्त प्रकाशित करने की तिथि	4 नवंबर, 2026
ix.	ईएमडी जमा करने की आखिरी तिथि और समय	12 नवंबर, 2026 को दोपहर 03:00 बजे तक (हमारे अकाउंट में दिखना चाहिए)
x.	निविदा जमा करने की आखिरी तिथि और समय	12 नवंबर, 2026 को दोपहर 03:00 बजे तक
xi.	a. भाग I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) खुलने की तिथि और समय	दोपहर 03:00 बजे या उसके बाद

	b. भाग II (मूल्य बोली) खुलने की तिथि	निविदा का भाग II सिर्फ़ उन बोलीदाताओं के लिए खोला जाएगा जो भाग I सबमिशन की स्क्रूटनी में एलिजिबल पाए जाएंगे।
xii.	इस निविदा पर किसी भी स्पष्टीकरण/ईएमडी की डिटेल भेजने वगैरह के लिए अधिकारियों के नाम।	नाम: श्री किरण पॉल (सहायक महाप्रबंधक) ईमेल: estatekolkata@rbi.org.in मोबाइल नंबर: 9674033358 नाम: सुश्री अमृता सामल (सहायक महाप्रबंधक) ईमेल: estatekolkata@rbi.org.in मोबाइल नंबर: 8895504207 नाम: सुश्री अंबिका चाकी (प्रबंधक) ईमेल: estatekolkata@rbi.org.in मोबाइल नंबर: 8013275939

तिथि: 29 अक्टूबर, 2026
स्थान: कोलकाता

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

खंड II

निविदा का प्रारूप

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
कोलकाता – 700001

महोदया/प्रिय महोदय,

ज्ञापन में बताए गए कामों से जुड़े स्पेसिफिकेशन्स, डिज़ाइन और मात्राओं के शेड्यूल की जांच करने के बाद, और उस ज्ञापन में बताए गए कामों की साइट पर जाकर जांच करने और निविदा से जुड़ी ज़रूरी जानकारी हासिल करने के बाद, मैं/हम एतद्द्वारा उस ज्ञापन में बताए गए कामों को उस ज्ञापन में बताए गए समय के अंदर, साथ में दिए गए मात्राओं के बिल में बताई गई दरों पर और बोली लगाने वालों के लिए आम निर्देशों, करार के आर्टिकल्स, संविदा की खास शर्तों, इसमें पहले बताए गए संविदा की आम शर्तों, स्पेसिफिकेशन्स, डेटा शीट और मात्राओं के बिल में बताए गए स्पेसिफिकेशन्स, डिज़ाइन, ड्राइंग और लिखित निर्देशों के सभी मामलों में और जहां तक लागू हो, ऐसी शर्तों के अनुसार पूरा करने का ऑफर देता/देते हैं।

ज्ञापन

i.		कार्यों का नाम	**बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में ईस्ट और साउथ फेस पर पुराने माइल्ड स्टील (MS) फिक्स्ड ग्लेज़िंग को बदलकर तीसरी मंज़िल पर नई UPVC ग्लेज़िंग कम शटर सिस्टम विंडो लगाई गई, साथ ही उससे जुड़े सिविल काम भी किए गए।**
ii.		अनुमानित लागत	₹27,33,422/-
iii.		भुगतान की शर्तें	निविदा की खंड V भाग I के खंड 5 के अनुसार
iv.		बयाना राशि	₹54,668/-

v.		प्रदर्शन बैंक गारंटी	निविदा की खंड V भाग I के खंड 2 के अनुसार
vi.		पूरा होने का समय	निविदा की खंड V भाग I के खंड 1 के अनुसार
vii.		हर बिल से काटी जाने वाली रकम	हर ऑन-अकाउंट बिल से @ 5% तब तक वसूला जाएगा जब तक कुल रिकवरी संविदा वैल्यू का 5% न हो जाए, जैसा कि निविदा दस्तावेज़ में बताया गया है या संविदा वैल्यू का @ 5% BG जमा करना होगा।

2. हम इस बात से भी सहमत हैं कि हमारा निविदा, निविदा के भाग I के खुलने की तिथि से **90 दिनों तक बैंक द्वारा स्वीकार किए जाने के लिए वैलिड रहेगा** और इस वैधता अवधि को बैंक और हमारे बीच लिखित में तय समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। हम बयाना **राशि के तौर पर बैंक गारंटी रखने के लिए भी सहमत हैं।** संलग्न प्रोफार्मा **(अनुलग्नक VII)** के अनुसार निविदा की वैधता की पूरी अवधि और विस्तारित अवधि, यदि कोई हो, के दौरान बयाना जमा (ईएमडी)**।**

3. अगर हमारा निविदा स्वीकार कर लिया जाता है; तो हम संविदा की सभी शर्तों को मानने और पूरा करने के लिए सहमत हैं। हमारी तरफ से कोई भी चूक होने पर, हम बैंक के हमारे अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट [ईएमडी] को ज़ब्त करने के अधिकार को मानते हैं और बैंक या उसके उत्तराधिकारियों, या असाइनी या नॉमिनी को, बताई गई शर्तों में बताई गई कोई भी रकम देने के लिए सहमत हैं।

4. अगर हमारा निविदा स्वीकार कर लिया जाता है; तो हम निविदा की सभी शर्तों को मानने और पूरा करने के लिए सहमत हैं। अगर कोई चूक होती है, तो हम बैंक के को ज़ब्त करने के अधिकार को मानते हैं और संविदा की लिखित स्वीकृति के साथ निविदा में बताई गई शर्तों के अनुसार बैंक या उसके उत्तराधिकारियों, या असाइनी या नॉमिनी को पैसे देने के लिए सहमत हैं।

5. हम मानते हैं कि आप बिना कोई कारण बताए, किसी भी या सभी निविदा को, चाहे पूरा या कुछ हिस्सा, स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार रखते हैं। अगर हम संविदा पूरा करने में नाकाम रहते हैं, तो हम सहमत हैं कि जमा की गई ईएमडी भारतीय रिज़र्व बैंक ज़ब्त कर लेगा।

6. हम यह घोषणा करते हैं कि हम निविदा डॉक्यूमेंट्स और काम से जुड़े दूसरे रिकॉर्ड को सीक्रेट/कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स मानेंगे। हम यह वादा करते हैं कि हम कोई भी जानकारी/उससे मिली जानकारी किसी और को नहीं देंगे, सिवाय उस व्यक्ति के जिसे मैं/हम इसे बताने के लिए अधिकृत हैं, और न ही हम जानकारी का ऐसे किसी भी तरह से इस्तेमाल करेंगे जिससे भारतीय रिज़र्व बैंक की सेफ्टी, सिक्योरिटी या हितों को नुकसान हो।

दिनांक 2026 को

के लिए और पर ओर से का मेसर्स

(हस्ताक्षर का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता मुहर के साथ)

नाम _____

पद का नाम _____

जगह _____

तिथि_____ _____

(प्रमाणित मूल कॉपी का बोर्ड रिजोल्यूशन या अधिदेश या शक्ति का प्रतिनिधि का ऊपर हस्ताक्षरकर्ता अधिकृत के रूप में हस्ताक्षरकर्ता होना चाहिए (अनुलग्नक-I प्रारूप के अनुसार संलग्न)

खंड III

बोलीदाताओं के लिए सामान्य निर्देश

यह एक ओपन / सीमित ई-निविदा इंक्वायरी है जो दो हिस्सों में है, यानी भाग I (तकनीकी वाणिज्यिक) । और भाग II (मूल्य बोली)। सिर्फ़ वही बोलीदाता इस निविदा में हिस्सा लेने के लिए एलिजिबल हैं जो निविदा में बताए गए प्री-क्वालिफिकेशन/पात्रता मानदंड के हिसाब से काम के लिए क्वालिफाइड हैं।

1. **काम का नाम** : **बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में ईस्ट और साउथ फेस पर पुराने माइल्ड स्टील (MS) फिक्स्ड ग्लेज़िंग को तीसरी मंज़िल पर नए UPVC ग्लेज़िंग कम शटर सिस्टम विंडो से बदलना, साथ ही उससे जुड़े सिविल काम।**

2. **कार्य का संक्षिप्त दायरा** : कार्य का संक्षिप्त दायरा नीचे दिया गया है:
 तीसरी मंज़िल पर पुराने माइल्ड स्टील (MS) फिक्स्ड ग्लेज़िंग को नई UPVC ग्लेज़िंग कम शटर विंडो से बदलना, साथ ही बैंक के मुख्य कार्यालय भवन में जुड़े हुए सिविल काम।
 हालाँकि, काम का डिटेल्ड स्कोप इस निविदा के **सेक्शन VI में बताया गया है।**

3. **सीपीपीपी पर ई-निविदा** : ई-निविदा का प्रोसेस संविदा II में डिटेल में दिया गया है। फर्मों की डिटेल संविदा III में दिए गए फॉर्मेट में देनी होगी। काम पूरा होने के समय के साथ काम की अनुमानित लागत सेक्शन I में दी गई है।

4. **पात्रता मानदंड** : यह एक सीमित निविदा इन्क्वायरी है। सिर्फ़ वे बोलीदाता/वेंडर जो आरबीआई के साथ नीचे दिए गए ट्रेड - सिविल वर्क्स, कैटेगरी – ₹25 लाख से ₹50 लाख तक के कामों के लिए वेंडर के तौर पर एम्पैनल्ड हैं, जो 2024-27 के अवधि के लिए एम्पैनल्ड वेंडर्स की लिस्ट में हैं, इस निविदा में हिस्सा लेने के लिए एलिजिबल हैं। बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वे हिस्सा लेने से पहले इस निविदा के लिए अपनी पात्रता चेक कर लें।

5. **निविदा प्रोसेस** : **a.** ऊपर दिए गए काम के लिए निविदा **दो हिस्सों में होंगे** , यानी **भाग I** में ऊपर दिए गए निविदा की वाणिज्यिक-टेक्निकल बोली, और नियम और शर्तें (इस हिस्से में आइटम्स के रेट्स और राशि कहीं नहीं दिखेंगे) और **भाग II** में सिर्फ़ रेट्स होंगे, जिन्हें NIT के अनुसार सीपीपी पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

बी। निविदा का भाग I NIT में बताई गई तिथि और समय पर खोला जाएगा।

c. एलिजिबल बोलीदाताओं का भाग II अगली तिथि को खोला जाएगा, जिसकी जानकारी सभी बोलीदाताओं को दी जाएगी। डिटेल इवैल्यूएशन मानदंड **सेक्शन III (A) में दिया गया है।**

नोट: मांगी गई सभी जानकारी/संविदा हर तरह से पूरी होनी चाहिए और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ सीपीपी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। दी गई शीट के अलावा दूसरी शीट पर दी गई जानकारी पर विचार नहीं किया

जाएगा। हालांकि, बोलीदाताओं सिर्फ़ दिए गए इक्विपमेंट के मैन्युफैक्चरर्स के संबंधित कैटलॉग/लीफलेट/ब्रोशर ही अपलोड कर सकते हैं।

6. **बयाना जमा राशि (ईएमडी):** इच्छुक बोलीदाताओं को एनआईटी खंड-I में उल्लिखित राशि का भुगतान एनईएफटी के माध्यम से बैंक को या किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक पर भारतीय रिज़र्व बैंक के पक्ष में *[कोलकाता] में देय डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक के माध्यम से करना होगा। वैकल्पिक रूप से बोलीदाता* संलग्न प्रोफार्मा (अनुलग्नक-VII) में ईएमडी के लिए बराबर राशि के लिए किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से एक अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी / **ईबीजी (इलेक्ट्रॉनिक बीजी) भी प्रस्तुत कर सकता है।** ईएमडी के लिए जमा की गई बैंक गारंटी निविदाओं के जमा करने की अंतिम तिथि से न्यूनतम 90 दिनों (खंड III के खंड 9 में निविदा वैधता अवधि से मेल खाते हुए) तक वैध रहेगी। एनईएफटी / डीडी / बैंक गारंटी विवरण का प्रमाण तकनीकी बोली / भाग I के साथ अपलोड किया जाना चाहिए और एनआईटी में उल्लिखित ईमेल द्वारा भी भेजा जाना चाहिए। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

i. असफल बोलीदाताओं की ईएमडी सफल बोलीदाता को काम देने के बाद वापस कर दी जाएगी। सफल बोलीदाता की ईएमडी सिक्योरिटी डिपॉज़िट के लिए ज़रूरी बैंक गारंटी जमा करने के बाद वापस कर दी जाएगी (सेक्शन V का क्लॉज़ 2 देखें) जो दोष देयता अवधि तक बढ़ाई गई समापन अवधि के लिए है।

ii. **अगर बोली लगाने वाला** :

a. जमा किए गए फॉर्म, स्टेटमेंट और संलग्नमेंट में गुमराह करने वाली या गलत जानकारी दी हो, कोई भी ज़रूरी जानकारी, कोर्ट में पेंडिंग किसी भी कानूनी कार्रवाई की डिटेल्स छिपाई हों, जिससे पात्रता मानदंड पर कोई असर पड़ सकता हो; या

b. बोली वैधता के समय के दौरान अपनी बोली वापस ले लेता है; या संविदा मिलने के बाद संविदा पर साइन नहीं करता है।

c. किसी सरकारी एजेंसी ने ब्लैकलिस्ट नहीं किया है और निविदा बुलाने की तिथि से ब्लैकलिस्टिंग लागू है।

d. मूल्य बोली खुलने के बाद बोली वापस ले लेता है।

e. तय समय सीमा के अंदर दिया गया काम शुरू नहीं कर पाता है।

f. वर्क ऑर्डर जारी होने के 14 दिनों के अंदर करार पर साइन नहीं करता है।

7. बोली लगाने वाले को निविदा डालने और संविदा करने के लिए ज़रूरी सारी जानकारी अपनी ज़िम्मेदारी और अपने खर्च पर लेनी होगी और उसे ड्राइंग की जांच करनी होगी, काम की जगह का इंस्पेक्शन करना होगा, सभी लोकल हालात, काम तक पहुंचने के तरीके, काम का नेचर और उससे जुड़ी सभी बातों की जानकारी लेनी होगी।

8. निविदा में दिए गए रेट में काम शुरू होने से पहले, काम के दौरान और काम पूरा होने के बाद साइट को साफ करने के सभी चार्ज, फेंसिंग, होर्डिंग के सभी चार्ज, प्लांट और इक्विपमेंट के सभी चार्ज, स्टोरेज शेड के सभी चार्ज, रात और दिन में निगरानी और लाइटिंग के सभी चार्ज (रविवार और छुट्टियों सहित), जनता की सुरक्षा

और आस-पास की सड़कों, गलियों, तहखानों, वॉल्ट, ओवन, फुटपाथ, दीवारों, घरों, बिल्डिंग और दूसरी सभी बनावट, चीज़ों या चीज़ों की सुरक्षा के सभी चार्ज शामिल होंगे और संविदाकर्ता ज़रूरत पड़ने पर या जब ऐसा करने का आदेश दिया जाएगा, तो ऐसी किसी भी या सभी सेंटरिंग, मचान, स्टेजिंग वगैरह को हटा देगा और काम के दौरान और बैंक के इंजीनियर की संतुष्टि के अनुसार सभी चीज़ों और चीज़ों को पूरी तरह से ठीक कर देगा। दिए गए रेट साइट पर मापे जाने वाले पूरे काम के लिए माने जाएंगे। रेट भी पक्के होंगे और एक्सचेंज में बदलाव, लेबर की शर्तों, रेलवे माल ढुलाई में उतार-चढ़ाव या किसी भी तरह की शर्तों के अधीन नहीं होंगे। संविदाकर्ता को अपने कोट में, अगर लागू हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी द्वारा लगाया गया कोई भी दूसरा टैक्स और/या दूसरी लेवी शामिल करनी होगी। रेट में लागू जीएसटी शामिल होगा। जीएसटी या दूसरी टैक्स ड्यूटी या लेवी, चाहे वह अभी हो या भविष्य में, के संबंध में बैंक कोई भी क्लेम स्वीकार नहीं करेगा, सिवाय इसके कि संविदा अवधि के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी द्वारा इसमें कोई बदलाव किया गया हो।

9. सफल संविदाकर्ता को काम पूरा करने के लिए ज़रूरी कोई भी या सभी काम करने होंगे, भले ही वे काम की मात्रा और रेट में शामिल न हों। बोली लगाने में दिलचस्पी रखने वालों को सलाह दी जाती है कि वे साइट का अच्छी तरह सर्वे करें और काम के हर आइटम के हिसाब से अपने रेट बताएं।

10. सफल संविदाकर्ता को दूसरे संविदाकर्ता के साथ को-ऑपरेट करना चाहिए, अगर उन्हें बैंक ने अपॉइंट किया हो, ताकि काम कम से कम देरी के साथ और बैंक के इंजीनियर की संतुष्टि के साथ आसानी से हो सके।

11. सफल निविदा पाने वाले को काम के लिए ज़रूरी सारा सामान खुद ही लेना होगा। सफल संविदाकर्ता जो सैंपल और लिटरेचर जमा करेंगे, उन्हें काम पूरा होने तक अपने पास रखना होगा। अगर जमा नहीं किया जाता है, तो सामान बैंक से मंज़ूर किया हुआ होगा। इलस्ट्रेशन के लिए बताए गए सभी सामान का सैंपल और उस पर डिटेल वाला लिटरेचर सफल संविदाकर्ता को जमा करना होगा।

12. **बोली-पूर्व बैठक** : एनआईटी के अनुसार, बोलीदाताओं की एक प्री-निविदा ब्रीफिंग बैठक तय तिथि और जगह पर होगी, ताकि निविदा के बारे में उनके उठाए गए किसी भी पॉइंट/डाउट को क्लियर किया जा सके। इस बैठक के लिए कोई अलग से कम्युनिकेशन नहीं भेजा जाएगा। बोली-पूर्व बैठक में गैर-हाज़िरी किसी बोलीदाता को डिसक्वालिफ़ाई करने का कारण नहीं होगी।

i. जिन पॉइंट्स पर स्पष्टीकरण की ज़रूरत है, उनसे जुड़ी सभी बातें एलिजिबल बोलीदाताओं को बैठक से एक दिन पहले एनआईटी में दिए गए पते पर लिखकर/ईमेल से देनी होंगी।
ii. बोलीदाताओं को निविदा से जुड़े किसी भी मुद्दे पर बैंक से स्पष्टीकरण लेने के लिए बोली-पूर्व बैठक में आने के लिए कहा जाता है। इसके बाद बोली-पूर्व बैठक की तिथि बदलने की कोई अनुरोध नहीं मानी

जाएगी। अगर कोई फर्म बोली-पूर्व बैठक में नहीं आती है, तो भविष्य में कोई स्पष्टीकरण नहीं माना जाएगा और बोली-पूर्व बैठक के कार्यवृत्त उन पर मानने होंगे।

iii. बोली-पूर्व बैठक के बाद निविदा के भाग। में निविदा की शर्तों में कोई भी बदलाव शामिल करने/सबमिट करने पर उसे रिजेक्ट किया जा सकता है।

iv. बोली-पूर्व बैठक के कार्यवृत्त और बिडिंग प्रोसेस के बारे में जारी किए गए शुद्धिपत्र /बदलाव/परिशिष्ट, अगर कोई हों, तो सिर्फ़ बैंक की वेबसाइट और सीपीपीपी पर होस्ट किए जाएंगे और किसी भी न्यूज़पेपर में प्रकाशित नहीं किए जाएंगे।

13. **बदलाव** : बैंक बोलीदाता को कोई भी अतिरिक्त शर्तें लगाने से रोकता है। लेकिन, अगर बोलीदाता को लगता है कि निविदा डॉक्यूमेंट्स (तकनीकी-वाणिज्यिक) के कोई भी नियम और शर्तें उन्हें मंज़ूर नहीं हैं या उन्हें लगता है कि अतिरिक्त नियम और शर्तें जोड़ने की ज़रूरत है, तो वे इन शर्तों या अतिरिक्त या बदली हुई शर्तों को **संविदा VIII के अनुसार फ़ॉर्मेट में अपलोड करके बता सकते हैं।** जमा किए गए बदलावों की जांच की जाएगी और सभी बोलीदाताओं से बातचीत के बाद, बैंक को जो शर्तें मंज़ूर होंगी, उनके बारे में बोलीदाताओं को बताया जाएगा। अगर मंज़ूर की गई शर्तें कीमत पर असर डालती हैं, तो सभी बोलीदाताओं को सलाह दी जाएगी कि वे भाग II में पहले से जमा की गई अपनी निविदा की गई रकम से एक परसेंट ज़्यादा या कम कोट करें। उनकी निविदा की गई रकम से इतना ज़्यादा या कम परसेंट कोट करने का उन शर्तों/शर्तों पर पक्का असर पड़ेगा जिन्हें बोलीदाताओं को वापस लेना होगा या बैंक द्वारा मंज़ूर की गई शर्तों के अनुसार मिलने वाले अतिरिक्त फ़ायदे पर। बोलीदाताओं द्वारा कोट की गई निविदा की गई रकम से ज़्यादा या कम परसेंट कोट करने वाला लेटर, बाद में डिपार्टमेंट को तय तिथि को या उससे पहले सीलबंद लिफ़ाफ़े में जमा करना होगा और बोलीदाताओं को बताना होगा। यह लेटर, पहले से जमा किए गए निविदा रेट के साथ भाग II कहलाएगा, और बताई गई तिथि पर फर्मों के प्रतिनिधियों के सामने खोला जाएगा। बाकी सभी नियम और शर्तें, जिन पर इच्छुक बोली लगाने वालों की कोई राय नहीं है, उन्हें बोली लगाने वाले को मंज़ूर माना जाएगा।

14. **वैधता** : निविदा भाग। खुलने की तिथि से 90 दिनों के समय तक बैंक निविदा स्वीकार करने के लिए खुले रहेंगे। यह समय आपसी लिखित सहमति से बढ़ाया जा सकता है और बोली लगाने वाला इस समय के दौरान निविदा को कैंसिल या वापस नहीं लेगा।

15. **भाषा** : निविदा फ़ॉर्म इंग्लिश या हिंदी में भरा जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट्स के इंग्लिश और हिंदी वर्शन में कोई अंतर या साफ़ न हो, तो इंटरप्रिटेशन के मामले में इंग्लिश वर्शन ही मान्य होगा।

16. **मूल्य-बोली में रेट (भाग II)** : सारा भुगतान INR में किया जाएगा

i. रेट पूरे काम के लिए बताए जाएंगे, जिसमें बताई गई साइट पर काम के बैंक को सौंपे जाने तक सभी टैक्स, स्कैफोल्डिंग, कंज्यूमेबल, लेबर, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, स्टोरेज, वर्कमैन कम्पेनसेशन और थर्ड पार्टी देयता पॉलिसी वगैरह के चार्ज शामिल होंगे। बैंक किसी भी टैक्स, ड्यूटी और लेवी के लिए कोई रियायती

फॉर्म जारी नहीं करेगा। अगर इक्विपमेंट इंपोर्ट करने की ज़रूरत है, तो उसे बोलीदाता के अपने इंपोर्ट लाइसेंस पर इंपोर्ट करने का इंतज़ाम किया जाएगा।

ii. संविदा की खास शर्तों में बताए गए इंश्योरेंस कवर के साथ रेट।

17. **सफल बोली लगाने वाला** : सेक्शन III(A) में बताए गए मूल्यांकन मानदंड के अनुसार।

18. **करार की शर्तें:** बैंक से अपने निविदा की मंज़ूरी की फॉर्मल जानकारी/ अवार्ड लेटर/ वर्क ऑर्डर मिलने पर, सफल बोली लगाने वाला वर्क ऑर्डर जारी होने की तिथि से 14 दिनों के अंदर **करार की शर्तें** (फॉर्मेट **संविदा IX के अनुसार**) पर साइन करने / निष्पादित करने के लिए संविदा के हिसाब से बाध्य होगा। करार को लागू स्टाम्प एक्ट के अनुसार ज़रूरी कीमत के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर किया जाना चाहिए और इसका खर्च पूरी तरह से बोलीदाता को उठाना होगा।

अगर सफल बोलीदाता वर्क ऑर्डर/लेटर ऑफ़ अवार्ड जारी होने की तिथि से **14 दिनों के अंदर फॉर्मल करार की शर्तें पर साइन और उसे पूरा नहीं करता है**, तो ऐसा न कर पाना निविदा की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे में, बैंक के पास यह पूरा अधिकार है:

i. संविदा का **अवार्ड कैंसिल करें।**

ii. बोली लगाने वाले को बिना किसी नोटिस या फाइनेंशियल देयता के, **अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (ईएमडी) पूरी तरह से ज़ब्त कर लें।**

iii. बोली लगाने वाले को एक तय समय के लिए बैंक के भविष्य के निविदा में हिस्सा लेने से **ब्लैकलिस्ट या डिबार करना।**

19. **साइट की कंडीशन**: काम एक ऐसी बिल्डिंग में करना होगा जिसमें लोग हों, जिससे काम के घंटों में काम करने की जगह मिलना मुश्किल हो सकता है। इसलिए, बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे बैंक के नॉर्मल काम के घंटों के बाद और शनिवार/रविवार/बैंक की छुट्टियों में पूरे दिन काम करने की योजना बनाएं, यह साइट की उपलब्धता पर निर्भर करता है। निविदा जमा करते समय ऊपर बताई गई बातों का ध्यान रखें।

i. यह ज़रूरी है कि बोलीदाता सुरक्षा, धूल और ढीले सामान से बचाव, शोर कम करने, बिल्डिंग में पानी और हवा के घुसने से बचाव, और बिल्डिंग के अंदर और बाहर काम करने की जगहों पर साफ़-सफ़ाई और व्यवस्था बनाए रखने से जुड़ी सभी बातों पर खास ध्यान दे और उन्हें प्राथमिकता दे। पैकेजिंग, कबाड़ का सामान और तोड़-फोड़ का मलबा रोज़ाना बिल्डिंग और साइट से तुरंत हटा दिया जाएगा।

ii. अगर संविदा में ऐसे काम शामिल हैं, जो नॉर्मल बिज़नेस ऑपरेशन में रुकावट डालेंगे, या बिल्डिंग में रहने वालों के लिए खतरनाक होंगे, तो ये काम बैंक के बताए गए समय में किए जाएंगे। बोलीदाता बैंक के बताए गए समय में ऐसा काम करेगा और अपने निविदा में सारा खर्च शामिल करेगा।

20. **डिबारमेंट/कोर्ट केस** : i. अगर बोलीदाता को किसी जुर्म का दोषी ठहराया गया है— (a) प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट, 1988 के तहत; या (b) इंडियन पीनल कोड या उस समय लागू किसी दूसरे कानून के तहत,

पब्लिक प्रोक्योरमेंट संविदा को पूरा करने के दौरान जान-माल का नुकसान करने या पब्लिक हेल्थ को खतरा पैदा करने के लिए। इस बारे में, बोलीदाता को अपने लेटर हेड पर अंडरटेकिंग/डिक्लेरेशन/प्रमाणपत्र की एक कॉपी जमा करनी होगी, जिसे अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता ने सील और साइन किया हो, और वह **संविदा XIII में दिए गए फॉर्मेट में हो**।

ii. **संविदा XIV** में दिए गए फॉर्मेट में जमा करना होगा।

21. **भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों के ठेकेदारों पर नियमों का पालन करना :** भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के सार्वजनिक खरीद प्रभाग द्वारा जारी निर्देश / नियम, कार्यालय ज्ञापन (ओएम) एफ. संख्या 6/18/2019-पीपीडी दिनांक 23 जुलाई, 2020, भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले बोलीदाता देशों के संबंध में और बाद में किए गए संशोधन और इसके लिए जारी किए गए सार्वजनिक खरीद आदेश अनिवार्य होंगे। इस संबंध में, बोलीदाता अपने लेटर हेड पर उपक्रम / घोषणा / प्रमाण पत्र की एक प्रति **अनुलग्नक XIII में दिए गए प्रारूप में अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत मुहरबंद और हस्ताक्षरित प्रस्तुत करेंगे**।

----------एक्स----------

खंड III (ए) मूल्यांकन मानदंड

निविदा का मूल्यांकन: L1 आधार

1. पहला ई-कवर यानी भाग I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) खोलने के बाद, सेक्शन III (A) में बताए गए पात्रता मानदंड के आधार पर सिर्फ़ उन बोलीदाताओं के टेंडर्स को इवैल्यूएट किया जाएगा, जिन्होंने निर्धारित तिथि पर या उससे पहले ईएमडी जमा कर दिया है। ईएमडी जमा करने का प्रूफ़ पहले ई-कवर में अपलोड किया जाना चाहिए।

2. बोलीदाताओं को निविदा दस्तावेज़ में बताए गए सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स पहले ई-कवर यानी भाग I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) में जमा करने होंगे। सिर्फ़ वही निविदा आगे प्रोसेस किए जाएँगे, जो पात्रता की ज़रूरतें पूरी करते हैं। दी गई जानकारी और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के सही होने/कानूनी होने और काफ़ी होने की जाँच बैंक करेगा। अगर अपलोड किए गए निविदा में कोई दस्तावेज़ गायब है या नकली पाया जाता है, तो बैंक के पास गायब डॉक्यूमेंट्स/प्रमाणपत्र माँगने और इन सर्टिफिकेट्स को खुद से वेरिफाई करने का अधिकार होगा। बोलीदाताओं को यह भी पक्का करना होगा कि अपलोड की गई सभी फ़ाइलें पढ़ने लायक हों और उनमें कोई खराबी न हो। अगर कोई अपलोड किया गया दस्तावेज़ पढ़ने लायक नहीं है, खराब है, या बैंक को आसानी से नहीं मिल रहा है, तो बैंक की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी, और वह बिना किसी और सोच-विचार के बोलीदाताओं का कैंडिडेट रिजेक्ट करने का अधिकार रखता है।

3. जो बोलीदाता टेक्निकल पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करेंगे, उनकी जमा की गई मूल्य बोली नहीं खोली जाएंगी। उनके अपात्रता की सूचना उन्हें दी जाएगी।

4. भाग I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) में क्वालिफाई करने वाले सभी बोलीदाताओं का दूसरा ई-कवर यानी भाग II (मूल्य बोली) फाइनेंशियल इवैल्यूएशन के लिए खोला जाएगा।

5. सबसे कम कीमत (L1) वाले बोलीदाता को संविदा देने पर विचार किया जाएगा और उसे सफल बोलीदाता कहा जाएगा। अगर दो या ज़्यादा बोलीदाता की सबसे कम निविदा की गई रकम एक जैसी है, तो ऐसे सबसे कम बोलीदाता से कहा जा सकता है कि वे एक सीलबंद लिफ़ाफ़े में अपनी पहले से कोट की गई निविदा की गई रकम पर डिस्काउंट देते हुए एक रिवाइज़्ड ऑफ़र जमा करें। इसके अलावा, अगर कोई ऐसा सबसे कम बोलीदाता अपनी बोली को कम नहीं करता है, तो उसकी मूल बोली आगे की प्रोसेसिंग के लिए वैलिड रहेगी। सबसे कम निविदा का फ़ैसला रिवाइज़्ड ऑफ़र के आधार पर किया जाएगा। अगर रिवाइज़्ड ऑफ़र में मिले दो या ज़्यादा बोलीदाता की रिवाइज़्ड निविदा की गई रकम फिर से बराबर पाई जाती है, तो पिछले तीन फ़ाइनेंशियल सालों में सबसे ज़्यादा एवरेज टर्नओवर वाली फ़र्म को चुना जाएगा। संविदा देने के लिए विचार किया जाएगा।

खंड IV
संविदा की सामान्य शर्तें

व्याख्या खंड

इन शर्तों, काम के दायरे, स्पेसिफिकेशन्स, मात्रा के बिल और संविदा करार को समझने में, नीचे दिए गए शब्दों का वही मतलब होगा जो उन्हें यहां दिया गया है, सिवाय इसके कि जहां विषय या संदर्भ के लिए कुछ और ज़रूरी हो।

i.	"आरबीआई"	इसका अभिप्राय भारतीय रिज़र्व बैंक से होगा, जिसका केंद्रीय कार्यालय शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई– 400001 में है और जिसके क्षेत्रीय कार्यालय विभिन्न स्थानों पर हैं।
ii.	"किनारा"	इसका मतलब होगा भारतीय रिज़र्व बैंक और इसमें उसके असाइन किए गए और उत्तराधिकारी शामिल होंगे।
iii.	"निविदा दस्तावेज़"	इसका मतलब है बैंक द्वारा संविदार्स को प्रोजेक्ट के लिए बिड्स इनवाइट करने के लिए जारी किया गया दस्तावेज़।
iv.	"बोलीदाता"	जो बोली/निविदा जमा करता है। यह पार्टनरशिप फर्म, व्यक्तिगत फर्म और कंपनी हो सकती है। मृत पार्टनर के कानूनी प्रतिनिधि।
v.	"संविदाकर्ता "	संविदाकर्ता वह सफल संविदाकर्ता होता है जिसे काम पूरा करने के लिए ऑफिशियली चुना गया हो। यह पार्टनरशिप फर्म, इंडिविजुअल फर्म और कंपनी हो सकती है। मरे हुए पार्टनर के लीगल प्रतिनिधि।
vi.	"साइट"	इसका मतलब संविदा के काम की साइट से है, जिसमें कोई भी बिल्डिंग और उस पर बनी चीज़ें और कोई भी दूसरी ज़मीन (इसमें शामिल है) जो बैंक ने संविदाकर्ता के काम के लिए दी है।
vii.	"संविदा"	इसका मतलब है और इसमें निविदा दस्तावेज़ के सभी सेक्शन, उससे जुड़े लेटर, वर्क ऑर्डर, आर्टिकल्स ऑफ़ करार, CAMC करार और बोली-पूर्व के कार्यवृत्त वगैरह शामिल हैं, जो इसके साथ संलग्न हैं और सही तरह से साइन किए गए हैं।
viii.	"लिखित सूचना"	या लिखित नोटिस का मतलब है लिखित, टाइप या प्रिंटेड अक्षरों में भेजा गया नोटिस (जब तक कि खुद डिलीवर न किया गया हो या यह साबित न हो कि वह मिल गया है) रजिस्टर्ड पोस्ट से उस आखिरी जाने-पहचाने प्राइवेट या बिज़नेस पते पर जब आम तौर पर पोस्ट के ज़रिए उसे डिलीवर किया जाता। किसी भी

		एक्सेप्टेड इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजा गया कम्युनिकेशन भी लिखित नोटिस माना जाएगा।
ix.	"दिवालियापन अधिनियम"	**इन्सॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड (IBC), 2016** के तहत बताए गए किसी भी इन्सॉल्वेंसी एक्ट या ऐसे मूल को अमेंड करने वाले किसी एक्ट से होगा।
x.	"निवल मूल्य"	सीपीपीपी में निविदा के भाग II में बताई गई चीज़ की कीमत।
xi.	"बाज़ार दर"	यह दर बैंक द्वारा उस स्थान पर सामग्री और श्रम की लागत के आधार पर तय की जाएगी जहां कार्य निष्पादित किया जाना है, साथ ही सभी ओवरहेड्स और मुनाफे को कवर करने के लिए खंड 19 (ई) में उल्लिखित प्रतिशतता भी शामिल होगी।
xii.	" कार्य"	इसका मतलब NIT में बताए गए निविदा का नाम होगा।
xiii.	दिन/महीना/वर्ष	इसका मतलब कैलेंडर दिन/महीना/साल होगा
xiv.	कार्य दिवस	इसका मतलब उन दिनों से है जब बैंक का ऑफिस काम कर रहा होता है, यानी पब्लिक हॉलिडे, शनिवार और रविवार को छोड़कर बाकी दिन
xv.	प्रभारी इंजीनियर/बैंक इंजीनियर/बैंक प्रतिनिधि	इसका मतलब है बैंक द्वारा काम पर रखा गया और भुगतान किया गया ऑफिसर, जो बैंक के ऑर्डर पर काम करेगा और काम की देखरेख करेगा और उसका इंचार्ज होगा। संविदा के तहत किए जाने वाले सभी काम हर तरह से बैंक के प्रतिनिधि के निर्देश और मंज़ूरी के तहत किए जाएंगे।
xvi.	उत्पादक	उस व्यक्ति या फर्म को संदर्भित करता है जो सामग्री का निर्माता और प्रदाता या उपकरणों का डिज़ाइनर और फैब्रिकेटर है
xvii.	संविदाकर्ता का कार्य या निर्माता का कार्य	इसका अभिप्राय और इसमें शामिल होगा भूमि तथा अन्य स्थान जिसका उपयोग संविदाकर्ता/निर्माता या उप-संविदाकर्ता/उप-निर्माता द्वारा "उपकरण" के विनिर्माण या "कार्य" करने के लिए किया जाता है।

xviii.	संविदा मूल्य या संविदा	रकम का मतलब है सफल संविदाकर्ता द्वारा बताए गए यूनिट रेट और बिल ऑफ़ क्वांटिटीज़ (मूल्य बोली) में बताई गई मात्रा से कैलकुलेट की गई कुल रकम, जिसे बैंक ने स्वीकार किया है और काम के लेटर ऑफ़ अवार्ड में बताया गया है।
xix.	संविदा अवधि	इसका मतलब निविदा दस्तावेज़ में संविदा पूरा करने/काम पूरा करने के लिए बताई गई अवधि होगी, जिसमें बैंक द्वारा दी गई कोई भी ज़्यादा समय अवधि शामिल है।
xx.	संविदा करार	इसका मतलब प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए संविदाकर्ता और बैंक के बीच साइन किया गया करार होगा।

2. **<u>संविदा का दायरा</u>**

संविदाकर्ता इस संविदा के अनुसार और बैंक के निर्देशों और संतुष्टि के अनुसार हर तरह से यह काम करेगा और पूरा करेगा। बैंक अपनी मर्ज़ी से और समय-समय पर आगे की ड्राइंग और/या लिखित निर्देश, डिटेल्स, निर्देश और एक्सप्लेनेशन जारी कर सकता है, जिन्हें आगे से एक साथ "बैंक के निर्देश" कहा जाएगा:

i. काम की डिज़ाइन, क्वालिटी या क्वांटिटी में बदलाव या बदलाव या किसी काम को जोड़ना, हटाना या बदलना।
ii. ड्रॉइंग्स में या बिल ऑफ़ क्वांटिटीज़ और/या ड्रॉइंग्स और/या स्पेसिफिकेशन्स के बीच कोई भी अंतर।
iii. संविदाकर्ता द्वारा साइट पर लाए गए किसी भी सामान को साइट से हटाना और उसकी जगह कोई दूसरा सामान रखना।
iv. संविदाकर्ता द्वारा किए गए किसी भी काम को हटाना और/या दोबारा करना।
v. इसके बाद संविदाकर्ता द्वारा काम पर रखे गए किसी भी व्यक्ति को काम से निकाल दिया जाएगा।
vi. किसी भी छिपे हुए काम के इंस्पेक्शन के लिए खोलना।
vii. 21 के तहत किसी भी दोष को संशोधित करना और उसे ठीक करना इसके.

संविदाकर्ता को बैंक के निर्देशों में शामिल किसी भी काम को तुरंत मानना होगा और उसे ठीक से पूरा करना होगा। बैंक द्वारा संविदाकर्ता या उसके प्रतिनिधियों को काम के बारे में दिए गए बोलकर दिए गए निर्देश, डायरेक्शन और एक्सप्लेनेशन, अगर उनमें कोई बदलाव होता है, तो संविदाकर्ता को सात दिनों के अंदर लिखकर कन्फर्म करना होगा, और अगर बैंक अगले सात दिनों के अंदर लिखकर इससे सहमत नहीं होता है, तो इसे संविदा के दायरे में बैंक के निर्देश माना जाएगा।

ज़रूरी "साइट इंस्ट्रक्शन बुक, रुकावट रजिस्टर, लेबर रजिस्टर" को संविदाकर्ता को रोज़ाना सख्ती से मेंटेन करना होगा। और बैंक से सही तरह से ऑथेंटिकेशन मिला।

3. **<u>बदलाव बैंक से स्वीकृत होंगे</u>**

काम के दायरे में सभी बदलावों को बैंक के इंजीनियर से मंज़ूरी लेनी होगी। संविदाकर्ता को एक स्टेटमेंट ऑफ़ वेरिएशन जमा करना होगा जिसमें मात्रा और रेट्स दिए गए हों, और साथ में रेट्स, वाउचर वगैरह का एनालिसिस भी हो। बैंक द्वारा जांच और फाइनल मंज़ूरी के बाद रेट्स एक सप्लीमेंट्री निविदा बनेंगे। जब तक बैंक के इंजीनियर इन स्टेटमेंट्स को मंज़ूरी नहीं दे देते, तब तक बैंक ऐसे बदलावों के भुगतान के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा।

4. **ड्रॉइंग, बिल ऑफ़ क्वांटिटीज़ और करार**

संविदा दो कॉपी में पूरा किया जाएगा और संविदाकर्ता को अपने इस्तेमाल के लिए एक पूरी कॉपी मिलेगी। संविदाकर्ता को करार पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी। संविदाकर्ता को फाइनल प्रमाणपत्र जारी करने से पहले, उसे तुरंत बैंक को सभी ड्रॉइंग और स्पेसिफिकेशन वापस करने होंगे।

5. **संविदाकर्ता को अपने खर्च पर सभी ज़रूरी चीज़ें देनी होंगी**

संविदाकर्ता अपने खर्च पर, ड्रॉइंग्स, बिल ऑफ़ क्वांटिटीज़ और स्पेसिफिकेशन्स के इरादे और मतलब के हिसाब से काम को ठीक से करने के लिए ज़रूरी सभी चीज़ें देगा, चाहे उन्हें उसमें खास तौर पर दिखाया या बताया गया हो या नहीं, बशर्ते कि उससे उसका सही अंदाज़ा लगाया जा सके, और अगर संविदाकर्ता को ड्रॉइंग्स में या ड्रॉइंग्स, बिल ऑफ़ क्वांटिटीज़ और स्पेसिफिकेशन्स के बीच कोई फ़र्क मिलता है, तो वह तुरंत और लिखकर बैंक को बताएगा जो तय करेगा कि किसका पालन किया जाए। संविदाकर्ता इस स्पेसिफिकेशन के तहत सभी काम हेल्थ और सेफ्टी रेगुलेशंस के पूरे हिसाब से करेगा।

6. **प्राधिकरण, नोटिस और भुगतान**

संविदाकर्ता को काम से जुड़े लेजिस्लेचर के किसी भी एक्ट के प्रोविज़न और उससे जुड़े किसी भी दूसरे पहलू, जैसे कि अलग-अलग लेबर कोड का पालन, और किसी अथॉरिटी के रेगुलेशन और बाय-लॉज़, और बिजली सप्लाई और दूसरी कंपनियों और/या अथॉरिटीज़ जिनके सिस्टम से इंस्टॉलेशन को कनेक्ट करने का प्रपोज़ल है, का पालन करना होगा और ड्रॉइंग या स्पेसिफिकेशन्स में कोई भी बदलाव करने से पहले, जो ऐसा करने की वजह से ज़रूरी हो, बैंक को लिखकर नोटिस देना होगा, जिसमें किए जाने वाले बदलाव और उसे करने की वजह बताई जाएगी और उस पर इंस्ट्रक्शन के लिए अप्लाई करना होगा। अगर संविदाकर्ता को **दस दिनों के अंदर ऐसे इंस्ट्रक्शन नहीं मिलते हैं, तो वह संबंधित प्रोविज़न, रेगुलेशन या बाय-लॉज़ के अनुसार काम आगे बढ़ाएगा, और इस तरह ज़रूरी किसी भी बदलाव से** क्लॉज़ नंबर 14 के तहत निपटा जाएगा।

संविदाकर्ता को बैंक को उन सभी नोटिस की जानकारी देनी होगी जो इन अधिनियम, विनियम या बाय-लॉ के तहत किसी भी अथॉरिटी को दिए जाने हैं और उस अथॉरिटी या किसी पब्लिक ऑफिस को काम के संबंध में लगने वाली सभी फीस देनी होगी, और भुगतान के लिए रसीदें बैंक में जमा करनी होंगी।

संविदाकर्ता बैंक को अधिकारों से जुड़े सभी दावों से हर्जाना देगा, और दावों से होने वाले सभी एक्शन का बचाव करेगा, और इसके लिए कानूनी तौर पर लगने वाली सभी रॉयल्टी, लाइसेंस फीस, नुकसान, लागत और हर तरह के चार्ज खुद देगा।

7. **काम से निकलना**

संविदाकर्ता काम की रूपरेखा तैयार करेगा और उसकी सही और सही रूपरेखा के लिए और उसके सभी हिस्सों की सही जगह, लेवल, साइज़ और अलाइनमेंट के लिए ज़िम्मेदार होगा। अगर काम पूरा होने के एक साल के अंदर काम की प्रोग्रेस के दौरान कभी भी इस बारे में कोई गलती दिखती है, तो संविदाकर्ता, अगर ज़रूरी हो, तो अपने खर्च पर, बैंक की संतुष्टि के लिए उस गलती को ठीक करेगा।

8. **विवरण के अनुसार सामग्री और कारीगरी**

सभी मटीरियल और कारीगरी, जहाँ तक मिल सके, बिल ऑफ़ क्वांटिटीज़ और/या स्पेसिफिकेशन्स में बताए गए अपने-अपने टाइप की होनी चाहिए और बैंक के निर्देशों के अनुसार होनी चाहिए, और संविदाकर्ता बैंक के कहने पर उसे सभी इनवॉइस, अकाउंट्स की रसीदें और दूसरे वाउचर देगा ताकि यह साबित हो सके कि मटीरियल उसके हिसाब से है। संविदाकर्ता अपने खर्च पर बैंक को बताए गए किसी भी मटीरियल का टेस्ट करवाएगा और/या करवाएगा।

9. **काम पर संविदाकर्ता का सुपरिंटेंडेंस और प्रतिनिधि**

संविदाकर्ता काम के दौरान और उसके बाद जब तक बैंक का इंजीनियर ज़रूरी समझे, तब तक सभी ज़रूरी पर्सनल सुपरिंटेंडेंस देगा, जब तक कि अपेंडिक्स में बताया गया "दोष देयता अवधि" खत्म न हो जाए। संविदाकर्ता, जब तक काम पूरे समय चल रहा हो, एक काबिल, क्वालिफाइड (सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री) और संबंधित अनुभवी (कम से कम 5 साल या 3 साल) इंजीनियर को भी रखेगा, जो कर्मचारियों के काम पर रहने के दौरान लगातार साइट पर मौजूद रहेगा। बैंक के इंजीनियर द्वारा ऐसे प्रतिनिधि को दिए गए कोई भी निर्देश, इंस्ट्रक्शन या नोटिस संविदाकर्ता को दिए गए माने जाएंगे। संविदाकर्ता का अधिकृत स्टाफ काम में इस्तेमाल होने वाले मटीरियल के रोज़ाना इस्तेमाल को बनाए रखने, उसके रिकॉर्ड रखने, काम की सही क्वालिटी बनाए रखने वगैरह के लिए भी ज़िम्मेदार होगा।

10. **कामगारों की बर्खास्तगी**

संविदाकर्ता, बैंक के कहने पर, अपने यहां काम पर रखे गए ऐसे किसी भी व्यक्ति को तुरंत काम से निकाल देगा जो बैंक की राय में नाकाबिल हो या उसने खुद कोई गलत काम किया हो और ऐसे लोगों को बैंक की इजाज़त के बिना दोबारा काम पर नहीं रखा जाएगा।

11. **कार्यों तक पहुंच**

बैंक और उनके प्रतिनिधियों को काम और/या वर्कशॉप, फैक्ट्री या दूसरी जगहों पर हर सही समय पर फ्री एक्सेस होगा, जहाँ सामान पड़ा है या जहाँ से उसे लिया जा रहा है और संविदाकर्ता बैंक और उनके प्रतिनिधियों को सामान और काम के इंस्पेक्शन, जांच और टेस्ट के लिए हर ज़रूरी सुविधा देगा। पब्लिक अथॉरिटी के प्रतिनिधियों को छोड़कर, बैंक द्वारा अधिकृत न किए गए किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय काम पर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।

12. **<u>बैंक का प्रतिनिधि: सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/प्रबंधक (तकनीकी)/ सहायक महाप्रबंधक (तकनीकी)</u>**

"सहायक प्रबंधक (टेक)/प्रबंधक (टेक)/सहायक महाप्रबंधक (टेक)" का मतलब बैंक द्वारा काम का इंस्पेक्शन करने के लिए अपॉइंट किया गया और भुगतान किया गया व्यक्ति है। संविदाकर्ता सहायक प्रबंधक (टेक)/प्रबंधक (टेक)/सहायक महाप्रबंधक (टेक) को काम और मटीरियल का इंस्पेक्शन करने और समय और मटीरियल की जांच करने और मापने के लिए हर सुविधा और मदद देगा। सहायक प्रबंधक (टेक)/प्रबंधक (टेक)/सहायक महाप्रबंधक (टेक) के पास काम शुरू करने या संविदा की किसी भी ज़रूरत को रद्द करने, बदलने, बढ़ाने या आराम देने या कोई भी काम, जोड़ने, बदलने, बदलने या छोड़ने या कोई भी अतिरिक्त काम मंज़ूर करने का अधिकार होगा, सिवाय इसके कि ऐसा अधिकार बैंक की पहले से लिखित मंज़ूरी से लिखित ऑर्डर द्वारा खास तौर पर दिया गया हो।

सहायक प्रबंधक (टेक)/प्रबंधक (टेक)/ सहायक महाप्रबंधक (टेक)/ सहायक महाप्रबंधक (टेक) या बैंक के किसी भी प्रतिनिधि के पास संविदाकर्ता या उसके प्रतिनिधि को किसी भी काम या मटीरियल को मंज़ूरी न मिलने की सूचना देने का अधिकार होगा और ऐसा काम सहायक प्रबंधक (टेक)/प्रबंधक (टेक) द्वारा रोक दिया जाएगा या ऐसे मटीरियल का इस्तेमाल बंद कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसी जांच किसी भी तरह से संविदाकर्ता को काम के किसी भी स्टेज पर या काम पूरा होने के बाद पाए जाने वाले किसी भी दोष को ठीक करने की ज़िम्मेदारी से मुक्त नहीं करेगी।

13. **<u>असाइनमेंट और सब-लेटिंग</u>**

संविदा में शामिल सभी काम संविदाकर्ता ही करेगा और संविदाकर्ता बैंक की पहले से लिखी हुई मंज़ूरी के बिना संविदा या उसका कोई हिस्सा या उसमें कोई हिस्सा सीधे या इनडायरेक्टली ट्रांसफर, असाइन या अंडर-लेट नहीं करेगा, और कोई भी अंडरटेकिंग संविदाकर्ता को संविदा की पूरी और पूरी ज़िम्मेदारी से या काम के चलने के दौरान उसकी एक्टिव सुपरिंटेंडेंस से राहत नहीं देगी।

14. **<u>परिवर्तन, परिवर्धन, लोप आदि</u>**।

कोई भी परिवर्तन, चूक या बदलाव इस संविदा को निष्प्रभावी नहीं करेगा, लेकिन यदि बैंक कार्य की प्रगति के दौरान किसी भी समय कार्य में कोई परिवर्तन, परिवर्धन या चूक करना या इसमें इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री के प्रकार या गुणवत्ता में कोई परिवर्तन करना उचित समझता है और अपने हस्ताक्षर से संविदाकर्ता को लिखित में इसकी सूचना देता है, तो संविदाकर्ता ऐसी सूचना के अनुसार, जैसा भी मामला हो, परिवर्तन करेगा, जोड़ेगा या छोड़ेगा, लेकिन संविदाकर्ता बैंक की लिखित में पूर्व सहमति के बिना कार्य में कोई अतिरिक्त कार्य नहीं करेगा, कार्य में कोई परिवर्तन, परिवर्धन या चूक या संविदा, शर्त, विनिर्देशों या संविदा रेखाचित्रों के किसी भी प्रावधान से कोई विचलन नहीं करेगा और ऐसे अतिरिक्त, परिवर्तन, परिवर्धन या चूक का मूल्य सभी मामलों में खंड 19 के प्रावधानों के अनुसार बैंक की लिखित में पूर्व स्वीकृति के साथ निर्धारित किया जाएगा।

15. **<u>मात्राओं का बिल</u>**

बिल ऑफ़ क्वांटिटीज़, जब तक कुछ और न कहा गया हो, स्टैंडर्ड मेथड ऑफ़ मेज़रमेंट के अनुसार तैयार किया गया माना जाएगा।

'बिल ऑफ क्वांटिटीज' में विवरण, मात्रा या किसी आइटम के छूट जाने से संबंधित कोई भी त्रुटि इस अनुबंध को अमान्य नहीं करेगी, बल्कि ऐसी त्रुटि को सुधारा जाएगा। इसके बाद, इस अनुबंध की धारा 18 के तहत निर्धारित मूल्य को अनुबंध राशि में जोड़ा जाएगा या उसमें से घटाया जाएगा (जैसी भी स्थिति हो)। हालाँकि, संविदाकर्ता की 'दर अनुसूची' में किसी भी प्रकार की त्रुटि को सुधारने की अनुमति नहीं होगी।

16. **<u>मात्रा के बिल की पर्याप्तता</u>**

माना जाएगा कि संविदाकर्ता ने निविदा देने से पहले काम के लिए अपने निविदा की सही और काफ़ी होने और बिल ऑफ़ क्वांटिटीज़ और/या रेट्स और मूल्य के शेड्यूल में बताई गई कीमतों के बारे में खुद को संतुष्ट कर लिया है। ये रेट्स और कीमतें संविदा के तहत उसकी सभी ज़िम्मेदारियों, और काम को ठीक से पूरा करने के लिए ज़रूरी सभी मामलों और चीज़ों को कवर करेंगी।

17. **<u>कार्यों का मापन</u>**

सहायक प्रबंधक (टेक)/प्रबंधक (टेक) समय-समय पर संविदाकर्ता और बैंक को बता सकते हैं कि उन्हें काम का माप चाहिए, और संविदाकर्ता तुरंत मौजूद रहेंगे या सहायक प्रबंधक (टेक)/प्रबंधक (टेक) की मदद के लिए एक काबिल एजेंट भेजेंगे ताकि ऐसे माप और कैलकुलेशन किए जा सकें और सभी डिटेल्स दी जा सकें या उनमें से किसी को भी ज़रूरी मदद दी जा सके।

अगर संविदाकर्ता नहीं आता है या एजेंट को भेजने में लापरवाही करता है या चूक जाता है, तो सहायक प्रबंधक (टेक)/प्रबंधक (टेक) द्वारा लिया गया मेज़रमेंट ही काम का सही मेज़रमेंट माना जाएगा। ऐसे मेज़रमेंट स्पेसिफिकेशन्स में बताए गए मेज़रमेंट के तरीके के अनुसार लिए जाएंगे।

सभी मेज़रमेंट और लेवल, इंजीनियर-इन-चार्ज या उनके अधिकृत प्रतिनिधि और संविदाकर्ता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि मिलकर काम के दौरान समय-समय पर लेंगे और ऐसे मेज़रमेंट पर इंजीनियर-इन-चार्ज और संविदाकर्ता या उनके प्रतिनिधि अपनी मंज़ूरी के तौर पर साइन और तिथि डालेंगे। अगर संविदाकर्ता को रिकॉर्ड किए गए किसी भी मेज़रमेंट पर एतराज़ है, तो उस बारे में कारण बताते हुए एक नोट बनाया जाएगा और दोनों पार्टियों को उस पर साइन करना होगा।

अगर किसी वजह से, संविदाकर्ता या उसका अधिकृत प्रतिनिधि मौजूद नहीं है और इंचार्ज इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि द्वारा मेज़रमेंट रिकॉर्ड करने का काम रोक दिया जाता है, तो इंचार्ज इंजीनियर और एम्प्लॉयर इस वजह से हुए किसी भी नुकसान या डैमेज के लिए संविदाकर्ता का कोई क्लेम नहीं मानेंगे। अगर संविदाकर्ता या उसका अधिकृत प्रतिनिधि को तीन (3) दिन पहले लिखकर नोटिस दिए जाने के बाद भी, ऐसे मेज़रमेंट के समय मौजूद नहीं रहता है या मेज़रमेंट की तिथि से एक हफ़्ते के अंदर काउंटरसाइन नहीं करता या ऑब्जेक्शन रिकॉर्ड नहीं

करता है, तो उसकी गैरमौजूदगी में इंचार्ज इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि द्वारा रिकॉर्ड किए गए ऐसे मेज़रमेंट को संविदाकर्ता द्वारा एक्सेप्ट किया हुआ माना जाएगा।

संविदाकर्ता को, बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के, लेवल मापने और रिकॉर्ड करने के लिए हर ज़रूरी उपकरण, लेबर और दूसरी चीज़ों में पूरी मदद देनी होगी।

जब तक काम का कोई आम या डिटेल्ड ब्यौरा साफ़ तौर पर इसके उलट न दिखाए, तब तक माप, माप के स्टैंडर्ड तरीके या किसी आम या लोकल रिवाज़ के किसी भी नियम के बावजूद, स्पेसिफिकेशन्स में बताए गए तरीके के हिसाब से लिया जाएगा। जिन चीज़ों के स्पेसिफिकेशन्स नहीं आते, उनके मामले में माप, ब्यूरो ऑफ़ इंडियन स्टैंडर्ड्स (IS 1200) या किसी दूसरे ज़रूरी कोड ऑफ़ प्रैक्टिस द्वारा जारी किए गए माप के स्टैंडर्ड तरीके के हिसाब से लिया जाएगा और अगर किसी चीज़ के लिए ऐसा कोई स्टैंडर्ड मौजूद नहीं है, तो आपसी सहमति से तय तरीका अपनाया जाएगा।

संविदाकर्ता, किसी भी काम को ढकने या नाप की पहुँच से बाहर रखने से पहले, काम के इंचार्ज इंजीनियर या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को कम से कम सात दिन का नोटिस देगा, ताकि उसे नापा जा सके और उसे ढकने या नाप की पहुँच से बाहर रखने से पहले उसके सही डाइमेंशन लिए जा सकें। और वह इंचार्ज इंजीनियर या काम के इंचार्ज उसके अधिकृत प्रतिनिधि की लिखित मंज़ूरी के बिना किसी भी काम को नहीं ढकेगा और नाप की पहुँच से बाहर नहीं रखेगा। इंचार्ज इंजीनियर या उसके अधिकृत प्रतिनिधि सात दिनों के अंदर काम का इंस्पेक्शन करेंगे, और अगर कोई काम बिना नोटिस दिए या इंचार्ज इंजीनियर की लिखित मंज़ूरी लिए बिना ढका जाता है या नाप की पहुँच से बाहर रखा जाता है, तो उसे संविदाकर्ता के खर्चे पर खोला जाएगा, या ऐसा न करने पर ऐसे काम या जिस मटीरियल से उसे बनाया गया था, उसके लिए कोई भुगतान या अलाउंस नहीं दिया जाएगा।

सभी अधिकृत अतिरिक्त काम, कमियां और बैंक की पहले से लिखित मंज़ूरी से किए गए सभी बदलाव ऐसे मेज़रमेंट में शामिल किए जाएंगे।

इंजीनियर-इन-चार्ज या उनके अधिकृत प्रतिनिधि, जैसा कि ऊपर बताया गया है, खुद या डिपार्टमेंट के किसी दूसरे अधिकारी के ज़रिए, मिलकर या किसी और तरह से रिकॉर्ड किए गए मेज़रमेंट की जाँच करवा सकते हैं और ऊपर बताए गए सभी नियम मेज़रमेंट या लेवल की ऐसी जाँच पर लागू होंगे।

इस संविदा की यह भी एक शर्त है कि किसी भी काम के मेज़रमेंट को मेज़रमेंट बुक में रिकॉर्ड करना और/या अंतरिम, ऑन अकाउंट या फ़ाइनल बिल में उसका भुगतान करना, उस काम या मटीरियल के काफ़ी होने का पक्का सबूत नहीं माना जाएगा जिससे वह जुड़ा है, और न ही यह संविदाकर्ता को किसी भी ज़्यादा मेज़रमेंट या देखे गए दोष की देनदारियों से तब तक राहत देगा जब तक दोष देयता अवधि पूरा नहीं हो जाता।

18. **माप पुस्तिका**

a. जब तक कुछ और न कहा गया हो, बैंक, संविदा के हिसाब से किए गए काम की कीमत नापकर पता लगाएगा और तय करेगा। संविदाकर्ता, बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के, नापने और लेवल रिकॉर्ड करने के लिए ज़रूरी हर उपकरण, लेबर और दूसरी चीज़ों में पूरी मदद देगा।

b. वित्तीय मूल्य वाले सभी आइटम का मेज़रमेंट, A-4 साइज़ के पेज वाली कम्प्यूटराइज़्ड मेज़रमेंट बुक (CMB) में बाउंड वॉल्यूम के तौर पर दर्ज किया जाएगा (जैसा कि मेज़रमेंट बुक के साथ दिए गए प्रोफ़ॉर्मा के अनुसार है) ताकि बैंक और संविदाकर्ता के अधिकृत प्रतिनिधि के जॉइंट मेज़रमेंट के बाद संविदा के तहत किए गए सभी कामों का पूरा रिकॉर्ड मिल सके। सभी बिल (रनिंग अकाउंट (RA) और फ़ाइनल बिल) कम्प्यूटराइज़्ड मेज़रमेंट (A4 साइज़) के बाउंड वॉल्यूम में होने चाहिए, जो संविदाकर्ता देगा, पेजों के लिए मशीन नंबर सही होना चाहिए, और MB नंबर बैंक देगा। – मेज़रमेंट और एब्स्ट्रैक्ट बुक का फ़ॉर्मैट बैंक द्वारा दिया गया है।

c. बैंक इंजीनियर MB की शीट में ज़रूरी सुधार करेगा। सुधार करने के बाद, संविदाकर्ता रिवाइज़्ड कॉपी जमा करेगा। फ़ाइनल की गई, कंप्यूटराइज़्ड MB शीट के सभी पेज पर, सही चेक / टेस्ट चेक मेज़रमेंट के बाद, संविदाकर्ता के अधिकृत ऑफ़िसर के पूरे सिग्नेचर और तिथि होनी चाहिए।

जब भी बिल का भुगतान होना हो, तो संविदाकर्ता शुरू में ड्राफ्ट कंप्यूटराइज्ड मेज़रमेंट शीट जमा करेगा और इन मेज़रमेंट को इंजीनियर-इन-चार्ज और/या उसके ऑथराइज्ड प्रतिनिधि से चेक/टेस्ट चेक करवाया जाएगा। इसके बाद, संविदाकर्ता इन चेक/टेस्ट चेक के दौरान किए गए बदलावों को अपने ड्राफ्ट कंप्यूटराइज्ड मेज़रमेंट में शामिल करेगा, और एम्प्लॉयर को एक कंप्यूटराइज्ड मेज़रमेंट बुक जमा करेगा, जो ठीक से बाउंड होगी, और जिसके पेज मशीन नंबर वाले होंगे। इसके बाद इंजीनियर-इन-चार्ज और/या उसका ऑथराइज्ड प्रतिनिधि इस MB को चेक करेगा, और अपने चेक/टेस्ट चेक के लिए ज़रूरी प्रमाणपत्र रिकॉर्ड करेगा।

संविदाकर्ता जो फ़ाइनल, सही, कंप्यूटराइज़्ड मेज़रमेंट बुक देगा, जो ठीक से बाउंड हो, जिसके पेज मशीन नंबर वाले हों, वह 100% सही होनी चाहिए, और उसके बाद मेज़रमेंट में कोई कटिंग या ओवर-राइटिंग की इजाज़त नहीं होगी। अगर कोई गलती दिखती है, तो संविदाकर्ता को एम्प्लॉयर से पहले की MB कैंसल करवाने के बाद, उसके पेज ठीक से मशीन नंबर वाले और बाउंड होकर एक नई कंप्यूटराइज़्ड MB जमा करनी होगी। इसके बाद, MB को ऑफिस के रिकॉर्ड में लिया जाएगा, और कंप्यूटराइज़्ड MB के रजिस्टर के अनुसार उसे एक नंबर दिया जाएगा। यह भुगतान के लिए ऑफिस में बिल जमा करने से पहले किया जाना चाहिए। संविदाकर्ता एम्प्लॉयर के संबंधित अधिकारियों द्वारा रेफरेंस और रिकॉर्ड के लिए ऐसी कंप्यूटराइज़्ड MB की दो अतिरिक्त कॉपी जमा करेगा।

संविदाकर्ता एम्प्लॉयर को अलग से अपना कंप्यूटराइज़्ड कॉस्टा का एब्स्ट्रैक्ट भी देगा, जो साथ में दिए गए फॉर्मेट में होगा और इन मेज़रमेंट के आधार पर बिल, जो ठीक से बाउंड होगा और जिसके पेज मशीन नंबर वाले होंगे, साथ ही बिल की दो अतिरिक्त कॉपी भी देगा। इसके बाद, एम्प्लॉयर इस बिल को प्रोसेस करेगा और मेज़रमेंट के लिए बनी मेज़रमेंट बुक की तरह ही कंप्यूटराइज़्ड रिकॉर्ड के अनुसार एक नंबर देगा।

19. <u>अतिरिक्त के लिए कीमतों का पता लगाना</u>

संविदाकर्ता, बैंक से अधिकृत होने पर, ड्रॉइंग में दिखाए गए, या स्पेसिफिकेशन में बताए गए, या बिल ऑफ़ क्वांटिटीज़ में शामिल कामों में कुछ जोड़ सकता है, कुछ हटा सकता है, या कुछ बदल सकता है, लेकिन

संविदाकर्ता ऐसे ऑथराइज़ेशन या डायरेक्शन के बिना कुछ भी नहीं जोड़ेगा, कुछ नहीं हटाएगा या कुछ नहीं बदलेगा। बैंक द्वारा जारी किया गया कोई भी वर्बल अथॉरिटी या डायरेक्शन लिखित में दिया गया माना जाएगा, बशर्ते बैंक ऐसे इंस्ट्रक्शन/डायरेक्शन जारी होने के सात (7) दिनों के अंदर लिखित में इसकी पुष्टि कर दे।

काम के लिए कोई क्लेम तब तक मंज़ूर नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह बैंक की मंज़ूरी से क्लॉज़ 2 के प्रोविज़न के तहत न किया गया हो, जैसा कि यहाँ बताया गया है। ऐसे किसी भी अतिरिक्त काम को यहाँ अधिकृत अतिरिक्त कहा गया है और इसे नीचे दिए गए प्रोविज़न के अनुसार किया जाएगा।

i. a. मूल निविदा में नेट रेट या कीमतें अतिरिक्त काम की वैल्यूएशन तय करेंगी, जहाँ ऐसा अतिरिक्त काम उसी तरह का हो और उसी तरह की कंडीशन में किया गया हो, जैसा कि उसमें कीमत वाले काम में किया गया है, और क्वांटिटी में 20% की बढ़ोतरी तक।
 b. सभी चीज़ों के रेट, जहाँ तक हो सके, प्राइस्ड बिल ऑफ़ क्वांटिटीज़ में दिए गए रेट से निकाले जाने चाहिए।

ii. मूल निविदा की नेट कीमतों से छोड़ी गई चीज़ों की वैल्यू तय होगी, लेकिन अगर किसी चीज़ को छोड़ने से उन शर्तों में बदलाव होता है जिनके तहत काम के बाकी आइटम किए जाते हैं, तो उनकी कीमतों का वैल्यूएशन इसके सब-क्लॉज (c) के तहत किया जाएगा।

iii. जहां अतिरिक्त काम पहले बताए गए जैसे नहीं हैं और/या वैसी ही शर्तों के तहत किए गए हैं या जहां चूक उन शर्तों में बदलाव करती है जिनके तहत काम के बाकी आइटम किए जाते हैं या अगर किसी चूक या बढ़ोतरी की रकम, पूरे संविदा काम या उसके किसी हिस्से की रकम के मुकाबले ऐसी हो कि बैंक की राय में, प्राइस्ड बिल ऑफ़ क्वांटिटीज़ या निविदा में या काम के किसी आइटम के लिए नेट रेट या कीमत में संविदाकर्ता द्वारा सोचे गए नुकसान या खर्च से ज़्यादा नुकसान या खर्च शामिल हो या ऐसी चूक या बढ़ोतरी की वजह से यह गलत या लागू न हो, तो बैंक ऐसी दूसरी रेट या कीमत तय करेगा जो उसे हालात के हिसाब से सही और उचित लगे।

iv. जहां अतिरिक्त काम को ठीक से मापा या वैल्यू नहीं किया जा सकता, वहां संविदाकर्ता को लोकल डे वर्क रेट और जिले की मज़दूरी के हिसाब से नेट रेट पर डे वर्क मूल्य दिए जाएंगे, लेकिन दोनों ही मामलों में, रोज़ाना लगने वाले समय और इस्तेमाल हुए सामान के बारे में बताने वाले वाउचर, काम पूरा होने के अगले हफ़्ते के आखिर तक या उससे पहले बैंक को वेरिफ़िकेशन के लिए दिए जाएं।

v. यह भी साफ़ किया जाता है कि ऐसे सभी अधिकृत अतिरिक्त आइटम के लिए, जिनके रेट निविदा से नहीं निकाले जा सकते या किसी भी निविदा आइटम की क्वांटिटी बिल ऑफ़ क्वांटिटीज़ से 20% ज़्यादा हो जाती है, संविदाकर्ता को "एक्चुअल कॉस्ट बेसिस" पर किए गए रेट एनालिसिस के आधार पर रेट तय करने होंगे, साथ ही एस्टैब्लिशमेंट चार्ज, संविदाकर्ता के ओवरहेड और प्रॉफ़िट के लिए 15% जोड़ना होगा। ऐसे आइटम एस्केलेशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे।

संविदा के संबंध में माप और मूल्यांकन अपेंडिक्स में बताए गए "फाइनल माप के समय" के अंदर पूरा किया जाएगा, या अगर नहीं बताया गया है तो क्लॉज 23 में बताए गए संविदा के काम के पूरा होने के छह महीने के अंदर पूरा किया जाएगा।

20. **अनफिक्स्ड मटेरियल जब बैंक की प्रॉपर्टी मानी जाती है**

काम की जगह पर या उसके आस-पास रखे बिना ठीक किए गए सामान की कीमत वाले प्रमाणपत्र का पूरा भुगतान करने पर, उन सामान का मालिकाना हक पूरी तरह से बैंक के पास चला जाता है। संविदाकर्ता इन सामान को साइट से तब तक नहीं हटाएगा जब तक कि बैंक लिखकर इजाज़त न दे, सिवाय काम में सीधे इस्तेमाल के लिए। संविदाकर्ता किसी भी वजह से ऐसे सामान के किसी भी नुकसान या क्षति के लिए कानूनी और फाइनेंशियल रूप से ज़िम्मेदार होगा।

21. **अनुचित कार्य को हटाना**

काम के दौरान, बैंक को समय-समय पर लिखकर ऑर्डर देने का अधिकार होगा कि ऑर्डर में बताए गए सही समय या समय के अंदर काम से ऐसे किसी भी सामान को हटा दिया जाए जो बैंक की राय में बैंक के स्पेसिफिकेशन्स या निर्देशों के मुताबिक नहीं है, सही सामान लगाया जाए, और ऐसे किसी भी काम को हटाया जाए और ठीक से दोबारा किया जाए जो ड्रॉइंग्स और स्पेसिफिकेशन्स या निर्देशों के मुताबिक नहीं है, और संविदाकर्ता तुरंत अपने खर्चे पर ऐसे ऑर्डर को पूरा करेगा। अगर संविदाकर्ता ऐसे ऑर्डर को पूरा करने में चूक करता है, तो बैंक के पास इसे पूरा करने के लिए दूसरे लोगों को काम पर रखने और उन्हें पैसे देने का अधिकार होगा, और इसके बाद या उससे जुड़े सभी खर्च संविदाकर्ता उठाएगा, या बैंक संविदाकर्ता को मिलने वाले किसी भी पैसे में से काट सकता है, या जो मिलने वाला हो सकता है।

22. **वर्चुअल समापन के बाद दोष**

कोई भी दोष, सिकुड़न, जमाव या कोई और खराबी जो अपेंडिक्स में बताए गए "दोष देयता अवधि" के अंदर दिखे, अगर कुछ नहीं बताया गया है, **तो काम लगभग पूरा होने के 12 महीने के अंदर**, जो बैंक की राय में संविदा के हिसाब से नहीं बने मटीरियल या कारीगरी की वजह से हो, उसे बैंक के लिखे हुए निर्देशों पर, और उसमें बताए गए सही समय के अंदर, संविदाकर्ता अपने खर्च पर ठीक करेगा और उसमें बदलाव करेगा।
अगर कोई गलती होती है, तो बैंक ऐसे दोष, दूसरी गलतियों को ठीक करने और उन्हें ठीक करने के लिए दूसरे लोगों को काम पर रख सकता है और उन्हें पैसे दे सकता है, और इसके कारण या उससे जुड़े सभी नुकसान, हानि और खर्च की भरपाई संविदाकर्ता करेगा और उसे वहन करना होगा। ऐसे नुकसान, हानि और खर्च की

भरपाई बैंक उससे करेगा या बैंक संविदाकर्ता को मिलने वाले किसी भी पैसे में से काट सकता है, या बैंक संविदाकर्ता द्वारा ऐसे बदलाव और उन्हें ठीक करने के बदले में, संविदाकर्ता को मिलने वाले किसी भी पैसे में से, बैंक द्वारा तय की गई रकम, ऐसे काम को ठीक करने की लागत के बराबर काट सकता है और अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर रखी गई रकम काफी नहीं है, तो बाकी रकम संविदाकर्ता से वसूल करेगा, साथ ही बैंक ने इससे जुड़े जो भी खर्च किए हों, उन्हें भी। अगर किसी उप-संविदाकर्ता ने, जिसे बैंक ने क्लॉज़ 13 और 24 के अनुसार नॉमिनेट या अप्रूव किया है, कोई खराब काम किया है या सामान सप्लाई किया है, तो संविदाकर्ता को उसे ठीक करना होगा, जैसे कि वह काम या सामान संविदाकर्ता ने किया हो या सप्लाई किया हो और वह इस क्लॉज़ और क्लॉज़ 2 के नियमों के तहत आता हो। बैंक द्वारा किसी भी प्रमाणपत्र पर साइन करने या कोई अकाउंट पास करने के बावजूद, संविदाकर्ता इस क्लॉज़ के नियमों के तहत ज़िम्मेदार रहेगा।

23. **<u>वर्चुअल समापन का प्रमाणपत्र और दोष देयता अवधि</u>**

जब तक बैंक लिखकर यह सर्टिफ़ाई नहीं कर देता कि काम लगभग पूरा हो गया है, तब तक काम को पूरा नहीं माना जाएगा। दोष देयता अवधि ऐसे सर्टिफ़िकेट की तिथि/काम पूरा होने की तिथि से शुरू होगा।

24. **<u>नामित उप-संविदाकर्ता</u>**

सभी स्पेशलिस्ट, मर्चेंट, ट्रेड्समैन और दूसरे लोग जो किसी भी सामान की सप्लाई और फिक्सिंग का काम करते हैं, जिसके लिए प्राइम कॉस्ट मूल्य या प्रोविजनल रकम बिल ऑफ़ क्वांटिटीज़ और/या स्पेसिफिकेशन्स में शामिल होती है, जिन्हें बैंक नॉमिनेट या चुन सकता है, उन्हें संविदाकर्ता द्वारा काम पर रखे गए उप-संविदाकर्ता घोषित किया जाता है और उन्हें यहाँ नॉमिनेटेड उप-संविदाकर्ता कहा गया है।

ऐसे किसी भी नॉमिनेटेड उप-संविदाकर्ता को काम पर या काम के सिलसिले में काम पर नहीं रखा जाएगा, जिसके खिलाफ संविदाकर्ता को सही एतराज़ हो या (सिवाय इसके कि बैंक और संविदाकर्ता किसी और तरह से सहमत हों) जो संविदा में शामिल नहीं होगा, बशर्ते कि

i. नॉमिनेटेड उप-संविदाकर्ता, उप-संविदाकर्ता के संबंध में संविदाकर्ता की ज़िम्मेदारी के लिए संविदाकर्ता को हर्जाना देंगे, जैसा कि संविदाकर्ता इस संविदा के संबंध में है।
ii. यह कि नॉमिनेटेड उप-संविदाकर्ता, उप-संविदाकर्ता, उसके नौकरों या एजेंट की किसी भी लापरवाही या उसके या उनके द्वारा किसी भी मचान या दूसरे प्लांट, संविदाकर्ता की प्रॉपर्टी या किसी भी लागू वर्कमैन्स कम्पनसेशन एक्ट के गलत इस्तेमाल के दावों के खिलाफ संविदाकर्ता को हर्जाना देगा।
iii. नॉमिनेटेड उप-संविदाकर्ता को भुगतान चौदह दिनों के अंदर करना होगा, बशर्ते कि पिछले प्रमाणपत्र में शामिल नॉमिनेटेड उप-संविदाकर्ता के सभी अकाउंट सही तरीके से डिस्चार्ज हो गए हों, ऐसा न करने पर, बैंक भुगतान कर सकता है और संविदाकर्ता को मिलने वाली किसी भी रकम में से उसकी रकम काट सकता है। इस पावर का इस्तेमाल करने से बैंक और उप-संविदाकर्ता के बीच संविदा की प्राइवेसी नहीं बनेगी।

25. **<u>बैंक द्वारा नियोजित अन्य व्यक्ति</u>**

बैंक इस संविदा में शामिल नहीं किए गए किसी भी काम को करने के लिए एस्टेट और साइट के किसी भी हिस्से का इस्तेमाल करने का अधिकार रखता है, जिसे वह किसी और से करवाना चाहता है, और संविदाकर्ता ऐसे काम को करने के लिए सभी ज़रूरी सुविधाएँ देगा, लेकिन उसे ऐसे काम को करने के लिए कोई प्लांट या सामान देने की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसा काम इस तरह से किया जाएगा कि संविदा में शामिल कामों की तरक्की में कोई रुकावट न आए और संविदाकर्ता ऐसे काम से होने वाले किसी भी नुकसान या देरी के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा।

26. **<u>व्यक्ति और संपत्ति को हुए नुकसान के संबंध में बीमा</u>**

संविदाकर्ता अपने खर्च पर, इस **संविदा** के तहत काम शुरू होने की **तिथि** से लेकर **समापन प्रमाणपत्र** जारी होने तक, एक अप्रूव्ड इंश्योरेंस कंपनी के साथ, **संविदा** की रकम के बराबर रकम के लिए, जिसमें भूकंप का खतरा भी शामिल है, बैंक और **संविदाकर्ता** के जॉइंट नाम पर एक ऑल रिस्क पॉलिसी लागू करेगा और बनाए रखेगा। यह पॉलिसी **संविदाकर्ताओं** के लिए स्टैंडर्ड ऑल रिस्क पॉलिसी के अनुसार सभी रिस्क के लिए होगी (पॉलिसी में **संविदाकर्ता** का नाम पहले रखा जाएगा)। और काम शुरू करने से पहले ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को बैंक में जमा कर देगा।

संविदाकर्ता को लोगों, जानवरों या चीज़ों को लगी सभी चोटों, और प्रॉपर्टी को हुए सभी स्ट्रक्चरल और डेकोरेटिव नुकसान के लिए ज़िम्मेदार माना जाएगा, जो संविदाकर्ता या उसके वर्कर या किसी नॉमिनेटेड उप-संविदाकर्ता या किसी कर्मचारी या दोनों के ऑपरेशन या लापरवाही से हो सकता है, चाहे ऐसी चोट या नुकसान लापरवाही, एक्सीडेंट या किसी भी दूसरे कारण से हुआ हो, जो इस संविदा को पूरा करने से किसी भी तरह से जुड़ा हो। इस क्लॉज़ के तहत ज़िम्मेदारी में, दूसरी बातों के अलावा, बिल्डिंग को हुआ कोई भी नुकसान, चाहे वह उसके ठीक बगल में हो या कहीं और, और सड़कों, गलियों, फुटपाथ, पुलों या रास्तों को हुआ कोई भी नुकसान, साथ ही बिल्डिंग और इस संविदा के तहत आने वाले दूसरे स्ट्रक्चर और कामों को हुआ कोई भी नुकसान शामिल होगा। संविदाकर्ता बिल्डिंग और इस संविदा के तहत आने वाले दूसरे स्ट्रक्चर और कामों को पाले, बारिश, हवा या मौसम की दूसरी खराबियों से हुए किसी भी नुकसान के लिए भी ज़िम्मेदार होगा। संविदाकर्ता बैंक को क्षतिपूर्ति देगा और क्षतिपूर्ति देता रहेगा तथा पूर्वोक्त किसी भी चोट या क्षति से उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान और खर्च के संबंध में और किसी भी क़ानून के तहत या अन्यथा चोट या क्षति के संबंध में किए गए किसी भी दावे के विरुद्ध और ऐसे दावे के परिणामस्वरूप मुआवजे या क्षति के किसी भी पुरस्कार के संबंध में उसे हानिरहित रखेगा।

संविदाकर्ता इस क्लॉज़ में बताए गए हर तरह के नुकसान की भरपाई करेगा, ताकि संविदा का पूरा काम हर तरह से पूरा और सही तरीके से किया जा सके और थर्ड पार्टी की प्रॉपर्टी को हुए नुकसान के सभी दावों की भरपाई की जा सके या उन्हें पूरा किया जा सके। संविदाकर्ता बैंक को उन सभी दावों के लिए भी हर्जाना देगा और हर्जाना देता रहेगा जो किसी भी व्यक्ति/आम आदमी या दूसरे **थर्ड पार्टी द्वारा** काम के संबंध में या उसके नतीजे में होने वाली किसी भी चीज़ के लिए बैंक के खिलाफ किए जा सकते **हैं। और अपने खर्च पर,** संविदा **शुरू होने की** तिथि **से लेकर** संविदा **पूरा होने तक, एक अप्रूव्ड इंश्योरेंस कंपनी के साथ ऐसे जोखिमों के खिलाफ बैंक और** संविदाकर्ता **(पॉलिसी में** संविदाकर्ता **का नाम पहले रखा जाएगा) के जॉइंट नाम से एक इंश्योरेंस पॉलिसी लागू करने और बनाए रखने का इंतज़ाम करेगा और काम शुरू होने से पहले ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को बैंक में जमा कर देगा।** पॉलिसी के तहत कवरेज की मिनिमम लिमिट संविदा की जनरल कंडीशन

में कहीं और बताई गई होगी। संविदाकर्ता इसी तरह बैंक को उन सभी दावों से भी हर्जाना देगा जो बैंक पर **वर्कमैन कम्पनसेशन एक्ट** या इस संविदा के चलने के दौरान लागू किसी दूसरे कानून के तहत या संविदाकर्ता के किसी कर्मचारी या किसी उप-संविदाकर्ता के संबंध में कॉमन लॉ के तहत **किए जा सकते हैं। और वह अपने खर्चे पर,** संविदा **शुरू होने की** तिथि **से लेकर** संविदा **पूरा होने तक, एक मंज़ूर इंश्योरेंस कंपनी के साथ ऐसे जोखिमों के खिलाफ बैंक और** संविदाकर्ता **के जॉइंट नाम से एक इंश्योरेंस पॉलिसी बनाएगा (पॉलिसी में** संविदाकर्ता **का नाम पहले रखा जाएगा) और** संविदा **के चलने के दौरान समय-समय पर ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को बैंक में जमा करेगा। अगर** संविदाकर्ता ऊपर बताए गए तरीके से पक्का नहीं करता है, तो बैंक ऐसा पक्का कर सकता है और भुगतान किए गए प्रीमियम को संविदाकर्ता को मिलने वाले या मिलने वाले किसी भी पैसे से काट सकता है।

संविदाकर्ता किसी भी ऐसी देयता के लिए ज़िम्मेदार होगा जिसे ऊपर बताई गई इंश्योरेंस पॉलिसियों से बाहर रखा जा सकता है और इस संविदा को लापरवाही या गलत तरीके से पूरा करने की वजह से किसी भी व्यक्ति, जानवर या प्रॉपर्टी को होने वाले सभी दूसरे नुकसानों के लिए भी, चाहे नुकसान किसी भी वजह से हुआ हो। वह काम से जुड़े किसी भी क्लेम या कार्रवाई से होने वाले सभी और किसी भी कॉस्ट, चार्ज या खर्च के लिए और उससे होने वाले किसी भी कम्पनसेशन या डैमेज के अवार्ड के लिए भी बैंक को हर्जाना देगा और हर्जाना देता रहेगा। ऐसे डिफॉल्ट के संबंध में संविदाकर्ता के खिलाफ बैंक के दूसरे अधिकारों पर कोई असर डाले बिना, बैंक संविदाकर्ता को देने वाली किसी भी रकम में से बैंक द्वारा दिए गए किसी भी डैमेज, कम्पनसेशन, कॉस्ट, चार्ज और दूसरे खर्चों की रकम काटने का हकदार होगा, जो इस क्लॉज के तहत संविदाकर्ता को देने हैं। इस क्लॉज के तहत ली गई पॉलिसी के तहत इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ किए गए किसी भी क्लेम का सेटलमेंट होने पर, संविदाकर्ता पूरी सावधानी के साथ नष्ट या डैमेज हुए कामों को फिर से बनाने या रिपेयर करने के लिए आगे बढ़ेगा। इस मामले में, ऐसे नुकसान के लिए इंश्योरेंस कंपनी से मिला सारा पैसा संविदाकर्ता को दिया जाएगा और संविदाकर्ता, खराब हुए सामान या सामान को बनाने या उसकी मरम्मत पर हुए खर्च के लिए कोई और भुगतान पाने का हकदार नहीं होगा।
नुकसान के बाद दोबारा बनाने या ठीक करने के मामले में, संविदाकर्ता को काम पूरा करने के लिए बैंक की समझ के हिसाब से समय बढ़ाने का हक होगा, लेकिन, यहां बताए गए किसी भी क्लेम के सेटलमेंट में इंश्योरेंस कंपनी द्वारा आखिर में दी गई रकम में किसी भी कमी या कमी के लिए बैंक से रीइंबर्समेंट का हकदार नहीं होगा।

इस क्लॉज़ के तहत अपनी ज़िम्मेदारी पर कोई असर डाले बिना, संविदाकर्ता सभी नॉमिनेटेड उप-संविदाकर्ता से उनके काम के हिस्सों के लिए इस क्लॉज़ के नियमों के अनुसार एक जैसी इंश्योरेंस पॉलिसी भी लागू करवाएगा और बैंक को ऐसी पॉलिसी दिखाएगा या बनवाएगा। संविदाकर्ता किसी नॉमिनेटेड उप-संविदाकर्ता को साइट पर काम शुरू करने की इजाज़त तब तक नहीं देगा जब तक कि वह इंश्योरेंस पॉलिसी जमा न कर दे। अगर उप-संविदाकर्ता साइट पर काम शुरू करने से पहले ऐसी पॉलिसी या इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेता है, तो संविदाकर्ता उस उप-संविदाकर्ता से जुड़े किसी भी क्लेम या नुकसान के लिए ज़िम्मेदार होगा।
ऊपर बताई गई इंश्योरेंस से जुड़ी सभी शर्तों को पूरा करने के लिए, संविदाकर्ता को वर्क ऑर्डर जारी होने की तिथि से 14 दिनों के अंदर, अपने खर्च पर काम का इंश्योरेंस कराना होगा और काम के लगभग पूरा होने तक,

आग से होने वाले नुकसान या क्षति के खिलाफ, बैंक और संविदाकर्ता के जॉइंट नाम से एक ऑफिस (बैंक का नाम यानी "RESERVE BANK OF INDIA" पॉलिसी में सबसे पहले रखा जाएगा) के साथ इंश्योरेंस रखना होगा। इसमें नीचे दिए गए रिस्क कवर होंगे।

i. **संविदाकर्ता की ऑल रिस्क (CAR) पॉलिसी** इंश्योरेंस में स्टोरेज, इरेक्शन, टेस्टिंग और कमीशनिंग पॉलिसी शामिल है, जो पूरे संविदा वैल्यू के लिए है, जिसमें आग लगने का खतरा भी शामिल है, और मैन्युफैक्चरर के काम से साइट तक ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रांजिट इंश्योरेंस (हवा/समुद्र/सड़क वगैरह से, जैसा भी लागू हो)।
ii. साइट पर संविदाकर्ता के कर्मचारियों के लिए **वर्कमैन कम्पेनसेशन पॉलिसी।**
iii. **थर्ड पार्टी देयता पॉलिसी,** हर एक्सीडेंट पर 2 लाख रुपये की लिमिट के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा 3 एक्सीडेंट तक।

नोट: अगर संविदाकर्ता ये पॉलिसी नहीं देता है, तो बैंक के पास यह अधिकार है कि वह ऊपर बताई गई इंश्योरेंस पॉलिसी खुद ले ले और संविदाकर्ता के बिल से **पेनल्टी के तौर पर दोगुनी कीमत वसूले या कोई और कार्रवाई करे, जैसा वह ठीक समझे।**

27. **<u>प्रारंभ और समापन की तिथि</u>**

संविदाकर्ता को अपेंडिक्स में बताई गई "शुरू होने की तिथि" या बैंक द्वारा बताई गई किसी बाद की तिथि को साइट पर आने की इजाज़त दी जाएगी और वह उसके तुरंत बाद काम शुरू कर देगा और रेगुलर तौर पर काम करेगा और उसे अपेंडिक्स में बताई गई "पूरा होने की तिथि" को या उससे पहले पूरा करेगा (ऐसे पेंटिंग या दूसरे सजावटी काम को छोड़कर जिन्हें बैंक देर करना चाहे) लेकिन इसके बाद दिए गए समय बढ़ाने के नियमों के अधीन।

28. **<u>काम पूरा न होने पर हर्जाना</u>**

अगर संविदाकर्ता काम की ज़रूरी प्रोग्रेस बनाए रखने में फेल हो जाता है और संविदा में तय समय तक या टाइम एक्सटेंशन क्लॉज़ 29 के तहत किसी भी बढ़े हुए समय के अंदर काम पूरा नहीं कर पाता है और बैंक लिखकर सर्टिफ़ाई करता है कि उसकी राय में काम ठीक से पूरा हो जाना चाहिए था, तो संविदाकर्ता बैंक को "लिक्विडेटेड डैमेज की रिकवरी काम पूरा होने में हर हफ़्ते की देरी के लिए एक्सेप्टेड निविदा राशि के 0.25% की दर से होगी और एक्सेप्टेड निविदा राशि के 10% की मैक्सिमम लिमिट के तहत होगी" के लिए एक राशि देगा। संविदाकर्ता इसके द्वारा खास तौर पर सहमत होता है और बैंक को ऑथराइज़ करता है कि वह इस संविदा के हिसाब से संविदाकर्ता को मिलने वाली भुगतान की किसी भी इंस्टॉलमेंट से या रिटेंशन मनी से ऐसे लिक्विडेटेड डैमेज, अगर कोई हो, काट ले।

29. **<u>विलंब और समय विस्तार</u>**

अगर बैंक की राय में, दिए गए काम में देरी होती है (a) किसी बड़ी वजह से या (b) किसी बहुत खराब मौसम की वजह से या (c) आस-पास के या पड़ोसी मालिकों या पब्लिक अथॉरिटीज़ द्वारा की गई कार्रवाई या धमकी या

उनके साथ विवाद की वजह से, जो संविदाकर्ता की अपनी गलती के अलावा किसी और वजह से हुआ हो या (d) बैंक द्वारा हायर या नॉमिनेट किए गए दूसरे संविदाकर्ता या ट्रेड्समैन के काम या देरी की वजह से, जिनका ज़िक्र बिल ऑफ़ क्वांटिटीज़ और/या स्पेसिफिकेशन में नहीं है या (e) क्लॉज़ 2 के अनुसार बैंक के निर्देशों की वजह से या (f) सिविल हंगामे, मज़दूरों के कानूनी मेल या हड़ताल या लॉक-आउट की वजह से, जिससे बिल्डिंग के किसी भी काम पर असर पड़ रहा हो या (g) संविदाकर्ता को बैंक से ज़रूरी निर्देश समय पर न मिलने की वजह से, जिसके लिए उसने खास तौर पर लिखकर अप्लाई किया हो या (h) दूसरे कारणों से जिन्हें बैंक संविदाकर्ता के कंट्रोल से बाहर सर्टिफ़ाई कर सकता है या (i) अगर काम की कीमत कीमत वाले बिल ऑफ़ क्वांटिटीज़ की कीमत से ज़्यादा हो जाती है, तो बैंक संविदा का काम पूरा करने के लिए सही और सही समय बढ़ा सकता है। ऐसी हड़ताल या लॉक-आउट की स्थिति में भी, संविदाकर्ता देरी को रोकने के लिए लगातार कोशिश करेगा और काम को आगे बढ़ाने के लिए बैंक की संतुष्टि के लिए वह सब करेगा जो ज़रूरी हो सकता है।

अगर संविदाकर्ता को काम पूरा करने के लिए समय बढ़ाना है या अगर संविदा में तय समय से ज़्यादा किसी वजह से काम पूरा होने में देरी होती है, तो संविदाकर्ता को तय समय खत्म होने से कम से कम 7 दिन पहले बैंक में लिखकर समय बढ़ाने के लिए अप्लाई करना होगा और समय बढ़ाने के लिए अप्लाई करते समय, संविदाकर्ता को देरी के लिए डिटेल में कारण और अपनी सफाई देनी होगी, साथ ही कागजी सबूत (बाधा रजिस्टर के ज़रूरी पन्नों की कॉपी), अगर कोई हो, भी देना होगा। सिर्फ़ बैंक द्वारा दी गई समय बढ़ाने की अवधि (संविदाकर्ता से एप्लीकेशन मिलने पर या देरी के कारणों के सही होने के बारे में ऐसे किसी एप्लीकेशन के सर्टिफ़िकेट के न होने पर भी) ही लिक्विडेटेड डैमेज लगाने से छूट के लिए क्वालिफ़ाई होगी। मूल तय समय से ज़्यादा बची हुई अवधि और बैंक द्वारा दी गई अधिकृत समय बढ़ाने के लिए , क्लॉज़ 28 के तहत बताया गया लिक्विडेटेड डैमेज का प्रोविज़न लागू होगा।

इसके अलावा, संविदा पूरा होने की तय तिथि के बाद भी लागू रहेगा, भले ही संविदाकर्ता ने काम पूरा करने के लिए समय बढ़ाने के लिए अप्लाई किया हो या नहीं, जब तक कि बैंक संविदा खत्म करने का फैसला न कर ले। किसी भी वजह से काम पूरा होने में देरी होने पर संविदाकर्ता को रेट में बदलाव या किसी भी वजह से अतिरिक्त मुआवज़े का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
फ़ोर्स मैज्योर की शर्तें इस प्रकार हैं:

i. इस **दस्तावेज़** में दी गई किसी भी दूसरी बात के बावजूद, कोई भी पार्टी अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने में किसी भी देरी के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगी, अगर ऐसी देरी उन हालात की वजह से होती है जो उसके कंट्रोल से बाहर हैं, जिसमें बिना किसी लिमिट के सरकार के काम, भगवान के काम, कुदरती आफ़त, हड़ताल, किसी भी इलाके में दंगे, आतंकवादी हमला, युद्ध (घोषित और अघोषित) की वजह से हुई कोई भी देरी शामिल है। हालांकि, देरी की वजह बनने वाली ऐसी किसी भी घटना के होने पर, **संविदाकर्ता** को तुरंत बैंक को लिखकर इसकी सूचना देनी होगी। **संविदाकर्ता** की यह ज़िम्मेदारी है कि वह फ़ोर्स मेज्योर घटना के असर को कम करने के लिए ज़रूरी कदम उठाए।
ii. ऐसी घटना की वजह से, कोई भी पार्टी अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए **संविदा** खत्म करने की हकदार नहीं होगी।
iii. **संविदा** के तहत ज़िम्मेदारियाँ, घटना के खत्म होने या खत्म होने के बाद जितनी जल्दी हो सके फिर से शुरू हो

जाएँगी। अगर **संविदा** के तहत किसी ज़िम्मेदारी को पूरा करने में, घटना की वजह से आपसी सहमति से तय समय से ज़्यादा समय लगता है या देरी होती है, तो कोई भी पार्टी अपनी मर्ज़ी से **संविदा** खत्म कर सकती है।

30. संविदाकर्ता **द्वारा बैंक के निर्देशों का पालन न करना**

अगर संविदाकर्ता बैंक से लिखित नोटिस मिलने के बाद, जिसमें दस दिनों के अंदर नियमों का पालन करने की ज़रूरत है, ऐसे आगे के ड्रॉइंग का पालन नहीं करता है, तो बैंक ऐसे किसी भी काम को करने के लिए दूसरे लोगों को काम पर रख सकता है और उन्हें पैसे दे सकता है, जो इसे लागू करने के लिए ज़रूरी हो, और इससे जुड़े सभी खर्च बैंक संविदाकर्ता से कर्ज़ के तौर पर वसूल कर सकता है या संविदाकर्ता को मिलने वाले किसी भी पैसे में से काट सकता है।

31. **बैंक द्वारा** संविदा **की समाप्ति**

यदि संविदाकर्ता, एक व्यक्ति या फर्म होने के नाते कोई "दिवालियापन का कार्य" करता है, या दिवालिया घोषित किया जाता है या एक निगमित कंपनी होने के नाते उसके खिलाफ अनिवार्य समापन का आदेश दिया जाएगा या स्वेच्छा से या न्यायालय और आधिकारिक समनुदेशिती या परिसमापक की निगरानी में समापन के लिए एक प्रभावी प्रस्ताव पारित किया जाएगा, ऐसे दिवालियापन या समापन के कार्यों में, जैसा भी मामला हो, उसे ऐसा करने की आवश्यकता वाले नोटिस के सात दिनों के अंदर, बैंक की उचित संतुष्टि दिखाने में असमर्थ होगा कि वह संविदा को पूरा करने और पूरा करने में सक्षम है और यदि बैंक द्वारा ऐसा अपेक्षित हो तो उसके लिए सुरक्षा दे सकता है।

या अगर संविदाकर्ता (चाहे वह कोई व्यक्ति, फर्म या इनकॉरपोरेटेड कंपनी हो) संविदाकर्ता के खिलाफ कोर्ट से प्रॉपर्टी संलग्न करने का एग्जीक्यूशन या कोई और प्रोसेस झेलता है,

या इस संविदा के तहत किसी भी भुगतान को संविदाकर्ता के किसी भी क्रेडिटर द्वारा या उसकी ओर से संलग्न होने देगा,

या बैंक की लिखित सहमति के बिना इस संविदा को असाइन या सबलेट नहीं करेगा,

या इस संविदा या संविदाकर्ता को इसके तहत मिलने वाले किसी भी भुगतान पर कोई चार्ज या बोझ नहीं डालेगा,

या अगर बैंक यह तय करता है कि संविदाकर्ता

i. संविदा छोड़ दिया है, या
ii. काम शुरू करने में नाकाम रहा है, या उन शर्तों के तहत बिना किसी कानूनी वजह के बैंक से काम शुरू करने का नोटिस मिलने के बाद 14 दिनों के लिए काम रोक दिया है, या

iii. काम को पूरी सावधानी से आगे बढ़ाने में नाकाम रहा हो और ऐसी सही तरक्की करने में नाकाम रहा हो जिससे काम तय समय में पूरा हो सके, या

iv. लिखित नोटिस मिलने के सात दिन बाद तक साइट से सामान हटाने या गिराने और बदलने में नाकाम रहा है कि उक्त सामान या काम को इन शर्तों के तहत बैंक ने खारिज कर दिया है या

v. संविदा द्वारा पालन किए जाने वाले सभी कार्यों, मामलों या चीजों का पालन करने और निष्पादित करने में संविदाकर्ता द्वारा सात दिनों के भीतर उपेक्षा की गई है या लगातार विफल रहा है, जिसके बाद संविदाकर्ता को लिखित नोटिस दिया जाएगा जिसमें संविदाकर्ता को इसका पालन करने या निष्पादित करने की आवश्यकता होगी।

तब और ऐसे किसी भी मामले में, बैंक, किसी भी पिछली छूट के बावजूद, संविदाकर्ता को सात दिन का लिखित नोटिस देने के बाद, संविदाकर्ता का संविदा और देनदारियां तय कर सकता है, जो पूरी तरह से वैसे ही लागू रहेगा जैसे संविदा तय ही नहीं हुआ था, और जैसे बाद में किए गए काम संविदाकर्ता ने या उसकी ओर से किए गए थे और इसके अलावा, बैंक अपने एजेंट या नौकरों के ज़रिए काम में घुसकर उसे और एस्टेट या आस-पास की ज़मीन या सड़कों पर पड़े सभी प्लांट, औज़ार, मचान, मशीनरी और सामान को अपने कब्ज़े में ले सकता है, और उसे अपनी प्रॉपर्टी की तरह इस्तेमाल कर सकता है या काम को आगे बढ़ाने और पूरा करने के लिए अपने नौकरों और काम करने वालों के ज़रिए या काम पूरा करने के लिए किसी दूसरे संविदाकर्ता या दूसरे व्यक्ति या लोगों को काम पर रख सकता है, और संविदाकर्ता किसी भी तरह से ऐसे दूसरे संविदाकर्ता या दूसरे व्यक्ति या लोगों को, जिन्हें काम पूरा करने और फिनिशिंग के लिए रखा गया है या काम के लिए सामान और प्लांट का इस्तेमाल करने से रोकने या रुकावट डालने के लिए कोई काम, बात या चीज़ नहीं करेगा। जब काम पूरा हो जाएगा या उसके तुरंत बाद, बैंक संविदाकर्ता को अपना बचा हुआ सामान और प्लांट हटाने के लिए लिखकर नोटिस देगा, और अगर संविदाकर्ता नोटिस मिलने के चौदह दिन के अंदर ऐसा नहीं करता है, तो बैंक उसे पब्लिक ऑक्शन में बेच सकता है, और संविदाकर्ता को मिली कुल रकम का क्रेडिट दे सकता है। इसके बाद बैंक यह पता लगाएगा और लिखकर सर्टिफ़ाई करेगा कि बैंक को या बैंक द्वारा कब्ज़े में लिए गए प्लांट और सामान की कीमत के लिए क्या (अगर कुछ भी) देना होगा और काम पूरा करने में बैंक को जो खर्च या नुकसान हुआ है, और अगर संविदाकर्ता को कोई रकम देनी है और जो रकम सर्टिफ़ाई की जाएगी, वह बैंक द्वारा संविदाकर्ता को या संविदाकर्ता द्वारा बैंक को, जैसा भी मामला हो, दी जाएगी, और बैंक का फ़ैसला पार्टियों के बीच आख़िरी और पक्का होगा।

32. <u>संविदाकर्ता **द्वारा** संविदा **की समाप्ति**</u>

अगर बैंक के इंजीनियर के प्रमाणपत्र के तहत बैंक को देने वाली रकम का भुगतान, संविदाकर्ता द्वारा बैंक को ऊपर बताई गई रकम के भुगतान के लिए लिखित नोटिस देने के तीस दिन बाद भी बकाया है और भुगतान नहीं किया गया है, या अगर बैंक संविदा को मना कर देता है, या अगर बैंक के आदेश पर या किसी कोर्ट के किसी आदेश या दूसरे आदेश से काम तीन महीने के लिए रोक दिया जाता है, तो और ऐसे किसी भी मामले में, संविदाकर्ता को बैंक को लिखित नोटिस देकर संविदा तय करने की आज़ादी होगी और वह बैंक से किए गए सभी कामों के लिए और संविदा के मकसद से सप्लाई किए गए, खरीदे गए या तैयार किए गए किसी भी प्लांट या सामान से हुए किसी भी नुकसान के लिए भुगतान वसूलने का हकदार होगा।

ऐसे भुगतान की रकम तय करने में, संविदाकर्ता के मूल निविदा में दिए गए नेट रेट्स को फॉलो किया जाएगा, या जहां वे लागू नहीं हो सकते, वहां वैल्यूएशन इसके क्लॉज 19 के अनुसार किया जाएगा।

33. प्रमाणपत्र **और** भुगतान

(a) संविदाकर्ता को बैंक द्वारा समय-समय पर किए गए कामों के लिए बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले अंतरिम प्रमाणपत्र के तहत किश्तों में भुगतान किया जाएगा, इस संविदा के अनुसार किए गए काम के लिए, अपेंडिक्स में "अंतरिम प्रमाणपत्र **के लिए काम की कीमत** " के रूप में बताई गई लगभग कीमत (या बैंक की समझदारी से कम) तक। बैंक अपनी समझ से, अंतरिम प्रमाणपत्र में वह रकम शामिल कर सकता है, जिसे वह काम में इस्तेमाल के लिए संविदाकर्ता द्वारा साइट पर दिए गए सामान के लिए सही समझे। और जब काम लगभग पूरा हो जाएगा और बैंक लिखित में सर्टिफ़ाई कर देगा कि वे पूरे हो गए हैं, तो संविदाकर्ता को बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्र के अनुसार बैंक द्वारा बाकी रकम का भुगतान किया जाएगा। संविदाकर्ता**, वास्तविक समापन की तिथि** से परिशिष्ट में "दोष देयता अवधि" के रूप में संदर्भित अवधि की समाप्ति पर या कार्यों के अंतिम रूप से पूरा होने और दोषों को इसके वास्तविक उद्देश्य और अर्थ के अनुसार ठीक करने की अवधि की समाप्ति के तुरंत बाद बैंक द्वारा लिखित रूप में जारी किए जाने वाले अंतिम प्रमाण पत्र के अनुसार सुरक्षा जमा के लिए बैंक गारंटी जारी करने का हकदार होगा, जो भी बाद में हो, बशर्ते कि कार्यों की प्रगति के दौरान या उनके पूरा होने के बाद बैंक द्वारा किसी भी प्रमाण पत्र को जारी करने से संविदाकर्ता को खंड 2 और 22 के तहत उसके दायित्व से मुक्त नहीं किया जाएगा और न ही संविदाकर्ता को कार्यों या सामग्री से संबंधित धोखाधड़ी, बेईमानी या धोखाधड़ीपूर्ण छिपाव के मामलों में या प्रमाणपत्र के भीतर निपटाए गए किसी भी मामले में और कार्यों या सामग्रियों में सभी दोषों और अपर्याप्तताओं के मामले में उसकी अक्षमता से मुक्त किया जाएगा, जो एक उचित जांच से पता नहीं चला होगा। कोई भी प्रमाणपत्र अपने आप में इस बात का पक्का सबूत नहीं होगा कि कोई भी काम या सामान, जिससे वह जुड़ा है, संविदा के मुताबिक है। न ही संविदाकर्ता का किसी भी ऐसे राशि पर कोई दावा होगा जिसे बैंक ने किसी अंतरिम बिल में सर्टिफ़ाई किया हो और बैंक ने भुगतान किया हो और जो बाद में पता चले कि देने लायक नहीं है। इस मामले में बैंक का फ़ैसला आख़िरी और मानने वाला होगा।
अगर काम या उसका कोई हिस्सा बैंक की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जा रहा है, तो बैंक के पास कोई भी प्रमाणपत्र रोकने का अधिकार होगा।

बैंक किसी भी प्रमाणपत्र से उसके द्वारा जारी किए गए किसी भी पिछले प्रमाणपत्र में कोई भी सुधार कर सकता है।

भुगतान, प्रमाणपत्र बैंक को डिलीवर होने के बाद, अपेंडिक्स में दिए गए "प्रमाणपत्र जारी करने का समय" के अंदर किया जाएगा।

सिस्टम के लिए भुगतान INR में किया जाएगा और इस संविदा से होने वाले किसी भी झगड़े को भी उस ऑफिस के अधिकार क्षेत्र में सुलझाया जाएगा जहां से संविदा साइन किया गया है।

34. **<u>भुगतान में देरी</u>**

बैंक द्वारा संविदाकर्ता को दी जाने वाली कोई भी रकम, अगर अपेंडिक्स में बताए गए "प्रमाणपत्र जारी करने के समय" के अंदर नहीं चुकाई जाती है, तो उस तिथि से, जब बैंक को वह रकम चुकानी चाहिए थी, भुगतान होने तक, अपेंडिक्स में बताए गए "देरी से भुगतान के लिए ब्याज दर" के हिसाब से ब्याज लगेगा।

35. **<u>मध्यस्थता द्वारा विवाद का निपटारा</u>**

संविदा या काम करने से जुड़े किसी भी तरह के सभी झगड़े और मतभेद (चाहे काम के चलने के दौरान हों या पूरा होने के बाद और चाहे संविदा तय होने, छोड़ने या तोड़ने से पहले या बाद में हों) बैंक को भेजे जाएंगे और वही उन्हें सुलझाएगा। बैंक अपना फ़ैसला लिखकर बताएगा। ऐसा फ़ैसला फ़ाइनल सर्टिफ़िकेट के रूप में या किसी और तरह से हो सकता है। किसी भी छूटे हुए मामले पर बैंक का फ़ैसला आख़िरी होगा और उस पर कोई अपील नहीं होगी। लेकिन अगर कोई भी पार्टी किसी मामले से नाखुश है, तो वह पार्टी ऐसे फ़ैसले का नोटिस मिलने के 28 दिनों के अंदर दूसरी पार्टी को लिखकर नोटिस दे सकती है कि विवादित मामलों को यहां तय तरीके के हिसाब से आर्बिट्रेशन के लिए भेजा जाए। ऐसे लिखे हुए नोटिस में वे मामले बताए जाएंगे, जिन पर विवाद है या जिन पर मतभेद है, जिनके बारे में ऐसा लिखा हुआ नोटिस दिया गया है। अगर दोनों पार्टियां राज़ी होती हैं, तो इस काम के लिए एक ही आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा। अगर एक ही आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने पर कोई सहमति नहीं बन पाती है, तो दोनों पार्टियां अपनी तरफ़ से एक-एक व्यक्ति को आर्बिट्रेटर के तौर पर नॉमिनेट करेंगी। पार्टियों द्वारा नॉमिनेट किए गए दो आर्बिट्रेटर एक और व्यक्ति को तीसरे आर्बिट्रेटर के तौर पर नॉमिनेट करेंगे।

आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स के पास, जैसा भी मामला हो, किसी भी प्रमाणपत्र, राय, फैसले, रिक्विजिशन या नोटिस को खोलने, रिव्यू करने और रिवाइज़ करने का अधिकार होगा, सिवाय उन मामलों के जिनका ज़िक्र पिछले क्लॉज़ में किया गया है, और उन सभी विवादित मामलों को तय करने का अधिकार होगा जिन्हें आर्बिट्रेशन के लिए सबमिट किया जाएगा और जिनके बारे में पहले बताया गया नोटिस दिया गया होगा।

आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स, जैसा भी मामला हो, रेफरेंस दर्ज करने की तिथि से एक साल के अंदर (या पार्टियों की सहमति से उनके द्वारा तय किया गया कोई और बढ़ा हुआ समय) अपना अवॉर्ड देंगे। अगर आर्बिट्रेशन की कार्रवाई के दौरान, पार्टियां आपस में अपने झगड़े या मतभेद को सुलझा लेती हैं या करार कर लेती हैं, तो पार्टियों द्वारा समझौते या समझौते का जॉइंट ज्ञापन फाइल करने पर, आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स, जैसा भी मामला हो, ऐसे समझौते या समझौते के हिसाब से अवॉर्ड देंगे।

ऐसे किसी भी रेफरेंस पर, रेफरेंस और अवार्ड से जुड़े खर्च पर फैसला, जैसा भी मामला हो, आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स के विवेक पर होगा, जो उसकी रकम तय कर सकते हैं या उस पर पार्टी और पार्टी के बीच टैक्स लगाने का निर्देश दे सकते हैं, और यह भी निर्देश देंगे कि उसे कौन, किसे और किस तरह से वहन करेगा और चुकाएगा।

यह सबमिशन इंडियन आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, 1996 या उसके किसी कानूनी बदलाव के मतलब में आर्बिट्रेशन के लिए सबमिशन माना जाएगा।

आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स का फैसला, जैसा भी हो, आखिरी होगा और पार्टियों पर लागू होगा। यह तय हुआ है कि संविदाकर्ता किसी भी ऐसे मामले, सवाल या झगड़े के आर्बिट्रेशन में भेजे जाने की वजह से काम करने में देरी नहीं करेगा, बल्कि पूरी सावधानी से काम करेगा और जब तक आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स का फैसला नहीं आ जाता, तब तक बैंक के फैसले को मानेगा। आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स का कोई भी फैसला, जैसा भी हो, संविदाकर्ता को काम को असल में करने के बारे में बैंक के निर्देशों का सख्ती से पालन करने की उसकी ज़िम्मेदारियों से राहत नहीं देगा। बैंक और संविदाकर्ता इसके द्वारा इस बात पर भी सहमत हैं कि इस क्लॉज़ के तहत आर्बिट्रेशन, संविदा के तहत किसी भी कार्रवाई के अधिकार के लिए एक ज़रूरी शर्त होगी।

आर्बिट्रेशन की जगह वह सेंटर/शहर होगा जहां काम किया जा रहा है।

36. **<u>अंतिम बिल की तकनीकी जांच का अधिकार</u>**

बैंक को काम की टेक्निकल जांच करने और संविदाकर्ता के फाइनल बिल की जांच करने का अधिकार होगा, जिसमें फाइनल बिल के भुगतान के समय सभी सपोर्टिंग वाउचर, एब्स्ट्रैक्ट वगैरह शामिल होंगे। अगर इस जांच या किसी और वजह से, कोई रकम ज़्यादा भुगतान की गई या ज़्यादा सर्टिफाइड पाई जाती है, तो बैंक के लिए वह रकम वसूलना कानूनी होगा।

37. **<u>बैंक कर्मचारियों को दिए गए मुआवजे को वसूलने का हकदार है</u>**

अगर किसी भी वजह से, एम्प्लॉईज़ कम्पनसेशन एक्ट, 1923 के नियम , या उसके किसी कानूनी बदलाव या फिर से लागू होने की वजह से, बैंक को संविदाकर्ता द्वारा काम पर रखे गए किसी कामगार को मुआवज़ा देना ज़रूरी है, तो बैंक संविदाकर्ता से दिए गए मुआवज़े की रकम वसूलने का हकदार होगा, और इससे उस एक्ट के तहत बैंक के अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बैंक को सिक्योरिटी डिपॉज़िट से या इस संविदा के तहत संविदाकर्ता को बैंक द्वारा दी जाने वाली किसी भी रकम से या किसी और तरह से ऐसी रकम या उसका कोई हिस्सा काटकर वसूलने की आज़ादी होगी। बैंक उस एक्ट के तहत अपने खिलाफ किए गए किसी भी दावे का विरोध करने के लिए मजबूर नहीं होगा, सिवाय संविदाकर्ता के लिखित अनुरोध के और उसके द्वारा बैंक को उन सभी खर्चों के लिए पूरी सिक्योरिटी देने के, जिनके लिए बैंक ऐसे दावे का विरोध करने के नतीजे में ज़िम्मेदार हो सकता है।

38. **<u>कार्यों का परित्याग</u>**

अगर निविदा स्वीकार होने के बाद किसी भी समय, बैंक किसी भी वजह से, पूरे काम या उसके किसी हिस्से को करने की ज़रूरत नहीं समझता है, तो बैंक संविदाकर्ता को लिखकर नोटिस देगा। संविदाकर्ता का पूरे काम से हुए किसी भी मुनाफ़े या फ़ायदे के लिए किसी भी तरह के मुआवज़े या किसी और चीज़ के भुगतान का कोई दावा नहीं होगा।

39. **<u>अतिरिक्त सामग्री की वापसी</u>**

इस संविदा के किसी या सभी क्लॉज़ में इसके उलट कुछ भी होने पर भी, जहाँ संविदा को पूरा करने के लिए कोई भी सामान बैंक की मदद से सरकार के ऑर्डर, परमिट या लाइसेंस के तहत खरीदा जाता है, वहाँ संविदाकर्ता उस सामान को किफ़ायती तरीके से और सिर्फ़ संविदा के मकसद के लिए रखेगा और बैंक की पहले से लिखी हुई इजाज़त के बिना उसे फेंकेगा नहीं और अगर बैंक कहे, तो सामान की हालत को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा तय की गई कीमत पर उसे बैंक को वापस कर देगा। यह कीमत उसकी खरीद कीमत से ज़्यादा नहीं होगी, जिसमें सेल्स टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (जीएसटी), ऑक्ट्रॉय और संविदाकर्ता द्वारा दिए गए दूसरे ऐसे टैक्स शामिल होंगे। ऊपर बताई गई शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, संविदाकर्ता, लाइसेंस या परमिट की शर्तों के उल्लंघन और/या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ़ ट्रस्ट के लिए कार्रवाई के लिए ज़िम्मेदार होने के अलावा, ऐसे उल्लंघन के कारण उसे हुए सभी पैसे, फ़ायदे या मुनाफ़े के लिए भी बैंक के प्रति ज़िम्मेदार होगा, या जो आम तौर पर उसे मिलते।

40. **यदि** संविदाकर्ता **की मृत्यु हो जाती है, तो बैंक का** संविदा **समाप्त करने का अधिकार**

इस संविदा के तहत किसी भी अधिकार या उपाय पर कोई असर डाले बिना, अगर संविदाकर्ता, जो एक व्यक्ति है, की मौत हो जाती है, तो बैंक के पास संविदा खत्म करने का ऑप्शन होगा, और ऐसी टर्मिनेशन के लिए कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी।

41 . **दुर्घटना रिपोर्ट**

किसी भी तरह के एक्सीडेंट की स्थिति में, सभी ज़रूरी रिपोर्ट (एक्सीडेंटल या किसी और वजह से) बिना देर किए जमा करनी होंगी। संविदाकर्ता यह पक्का करेगा कि ये रिपोर्ट बैंक के साथ शेयर की जाएं और साथ ही किसी दूसरी बाहरी पार्टी या स्टेकहोल्डर को भी भेजी जाएं।

42. **कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम**

i. संविदाकर्ता "वर्कप्लेस पर महिलाओं का सेक्सुअल हैरेसमेंट (प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल) एक्ट, 2013" के नियमों का पूरी तरह से पालन करने के लिए पूरी तरह से ज़िम्मेदार होगा। बैंक के कैंपस में अपने कर्मचारी के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट की कोई भी शिकायत होने पर, शिकायत संविदाकर्ता/एजेंसी द्वारा बनाई गई इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी या लोकल कंप्लेंट्स कमिटी के सामने फाइल की जाएगी, जैसा भी मामला हो और संविदाकर्ता एजेंसी शिकायत के संबंध में उस एक्ट के तहत सही कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

ii. सर्विस प्रोवाइडर के किसी भी पीड़ित कर्मचारी की तरफ़ से बैंक के किसी भी कर्मचारी या बैंक में काम करने वाली किसी दूसरी फर्म के किसी भी कर्मचारी के ख़िलाफ़ सेक्सुअल हैरेसमेंट की किसी भी शिकायत पर बैंक द्वारा बनाई गई रीजनल कंप्लेंट्स कमिटी ध्यान देगी।

iii. अगर घटना में संविदाकर्ता के कर्मचारी शामिल हैं, तो किसी भी पैसे के मुआवज़े के लिए संविदाकर्ता ज़िम्मेदार होगा, जैसे कि अगर संविदाकर्ता के कर्मचारी द्वारा लैंगिक हिंसा साबित हो जाती है, तो बैंक के कर्मचारी या दूसरी फर्म के कर्मचारी को कोई भी पैसे की राहत।

iv. संविदाकर्ता अपने कर्मचारियों को काम की जगह पर सेक्सुअल हैरेसमेंट से बचाव और उससे जुड़े मामलों के बारे में जानकारी देने के लिए ज़िम्मेदार होगा।

v. संविदाकर्ता को बैंक की जगह पर काम करने वाले अपने कर्मचारियों की पूरी और अपडेटेड लिस्ट देनी होगी।

43. अप्रकटन उपबंध :

i. संविदाकर्ता सीधे या इनडायरेक्टली बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर/सिस्टम/इक्विपमेंट वगैरह की कोई भी जानकारी, मटीरियल और डिटेल्स किसी भी थर्ड पार्टी को नहीं बताएगा, जो सर्विस प्रोवाइडर और/या DB डेवलपर को इस करार के संबंध में अपनी संविदा की जिम्मेदारियों को पूरा करने के दौरान मिली हो या उनके पास आई हो, और उसे हर समय पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रखेगा। संविदाकर्ता संविदा की डिटेल्स को प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल रखेगा, सिवाय इसके कि यह उसके तहत जिम्मेदारियों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए ज़रूरी हो। संविदाकर्ता सेकंड पार्टी की पहले से लिखी हुई सहमति के बिना किसी भी ट्रेड या टेक्निकल पेपर या कहीं और काम की कोई भी डिटेल्स प्रकाशित नहीं करेगा, प्रकाशित करने की इजाज़त नहीं देगा, या ज़ाहिर नहीं करेगा। ऊपर बताई गई बातों का पालन न करने पर, जैसा भी मामला हो, संविदाकर्ता की ओर से संविदा का उल्लंघन माना जाएगा, और सेकंड पार्टी को नुकसान का दावा करने और कानूनी उपाय करने का अधिकार होगा।

ii. संविदाकर्ता अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी ज़रूरी कार्रवाई करेगा ताकि यह पक्का हो सके कि इस करार के तहत गोपनीय जानकारी न बताने की ज़िम्मेदारी पूरी तरह से पूरी हो।

फॉर्मल संविदा करार पर कोई असर डाले बिना, इस निविदा के तहत संविदाकर्ता पर लागू होने वाली सभी कॉन्फिडेंशियलिटी और नॉन-डिस्क्लोजर की ज़िम्मेदारियां, किसी भी वजह से इस करार के खत्म होने, पूरा होने या खत्म होने के बाद भी लागू रहेंगी।

44. **<u>कार्यक्रम चार्ट/प्रगति रिपोर्ट</u>** :

संविदाकर्ता को काम के अलग-अलग स्टेज को पूरा करने के लिए एक सही प्रोग्रेस रिपोर्ट/चार्ट जमा करना होगा, ताकि काम तय समय में पूरा हो सके। ऐसा प्रोग्राम काम मिलने पर तुरंत जमा करना चाहिए और काम मिलने के 14 दिनों के अंदर अप्रूव हो जाना चाहिए। बैंक द्वारा किए गए सभी सही बदलाव प्रोग्रेस चार्ट में शामिल किए जाने चाहिए। अगर कहा जाए तो संविदाकर्ता को अलग-अलग यूनिट और यूनिट के ग्रुप के लिए मौजूदा इक्विपमेंट डिलीवरी की तारीखें और अनुमानित पूरा होने की तारीखें दिखाते हुए रिपोर्ट जमा करनी होगी।

45. **<u>वैधानिक अनुमोदन:</u>**

संविदाकर्ता द्वारा संबंधित वैधानिक प्राधिकरणों जैसे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) / मुख्य विद्युत निरीक्षक (सीईआई) / स्थानीय अग्निशमन प्राधिकरण / स्थानीय नगरपालिका आदि / स्थानीय वैधानिक प्राधिकरण से प्राप्त पूर्व एनओसी और स्थानीय निकाय अनुमोदन के अनुसार कार्य निष्पादित किया जाएगा। संविदाकर्ता ऐसी सभी स्वीकृतियों में किए गए सभी प्रावधानों को समझने के लिए जिम्मेदार होगा। किसी अतिरिक्त कार्य/उसमें संशोधन की किसी आवश्यकता के मामले में, उसे पहले से ही प्रभारी इंजीनियर के ध्यान में लाया जाएगा। स्थानीय निकाय प्राधिकरणों के मानदंडों का पालन करते हुए काम निष्पादित किया जाना है। संविदाकर्ता संबंधित प्राधिकरणों से आगे की मंजूरी और अंतिम समापन और अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए काम के दौरान और पूरा होने के बाद आवश्यकतानुसार दस्तावेज, रिपोर्ट आदि तैयार करने में सहायता करेगा। संविदाकर्ता संबंधित अधिकारियों के साथ बैठकों में भाग लेने और सभी संपर्क कार्य करने के लिए भी जिम्मेदार होगा।

46. **<u>निषेध/अयोग्यता:</u>**

एक संविदाकर्ता को इन वजहों से बोली लगाने से **रोका जा सकता है** :

i. अगर यह पता चलता है कि संविदाकर्ता ने कोड ऑफ़ इंटेग्रिटी का उल्लंघन करते हुए ये काम या चूक की है:

एक।

I. खरीद प्रक्रिया में गलत फ़ायदा पाने के लिए या खरीद प्रक्रिया को किसी और तरह से प्रभावित करने के लिए, सीधे या परोक्ष रूप से रिश्वत, इनाम या तोहफ़ा या कोई भी ज़रूरी फ़ायदा देने, मांगने या लेने की पेशकश करना।

II. कोई भी चूक या गलत बयानी जो गुमराह कर सकती है या गुमराह करने की कोशिश कर सकती है ताकि फाइनेंशियल या दूसरा फायदा मिल सके, या किसी ज़िम्मेदारी से बचा जा सके।

III. कोई भी मिलीभगत, बोली में हेराफेरी या एंटी-कॉम्पिटिटिव व्यवहार जो खरीद प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित कर सकता है।

IV. प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में गलत फ़ायदा उठाने या अपने फ़ायदे के लिए प्रोक्योर करने वाली कंपनी द्वारा संविदाकर्ता को दी गई जानकारी का गलत इस्तेमाल करना।

V. संविदाकर्ता और खरीदने वाली कंपनी के किसी भी अधिकारी के बीच निविदा या संविदा के एग्जीक्यूशन प्रोसेस से जुड़ा कोई भी फाइनेंशियल या बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन: जो खरीदने वाली कंपनी के फैसले पर सीधे या इनडायरेक्टली असर डाल सकता है।

VI. खरीद प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्ष या उसकी संपत्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाने या नुकसान पहुंचाने के लिए कोई दबाव या धमकी।

VII. किसी खरीद प्रक्रिया की किसी भी जांच या ऑडिटिंग में बाधा डालना।

VIII. निविदा प्रोसेस में हिस्सा लेने या संविदा पाने के लिए गलत घोषणा करना या गलत जानकारी देना।

b. हितों के टकराव का खुलासा करने में विफल।

सी. पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्थान / इकाई के साथ उप-खंड (i) के प्रावधानों के संबंध में किए गए किसी भी पिछले उल्लंघन या किसी भी सार्वजनिक खरीद संस्थान / इकाई द्वारा निषिद्ध किए जाने का खुलासा करने में विफल रहा हो।

ii. संविदाकर्ता द्वारा ईमानदारी संहिता के उल्लंघन के अलावा किसी भी अन्य कार्य या चूक के लिए, जिसके लिए बैंक की राय में उसे काम से निकालना उचित है, जैसे कि घटिया सामग्री की आपूर्ति, सामग्री की आपूर्ति न करना, काम को छोड़ देना, काम की घटिया गुणवत्ता, नियमों का पालन न करना।

निविदा की शर्तें वगैरह।

iii. अगर संविदाकर्ता को किसी जुर्म का दोषी ठहराया गया है— (a) प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट, 1988 के तहत; या (b) इंडियन पीनल कोड या उस समय लागू किसी दूसरे कानून के तहत, पब्लिक प्रोक्योरमेंट संविदा को पूरा करते समय जान-माल का नुकसान करने या पब्लिक हेल्थ को खतरा पैदा करने के लिए।

47. पुलिस वेरिफिकेशन: साइट पर रेगुलर तौर पर तैनात सभी वर्कर्स के लिए, संविदाकर्ता काम शुरू होने से पहले अपने खर्चे पर वैलिड पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट (PVR) का इंतज़ाम करेगा, लेगा और जमा करेगा। संविदाकर्ता यह पक्का करेगा कि बैंक की जगह पर कोई ऐसा वर्कर तैनात न हो जिसका पुलिस रिकॉर्ड खराब हो या जिस पर क्रिमिनल केस चल रहा हो।

----------एक्स----------

खंड V

संविदा **की विशेष शर्तें**

1. **पूरा होने का समय:**

i. ज्ञापन में बताए गए काम को पूरा करने के लिए संविदाकर्ता को जो समय दिया गया है, उसका सख्ती से पालन करना होगा और यह काम शुरू करने का लिखित ऑर्डर जारी होने के 14 वें दिन से माना जाएगा। संविदा की तय अवधि के दौरान काम पूरी सावधानी से किया जाएगा और अगर संविदाकर्ता तय समय में काम पूरा नहीं कर पाता है, तो उसे संविदा की शर्तों के क्लॉज़ 28 में बताए गए हिसाब से मुआवज़ा देना होगा। संविदाकर्ता काम शुरू करने से पहले एक डिटेल्ड वर्क प्रोग्राम तैयार करेगा, जिसे बैंक के इंजीनियर्स से मंज़ूरी लेनी होगी और प्लांट्स, टूल, टैकल, लेबर फोर्स वगैरह के लिए सही सपोर्ट के साथ संविदाकर्ता के इंफ्रास्ट्रक्चर से सपोर्ट मिलेगा। निविदा देने वाले को बैंक के सिक्योरिटी इंतज़ामों के बारे में पता होना चाहिए और ऑर्गनाइज़ेशन के मौजूदा प्रोसीजर को फॉलो करते हुए समय से पहले कर्मचारियों के लिए वर्क पास, मटीरियल के लिए गेट पास वगैरह लेने का इंतज़ाम करना चाहिए। इसकी वजह से काम में होने वाली देरी को बैंक बर्दाश्त नहीं करेगा।

ii. संविदाकर्ता को काम शुरू करने या पूरा करने में देरी की वजह से हुए किसी भी नुकसान के लिए कोई मुआवज़ा नहीं मिलेगा, चाहे देरी की वजह कुछ भी हो, जिसमें उसे सौंपे गए काम में बदलाव या उससे जुड़े किसी उप-संविदा में देरी या प्रोजेक्ट के दूसरे कामों के लिए संविदा देने में देरी या ऐसे कामों को शुरू या पूरा करने में देरी या सरकारी कंट्रोल वाला या दूसरा बिल्डिंग मटीरियल खरीदने में देरी या कंस्ट्रक्शन के मकसद से पानी और बिजली के कनेक्शन लेने में देरी या कोई भी दूसरी वजह शामिल है और बैंक इससे जुड़े किसी भी दावे के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा। बैंक निविदा की रकम के अलावा किसी भी रकम के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा, बशर्ते कि इसमें बताए गए बदलाव हों।

2. **सिक्योरिटी डिपॉज़िट का टाइप:**

i. **रिटेंशन मनी:** हर ऑन-अकाउंट बिल से 5% की दर से रिटेंशन मनी तब तक रिकवर की जाएगी, जब तक कि कुल रिकवरी संविदा वैल्यू का 5% न हो जाए, जैसा कि निविदा दस्तावेज़ में बताया गया है। दोष देयता अवधि (DLP) पूरा होने के बाद, बिना किसी ब्याज के और दोष देयता अवधि के दौरान बताई गई कमियों को ठीक करने के बाद, रिटेंशन मनी राशि का 50% संविदाकर्ता को दिया जाएगा। बाकी 50% 9 साल बाद (DLP अवधि खत्म होने की तिथि से गिना जाएगा), मैन्युफैक्चरिंग दोष / खराब इंस्टॉलेशन का समय खत्म होने के बाद वापस कर दिया जाएगा। सफल बोलीदाता रिटेंशन मनी के बदले बैंक गारंटी (BG) भी जमा कर सकता है, जो DLP के एक साल तक वैलिड रहेगी। BG का फॉर्मेट संविदा X में दिया गया है।

ii. **परफॉर्मेंस बैंक गारंटी (PBG):** ऊपर बताई गई रिटेंशन मनी के अलावा, काम मिलने पर, सफल संविदाकर्ता को संविदा की कीमत का 5% (पांच प्रतिशत) बैंक गारंटी (BG) के रूप में देना होगा, जैसा कि संविदा X में बताया गया है। संविदा की पूरी अवधि (काम पूरा होने + DLP + 60 दिन) के लिए संविदाकर्ता द्वारा संविदा की ज़िम्मेदारियों को ठीक से पूरा करने के लिए। यह परफॉर्मेंस बैंक गारंटी (PBG) शुरू में संविदा की अवधि प्लस 60 दिनों के लिए वैलिड होगी और संविदा की अवधि बढ़ाने पर काम के DLP प्लस 60 दिनों तक सही

तरीके से बढ़ाई जाएगी। ऐसी परफॉर्मेंस बैंक गारंटी (PBG) वर्क ऑर्डर जारी होने के 14 दिनों के अंदर बैंक को जमा करनी होगी। **परफॉर्मेंस बैंक गारंटी (PBG) को ePBG, फिजिकल कॉपी, या बराबर रकम के लिए NEFT के ज़रिए जमा किया जा सकता है।**

iii. निविदा में बताए गए तरीके से परफॉर्मेंस बैंक गारंटी जमा करना पक्का किया जाएगा। अगर ज़रूरी वजहों से देरी होती है, तो परफॉर्मेंस बैंक गारंटी जमा करने में देरी का चार्ज संविदाकर्ता के बिल से बैंक रेट पर वसूला जाएगा।

iv. अगर निविदा में बताई गई DLP की शर्तों का पालन ठीक से नहीं होता है, तो बैंक के पास DLP के दौरान किसी भी समय, यानी काम सौंपने के एक साल बाद तक बैंक गारंटी लागू करने का अधिकार है।

3. संविदाकर्ता को काम की जगह पर सारा सामान, औजार और पौधे वगैरह ऊपर उठाने और मलबे और बचाए गए सामान के साथ नीचे उतारने का अपना इंतज़ाम खुद करना होगा, ताकि कोई धूल, परेशानी, फैलाव और सुरक्षा का खतरा न हो। इसके लिए, संविदाकर्ता को अपनी स्कीम बैंक से काफी पहले मंज़ूर करवानी होगी और सुझाए गए किसी भी बदलाव को शामिल करना होगा। साइट पर एक ट्रक से ज़्यादा मलबा जमा नहीं होने दिया जाएगा। मलबा बैंक के इंजीनियर के बताए अनुसार जगह पर रखा जाएगा और उसे बोरियों वगैरह में रखा जाएगा।

4. एक्सीडेंट रोकने के लिए, संविदाकर्ता को अपने खर्च पर, रहने वालों की सेफ्टी और सुविधा के लिए ज़रूरी समय पर सही और काफ़ी पार्टीशन नेट / पार्टीशन फैब्रिक / फेंसिंग लगानी होगी और काम के दौरान उसे अच्छी हालत में रखना होगा और जहाँ ज़रूरी हो, रात में उस पार्टीशन नेट / पार्टीशन फैब्रिक / फेंसिंग में अच्छी रोशनी रखनी होगी। संविदाकर्ता को काम के दौरान बैंक की प्रॉपर्टी को हुए किसी भी नुकसान की भरपाई बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के करनी होगी। संविदाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे अपने फायदे के लिए काम के नेचर और क्वांटिटी का अंदाज़ा लगाने के लिए साइट का इंस्पेक्शन करें।

5. एक्सीडेंट रोकने के लिए, संविदाकर्ता को अपने खर्च पर, रहने वालों की सेफ्टी और सुविधा के लिए ज़रूरी समय पर सही और काफ़ी पार्टीशन नेट / पार्टीशन फैब्रिक / फेंसिंग लगानी होगी और काम के दौरान उसे अच्छी हालत में रखना होगा और जहाँ ज़रूरी हो, रात में उस पार्टीशन नेट / पार्टीशन फैब्रिक / फेंसिंग में अच्छी रोशनी रखनी होगी। संविदाकर्ता को काम के दौरान बैंक की प्रॉपर्टी को हुए किसी भी नुकसान की भरपाई बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के करनी होगी। संविदाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे अपने फायदे के लिए काम के नेचर और क्वांटिटी का अंदाज़ा लगाने के लिए साइट का इंस्पेक्शन करें।

6. संविदाकर्ता को बिल्डिंग के अंदर कोई भी मलबा रखने की इजाज़त नहीं होगी। इंचार्ज इंजीनियर की पहले से मंज़ूरी लेकर ज़रूरी इंतज़ाम पहले से कर लेने होंगे ताकि सारा मलबा सही तरीके से ज़मीन पर ले जाया जा सके और बैंक की जगह से ले जाने से पहले, जहाँ भी कहा जाए, वहाँ ढेर लगा दिया जाए।

7. बनाए जाने वाले वर्क प्लेटफॉर्म ऐसे होने चाहिए जो वर्कर्स और सुपरवाइज़र्स के सुरक्षित काम करने में मदद करें और साथ ही कम से कम तीन से चार लेवल पर एक साथ लेबर्स , सामान और मलबे को सहारा दे सकें।

8. संविदाकर्ता को बिल्डिंग के अंदर धूल और गंदगी का शोर/परेशानी कम से कम रखने की कोशिश करनी होगी। संविदाकर्ता को धूल-मुक्त माहौल बनाए रखने के लिए रोज़ाना अपने खर्च पर एरिया की सफ़ाई भी करनी होगी। ऐसा न करने पर, यह काम संविदाकर्ता के रिस्क और खर्च पर किया जाएगा। काम के लिए सारा सामान सीढ़ियों या बाहर से पुली अरेंजमेंट के ज़रिए वर्किंग एरिया में लाया जाएगा। ऊपर बताए गए काम से निकलने वाले मलबे/धूल या किसी भी वेस्टेज को ज़रूरत के हिसाब से और बैंक के इंजीनियर के बताए अनुसार बार-बार साफ़ किया जाएगा। संविदाकर्ता रेट बताते समय ऊपर बताई गई बातों पर ध्यान देगा और तय समय में काम पूरा करने की पूरी कोशिश करेगा।

9. काम पूरा करने के लिए जगह के अंदर एक ही जगह पर बिजली और पानी मुफ़्त में दिया जाएगा। ज़रूरी जगहों पर बिजली पहुँचाने का इंतज़ाम खुद करना संविदाकर्ता की ज़िम्मेदारी है। हालाँकि, संविदाकर्ता को यह पक्का करना होगा कि बिजली और पानी की बेवजह बर्बादी न हो। किसी भी हादसे से बचने के लिए संविदाकर्ता को ज़रूरी सुरक्षा उपाय करने होंगे। अगर इस मामले में संविदाकर्ता की तरफ से कोई ढिलाई बरती जाती है, तो बैंक उस पर जुर्माना लगाएगा।

10. एम्प्लॉयर को काम की टेक्निकल जांच करवाने का अधिकार होगा और फाइनल बिल के भुगतान के समय संविदाकर्ता के सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, वाउचर, एब्स्ट्रैक्ट्स वगैरह के साथ फाइनल बिल की जांच करवानी होगी। अगर इस जांच या किसी और वजह से, कोई रकम ज़्यादा भुगतान की गई या ज़्यादा सर्टिफाइड पाई जाती है, तो एम्प्लॉयर के लिए बैंक द्वारा संविदाकर्ता को दिए जाने वाले किसी भी बिल से वह रकम वसूलना कानूनी होगा।

11. निविदा में दिए गए रेट में काम शुरू होने से पहले और काम पूरा होने के बाद साइट साफ़ करने, काम के दौरान डबल मचान लगाने और काम के बाद उसे हटाने, सभी औज़ार और सामान, सामान और मज़दूर, लोडिंग और अनलोडिंग, स्टोरेज का इंतज़ाम, रविवार और छुट्टियों सहित रात और दिन में निगरानी और लाइटिंग, प्लंबिंग खींचने के लिए टेम्परारी लाइनें और बिजली सप्लाई का इंतज़ाम (बैंक के परिसर में मौजूद सोर्स से पानी और बिजली मिल सकती है), जनता की सुरक्षा और दीवारों, इमारतों और दूसरी सभी चीज़ों की सुरक्षा शामिल होगी और संविदाकर्ता ज़रूरत पड़ने पर या जब ऐसा करने का आदेश दिया जाएगा, तो ऐसे किसी भी या सभी फ़ॉर्मवर्क, मचान, स्टेजिंग वगैरह को हटा देगा और काम के दौरान और बैंक की संतुष्टि के लिए खराब हुई सभी चीज़ों को पूरी तरह से ठीक कर देगा।
12. सफल निविदा देने वाले को अप्रूव्ड कलर स्कीम के सैंपल लगाने होंगे (जहां भी रीपेंटिंग का काम होना है) और काम पूरा करने से पहले बैंक के इंजीनियर से उसे अप्रूव करवाना होगा। बैंक के इंजीनियर जो भी बदलाव/बदलाव सुझाएंगे, उन्हें बिना किसी हिचकिचाहट के किया जाना चाहिए।

13. काम के घंटों के बाद किसी भी मज़दूर को कैंपस के अंदर रहने की इजाज़त नहीं होगी।

14. सामान रखने के लिए टेम्पररी लॉक करने लायक स्टोरेज स्पेस, संविदाकर्ता तय जगह पर अवेलेबिलिटी के हिसाब से टेम्पररी तौर पर बना सकता है। लेकिन, स्टोर में रखे सामान के लिए बैंक ज़िम्मेदार नहीं होगा, यह संविदाकर्ता की ज़िम्मेदारी होगी। स्टोर को ठीक से मेंटेन किया जाएगा और काम पूरा होने के बाद बैंक को उसकी मूल कंडीशन (जैसे उसे देते समय था) में सौंप दिया जाएगा। साइट पर लाए गए सामान की क्वालिटी और क्वांटिटी के इंस्पेक्शन के लिए तुरंत बैंक के इंजीनियर को बताया जाएगा।

15. जहां भी ज़रूरत होगी, बैंक का इंजीनियर साइट पर लाए गए पेंटिंग मटीरियल का हिसाब वेरिफ़ाई करेगा। संविदाकर्ता को सही रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए डिलीवरी चालान/इनवॉइस वगैरह समेत सभी डिटेल्स बैंक के इंजीनियर को देनी होंगी। पेंटिंग का पूरा काम पूरा होने के बाद, बैंक का इंजीनियर यह देखेगा कि पेंट बनाने वाली कंपनी ने जितनी मात्रा में पेंट बताया था, उतना ही इस्तेमाल हुआ है या नहीं। हालांकि, ज़्यादा या कम होने पर भी यह ठीक रहेगा।

16. सभी ज़रूरी सुरक्षा उपाय जैसे कि सही सेफ्टी नेट से ढकना, धूल से बचाने वाले कपड़े, रिपेयर के काम के दौरान पास की खिड़कियों को प्लाईवुड से ढकना, काम करने वालों को सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट वगैरह जैसे सुरक्षा गियर का इस्तेमाल करना होगा। बोली लगाने में दिलचस्पी रखने वालों को सलाह दी जाती है कि वे उसी हिसाब से कोटेशन दें।

17. बोली लगाने वाले संविदाकर्ता को सलाह दी जाती है कि वे काम की जगह का इंस्पेक्शन करें और आने से पहले अपनी असली मात्रा का पता लगा लें और शेड्यूल ऑफ़ क्वांटिटीज़ के हिसाब से अपने रेट बताएँ। काम मिलने के बाद, इंडिकेटिव और असली मात्रा में अंतर का कोई भी क्लेम बैंक स्वीकार नहीं करेगा। संबंधित आइटम के लिए माप उनकी यूनिट के हिसाब से किया जाएगा, जो शेड्यूल ऑफ़ क्वांटिटीज़ में बताई गई हैं और संविदाकर्ता द्वारा इन आइटम के लिए बताए गए आइटम रेट के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। संविदाकर्ता की आसानी के लिए, काम के अलग-अलग आइटम की टेंटेटिव मात्रा निविदा दस्तावेज़ के साथ दिए गए शेड्यूल ऑफ़ क्वांटिटीज़ में दी गई है।

18. सभी बिडिंग वेंडर्स को सलाह दी जाती है कि वे साइट पर आएं और अगर कोई दिक्कत/शक हो, तो उसे बोली-पूर्व बैठक के समय ज़रूर बताएं, ताकि आगे की जानकारी मिल सके। अगर बिडिंग वेंडर्स बोली-पूर्व बैठक में या उससे पहले कोई दिक्कत नहीं उठाते हैं या कोई सफाई नहीं मांगते हैं, तो यह माना जाएगा कि बोलीदाताओं को नियम और शर्तें की अच्छी जानकारी है और किसी भी हालत में संविदा के स्कोप, नियम और शर्तें में बदलाव के लिए कोई और अनुरोध नहीं मानी जाएगी।

खंड VI - परिशिष्ट जिसका उल्लेख पहले किया गया है

संविदा की सामान्य शर्तों के क्लॉज़ का संदर्भ

इसके पूर्व संदर्भित

1.	दोष दायित्व अवधि	काम पूरा होने की तिथि से बारह महीने
2.	अंतिम माप की अवधि	3 महीने
3.	प्रारंभण की तिथि	वर्क ऑर्डर जारी होने की तिथि से 14 वें दिन
4.	की दर से परिसमाप्त क्षति	काम पूरा होने में देरी होने पर हर हफ़्ते के लिए लिक्विडेटेड डैमेज की रिकवरी, मंज़ूर निविदा राशि के 0.25% की दर से होगी और मंज़ूर निविदा राशि के ज़्यादा से ज़्यादा 10% तक होगी।
5.	अंतरिम प्रमाणपत्र/रनिंग अकाउंट बिल के लिए काम की मिनिमम वैल्यू	₹15 लाख
6.	भुगतान प्रमाणपत्र को पूरा करने की अवधि	अंतरिम बिल के लिए एक महीना और अंतिम बिल के लिए 3 महीने।
7.	विलंबित भुगतान के लिए ब्याज	बैंक दर के अनुसार

संविदा की स्पेशल कंडीशन के क्लॉज़ का रेफरेंस

1	संविदा अवधि/पूरा होने का समय	75 दिन
2	प्रतिधारण धन	डीएलपी तक संविदा मूल्य का 5%
2	काम के दौरान सिक्योरिटी डिपॉज़िट / PBG	डीएलपी तक संविदा मूल्य का 5%

खंड-**VII**

सुरक्षा कोड (ए और बी)

ए. सामान्य सुरक्षा

1. फर्स्ट एड के सामान, जिसमें स्टेरिलाइज़्ड ड्रेसिंग और रूई की सही सप्लाई शामिल है, आसानी से मिलने वाली जगह पर दिए जाएंगे।
2. अगर चोट की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती होने की ज़रूरत हो, तो घायल व्यक्ति को बिना समय गंवाए पब्लिक हॉस्पिटल ले जाना चाहिए।
3. जो काम ज़मीन से सुरक्षित रूप से नहीं किए जा सकते, उनके लिए काम करने वालों को सही और मज़बूत मचान दिए जाने चाहिए।
4. कोई भी पोर्टेबल सिंगल सीढ़ी 8 मीटर से ज़्यादा लंबी नहीं होगी। साइड रेल के बीच की चौड़ाई 30 cm (साफ़) से कम नहीं होगी और दो आस-पास के डंडों के बीच की दूरी 30 cm से ज़्यादा नहीं होगी। जब सीढ़ी का इस्तेमाल किया जाता है, तो सीढ़ी को पकड़ने के लिए एक अतिरिक्त मज़दूर लगाया जाएगा।
5. खुदाई का सामान खाई के किनारे से 1.5 मीटर या खाई की आधी गहराई के अंदर नहीं रखा जाएगा, जो भी ज़्यादा हो। सभी खाइयों और खुदाई वाली जगहों पर ज़रूरी फेंसिंग और लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी।
6. किसी बिल्डिंग के फ़र्श या काम करने वाले प्लेटफ़ॉर्म में हर खुली जगह पर लोगों या सामान को गिरने से बचाने के लिए सही फेंसिंग या रेलिंग लगाई जाएगी; कम से कम ऊंचाई एक मीटर होगी।
7. किसी भी फ़र्श, छत या स्ट्रक्चर के दूसरे हिस्से पर इतना ज़्यादा मलबा या सामान नहीं होना चाहिए कि वह अनसेफ हो जाए।
8. डामर, सीमेंट मोर्टार या कंक्रीट और चूने के मोर्टार जैसे मटीरियल को मिलाने और संभालने वाले वर्कर्स को प्रोटेक्टिव फुटवियर और रबर हैंड-ग्लव्स दिए जाएंगे।
9. वेल्डिंग के काम में लगे लोगों को वेल्डर की सुरक्षा के लिए आई-शील्ड और ग्लव्स दिए जाएंगे।
10. i) लेड या लेड प्रोडक्ट्स वाला कोई भी पेंट इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, सिवाय पेस्ट या रेडीमेड पेंट के।
 ii) जब स्प्रे के रूप में पेंट लगाया जाता है या लेड पेंट वाली सतह को सूखा रगड़कर हटाया जाता है, तो काम करने वालों के इस्तेमाल के लिए सही फेस मास्क दिए जाएंगे।
11. बोलीदाता पेंटर्स को ओवरऑल्स देगा और काम बंद होने के दौरान काम करने वाले पेंटर्स को धोने के लिए काफ़ी सुविधाएँ देनी होंगी।
12. काम में इस्तेमाल होने वाली होइस्टिंग मशीनें और सामान, उनके संलग्नमेंट, एंकरेज और सपोर्ट सहित, एकदम सही हालत में होने चाहिए।
13. ऊपर उठाने या नीचे करने वाले सामान या सस्पेंशन के लिए इस्तेमाल होने वाली रस्सियाँ टिकाऊ क्वालिटी की और सही मज़बूत होनी चाहिए और उनमें कोई खराबी नहीं होनी चाहिए।
14. बोलीदाता को कानूनी नियमों के अनुसार काम करने के लिए वर्कर्स को सभी सेफ्टी गैजेट्स देने होंगे।
15. काम करते समय ज़रूरी फायर सेफ्टी उपाय भी किए जाएंगे।

----------एक्स----------

बी. आग और विद्युत सुरक्षा

1. साइट पर कटिंग / ड्रिलिंग मशीन जैसी अलग-अलग सर्विस के लिए सभी टेम्पररी बिजली सही रेटिंग वाले अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन डिवाइस (ELCB) से दी जाएगी।
2. सिर्फ़ ISI मार्क वाले 3 पिन प्लग और दूसरे अप्लायंस और इक्विपमेंट ही इस्तेमाल किए जाने चाहिए। इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रिकल पावर केबल/वायर सही रेटिंग वाले होने चाहिए और जॉइंट से बचना चाहिए। अगर हैं, तो जॉइंट सही और इंसुलेटेड होना चाहिए।
3. सभी बिजली के उपकरण जैसे वेल्डिंग, ड्रिलिंग, कटिंग मशीन, वगैरह को काम करते समय लीकेज करंट को रोकने के लिए सुरक्षित रूप से अर्थ किया जाना चाहिए। किसी भी दिन पहली बार वेल्डिंग का काम शुरू करने से पहले, फायर सेक्शन को सूचित किया जाना चाहिए और फायर अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा साइट इंस्पेक्शन के बाद ही काम शुरू किया जाएगा।
4. आग बुझाने के लिए तुरंत इस्तेमाल के लिए तैयार, साफ़ सूखी रेत से भरी फायर बकेट, आग से निपटने के लिए सही फायर एक्सटिंग्विशर के अलावा, साफ़ तौर पर मार्क की जाएंगी और साइट पर आसान जगह पर रखी जाएंगी।
5. इस्तेमाल किए गए पेंट ड्रम को ठीक से बंद करने के बाद ही बताए गए स्टोर में स्टोर किया जाना चाहिए।
6. किसी भी फायर एक्सटिंग्विशर को उसकी तय जगह से हटाया/शिफ्ट नहीं किया जाएगा।
7. काम की ज़रूरत के हिसाब से, काम करने वाले लोग काम से होने वाले हेल्थ खतरों से बचने के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे सेफ्टी शूज़, हैंड ग्लव्स, वेल्डर मास्क, इयर प्लग वगैरह का इस्तेमाल करेंगे।
8. लिफ्ट लॉबी और सीढ़ियों के पास के किसी भी रास्ते का इस्तेमाल किसी भी तरह का सामान/कचरा रखने/डंप करने के लिए नहीं किया जाएगा।
9. जब इक्विपमेंट इस्तेमाल में न हो, तो मेन्स से पावर सप्लाई बंद कर दी जाएगी।
10. काम से निकलने वाली लकड़ी की छीलन, बुरादा या कोई भी कचरा रोज़ाना इकट्ठा किया जाएगा, साइट से हटाया जाएगा और सही तरीके से तय जगह पर स्टोर किया जाएगा।
11. काम के दौरान काम की जगह पर ठीक से रोशनी होनी चाहिए।
12. सभी बिजली के काम लाइसेंस वाले/**अधिकृत** इलेक्ट्रीशियन/वायरमैन से ही करवाए जाने चाहिए।
13. लाइट के लिए टेम्पररी तार बिछाने से बचने के लिए काम की जगह पर पोर्टेबल बैटरी से चलने वाली लाइट का इस्तेमाल किया जा सकता है।
14. काम की जगह पर ज़रूरी बैरिकेडिंग और अच्छी क्वालिटी के साइन बोर्ड खास जगहों पर लगाए जाएंगे।
15. एल्युमिनियम/स्टील की सीढ़ियों के बेस पर सही रबर इंसुलेशन होना चाहिए और जहाँ भी ज़रूरत हो, इन सीढ़ियों को इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग सेफ़ रबर मैट पर रखा जाना चाहिए।
16. काम से निकलने वाले किसी भी मलबे को रोज़ाना इकट्ठा किया जाएगा, साइट से हटाया जाएगा और सही तरीके से तय जगह पर स्टोर किया जाएगा।

----------एक्स----------

खंड VIII

सामान्य तकनीकी विनिर्देश - सिविल

कार्य के दायरे में **"<u>बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में पूर्व और दक्षिण की ओर पुराने माइल्ड स्टील (एमएस) फिक्स्ड ग्लेजिंग को तीसरी मंजिल पर नए यूपीवीसी ग्लेजिंग सह शटर सिस्टम विंडो से बदलना, साथ ही संबद्ध सिविल कार्य शामिल हैं।</u>**
अनुसार। नीचे दिए गए स्पेसिफिकेशन्स संविदा का हिस्सा होंगे और इन्हें स्पेसिफिकेशन्स के सप्लीमेंटल माना जाएगा, न कि उनसे अलग, सिवाय इसके कि यहां खास तौर पर बताया गया हो।

1. गुणवत्ता नियंत्रण

1. गुणवत्ता: कार्यों के लिए उपयोग की जाने वाली सभी सामग्रियों को संबंधित बीआईएस और उनके संबंधित प्रकार की सर्वोत्तम गुणवत्ता के अनुसार यहां निर्दिष्ट किया जाएगा और अनुमोदित किया जाएगा और इसके बाद निर्धारित परीक्षणों का सख्ती से पालन किया जाएगा या, जहां परीक्षण सूची विनिर्देश में निर्धारित नहीं किए गए हैं, द्वारा अनुमोदित प्रासंगिक भारत मानकों के नवीनतम संस्करण की आवश्यकताओं के साथ। अभियंता,
2. निरीक्षण और परीक्षण: - काम में शामिल करने से पहले सभी मटीरियल का इंस्पेक्शन और टेस्टिंग किया जाएगा, जैसा कि संविदा की शर्तों और स्पेसिफिकेशन्स में कहीं और बताया गया है। सभी टेस्ट के लिए सभी सैंपल की कीमत, स्टैंडर्ड्स से जुड़े हुए, संविदा रेट्स में शामिल मानी जाएगी। काम में कोई भी मटीरियल तब तक इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जब तक उसे पहले इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि से मंज़ूरी न मिल जाए। साइट पर सप्लाई किए गए मटीरियल के लॉट के साथ मटीरियल के लिए मैन्युफैक्चरर का टेस्ट प्रमाणपत्र होगा, जिसे बैंक के इंजीनियर के कहने पर टेस्टिंग के लिए भेजा जा सकता है।
3. सैंपल- काम में इस्तेमाल होने वाले या शामिल किए जाने वाले और संविदाकर्ता द्वारा सप्लाई किए जाने वाले सभी मटीरियल के सैंपल इंजीनियर या उनके प्रतिनिधि किसी भी समय मंगवा सकते हैं।
4. स्वतंत्र परीक्षण- सप्लायर के काम, टेस्ट और एनालिसिस की जांच करने के लिए, इंजीनियर/बैंक द्वारा नियुक्त टेस्टिंग हाउस या एनालिस्ट समय-समय पर किसी भी मटीरियल का इंडिपेंडेंट टेस्ट और एनालिसिस कर सकते हैं। टेस्टिंग और एक्सेप्टेंस मानदंड का प्रोसेस संबंधित।IS कोड में बताया गया होगा। संविदाकर्ता अपने खर्चे पर इंजीनियर के बताए अनुसार टेस्टिंग हाउस या एनालिस्ट को मटीरियल सप्लाई और डिलीवर करेगा। अगर किसी टेस्ट का रिजल्ट इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि को ठीक नहीं लगता है, तो पेश किया गया मटीरियल रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सभी टेस्ट का खर्च संविदाकर्ता उठाएगा। संविदाकर्ता।
5. इंजीनियर-इन-चार्ज काम मिलने के बाद कंक्रीट के कामों के लिए क्वालिटी कंट्रोल फ़ॉर्मेट दे सकता है। संविदाकर्ता ध्यान देगा कि उसे ऐसे सभी फ़ॉर्मेट अपनाने होंगे।
6. इसके अलावा, अगर संविदाकर्ता के अपने QC फ़ॉर्मैट हैं, तो वह उन्हें ज़रूरी समझे जाने वाले बदलावों और इंजीनियर-इन-चार्ज की मंज़ूरी के बाद अपना सकता है।
7. किसी भी मामले में संविदाकर्ता को संविदा मिलने के बाद अपना डिटेल्ड क्वालिटी एश्योरेंस प्लान जमा करना होगा। इसे इंजीनियर-इन-चार्ज रिव्यू करेगा, सही तरीके से बदलेगा और मंज़ूरी देगा।

8. इंस्पेक्शन: - सभी मटीरियल, कारीगरी और तैयार कंस्ट्रक्शन का लगातार इंस्पेक्शन और इंजीनियर-इन-चार्ज की मंज़ूरी लेनी होगी। इंजीनियर- इन-चार्ज द्वारा रिजेक्ट किए गए मटीरियल को 3 (तीन) वर्किंग डेज़ के अंदर साइट से साफ़ तौर पर हटा दिया जाएगा और संविदाकर्ता उसे तुरंत बदल देगा, जिसके लिए मालिक को कोई अतिरिक्त खर्च नहीं देना होगा।
9. सफ़ाई- कंक्रीट का काम पूरा होने पर, काम से निकले सभी फॉर्म, इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन टूल, प्रोटेक्टिव कवरिंग और कोई भी मलबा, लकड़ी के टुकड़े वगैरह हटा दिए जाएंगे और जगह को साफ़ छोड़ दिया जाएगा।

माप का तरीका (IS 1200 के अनुसार) :
लंबाई और चौड़ाई एक cm तक सही मापी जाएगी। एरिया की गिनती sqm (दशमलव के दो स्थानों तक सही) में की जाएगी, जब तक कि कुछ और न कहा गया हो। पेंट की गई सतहों की 10 sq. decimeter (0.1 sqm) से ज़्यादा नहीं होने वाली छोटी चीज़ों को गिना जाएगा, जो इसी तरह के पेंट किए गए काम के साथ न हों। चौड़ाई या परिधि में 10 cm तक की पेंटिंग और इसी तरह के पेंट किए गए काम के साथ न होने पर रनिंग मीटर में दी जाएगी और ज़रूरत पड़ने पर लाइन में कटिंग भी शामिल होगी। नोट: ट्रस, कंपाउंड गर्डर, स्टैंचियन, जाली और इसी तरह के काम के हिस्से, हालांकि, सदस्यों के आकार या परिधि पर ध्यान दिए बिना sq. meters में दिए जाएंगे। पेंटिंग के काम में प्राइमिंग कोट ऑफ़ पेंटिंग शामिल किया जाएगा।
जॉइनरी और स्टील वर्क वगैरह की पेंटिंग, वार्निशिंग, ऑइलिंग वगैरह को मापने में, नीचे दी गई टेबल में दिए गए कोएफिशिएंट का इस्तेमाल पेएबल एरिया पता करने के लिए किया जाएगा। कोएफिशिएंट को फ्लैट मापे गए एरिया पर लागू किया जाएगा, न कि घेरे हुए एरिया पर।

स्वीकृत सामग्री की सूची (सिविल)

क्रमांक।	सामग्री	स्वीकृत निर्माता / ब्रांड नाम और मॉडल
1	रँगना	डुलक्स, अक्ज़ो नोबल, बर्जर, एशियन, वगैरह या कोई भी
2	जलरोधी रसायन	पॉलीआल्क WP, ROFF, हाइड्रो प्रूफ, PIDILITE, फॉसरोक, सिका, BASF, ICI डुलक्स या कोई भी अप्रूव्ड इक्विवेलेंट
3	स्ट्रक्चरल रिपेयर के लिए केमिकल / एडमिक्सचर	फॉसरोक, डॉ. फिक्सिट, BASF, SIKA या स्वीकृत समकक्ष
4	जिंक क्रोमेट प्राइमर	एशियन पेंट्स लिमिटेड, बर्जर पेंट्स या स्वीकृत समकक्ष
5	पुट्टी	बिरला व्हाइट, JK व्हाइट या मंज़ूर बराबर।
6	सीमेंट	ACC, अल्ट्रा टेक, अंबुजा, बिरला, या ISI ब्रांडिंग के साथ
7	टाइलें	NITCO, जॉनसन, कजारिया, RAK या कोई भी स्वीकृत
8	प्लाईवुड	किटप्लाई, ग्रीन प्लाई, सेंचुरी या ISI ब्रांडिंग के साथ मंज़ूर बराबर वुडेन।
9	टुकड़े टुकड़े में	ग्रीनलैम, सेंचुरी, मेरिनो, फॉर्मिका इंडिया या स्वीकृत समकक्ष
10	यूपीवीसी खिड़की	फेनेस्टा, वेका, प्रोमिनेंस, कोमरलिंग या अप्रूव्ड इक्विवेलेंट
11	काँच	मोदी गार्ड, सेंट गोबेन, AIS, या मंज़ूर बराबर।
12	आंतरिक इमल्शन पेंट	एशियन पेंट्स, बर्जर, ICI डुलक्स वगैरह या कोई मंज़ूर बराबर
13	पीवीसी पाइप	फिनोलेक्स, सुप्रीम, प्लास्टो, एस्ट्रल या ISI ब्रांडिंग के साथ मंज़ूर
14	सुदृढीकरण	टाटा / सेल या अनुमोदित समकक्ष
15	स्टील प्लेट (ग्रेड 304)	टाटा या अनुमोदित समकक्ष
16	प्लंबिंग / सैनिटरी फिटिंग	जैगुआर, पैरीवेयर, हिंदवेयर, मार्क, चिली, अल्पिना या कोई भी
17	बढ़ईगीरी हार्डवेयर,	हेटिच, हैफ़ेल, डोरमा काबा, या मंज़ूर बराबर का ब्रांड

नोट: संविदाकर्ता को काम में इस्तेमाल करने से पहले सभी मटीरियल बैंक से अप्रूव करवाना होगा। सभी मटीरियल 1st क्वालिटी के ISI मार्क वाले/ ISI स्टैंडर्ड अप्रूव्ड होने चाहिए। अगर बताए गए अप्रूव्ड ब्रांड उपलब्ध नहीं हैं, तो बैंक / बैंक के इंजीनियर से अप्रूव्ड बराबर का मेक ही काम में इस्तेमाल किया जा सकता है। जहाँ भी संविदाकर्ता बराबर के मेक (यानी बताए गए के अलावा) इस्तेमाल करने का प्रपोज़ल रखता है, तो ऐसा बैंक / बैंक के इंजीनियर से पहले से अप्रूवल लेने

और ज़रूरी कागजी सबूत जमा करने के बाद ही किया जाएगा। इसके कारण होने वाला कोई भी अतिरिक्त खर्च और समय पूरी तरह से संविदाकर्ता का होगा और इस बारे में किसी भी तरह का क्लेम नहीं माना जाएगा।

तिथि: - संविदाकर्ता के साइन और सील
जगह: - नाम और पता:

साइट पर रखे जाने वाले दस्तावेज़ों की सूची

क्रमांक	दस्तावेज़ का विवरण	टिप्पणी
1	संविदा करार. संविदा की सर्टिफाइड सच्ची कॉपी	
2	साइट ऑर्डर बुक - रोज़ाना के सुपरविज़न के दौरान साइट पर इंजीनियर-इन-चार्ज या उनके प्रतिनिधि द्वारा निर्देश जारी करने के लिए। यह बुक मशीन नंबर वाले पन्नों के साथ ट्रिपल कॉपी बुक के रूप में होगी। निर्देश रिकॉर्ड करने के बाद, एक कॉपी इंजीनियर-इन-चार्ज या उनके प्रतिनिधि लेंगे, दूसरी संविदाकर्ता लेंगे और तीसरी कॉपी बुक में रहेगी, जिस पर ज़रूरी कार्रवाई करने के बाद संविदाकर्ता द्वारा नियमों का पालन रिकॉर्ड किया जाएगा।	प्रोफार्मा 1
3	साइट पर मटेरियल रजिस्टर। संविदाकर्ता द्वारा रोज़ाना दिए गए और दिए गए मटेरियल को रिकॉर्ड करना।	प्रोफार्मा 2
4	माप पुस्तिका	प्रोफार्मा 3
5	रुकावटों की डिटेल्स, कारण और उसे हटाने का टाइम अवधि रिकॉर्ड करने के लिए रुकावट रजिस्टर, जिस पर साइट इंजीनियर/इंजीनियर-इन-चार्ज प्रतिनिधि और संविदाकर्ता के प्रतिनिधि मिलकर साइन करते हैं।	प्रोफार्मा 4
6	अतिरिक्त/वेरिएशन ऑर्डर के लिए फाइल और रजिस्टर करें अतिरिक्त/वेरिएशन आइटम का रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए	प्रोफार्मा 5

तिथि: संविदाकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर

जगह: नाम और पता:

फॉर्म 1- साइट ऑर्डर बुक

काम का नाम:
वर्क ऑर्डर रेफरेंस:
वर्क ऑर्डर की तिथि:
शुरू होने की तिथि:
शुरू होने की असली तिथि:
पूरा होने की तय तिथि:
पूरा होने की असली तिथि:

क्रमांक।	बैंक के इंजीनियर की टिप्पणी/निर्देश	बैंक के इंजीनियर के दिनांकित आद्याक्षर	निर्देश मिलने पर संविदाकर्ता के नाम के पहले अक्षर	दिनांक सहित की गई कार्रवाई	साइट इंजीनियर के दिनांकित आद्याक्षर	बैंक के अधिकारियों की टिप्पणी

प्रोफार्मा 2- साइट रजिस्टर पर सामग्री

काम का नाम :	
कार्य - आदेश:	
प्रारंभ की अनुसूची तिथि	
प्रारंभ की वास्तविक तिथि	
पूरा होने की निर्धारित तिथि	
पूरा होने की वास्तविक तिथि	

क्रमांक	तिथि	चालान संख्या	सामग्री का विवरण	मात्रा	हस्ताक्षर			टिप्पणी
					संविदाकर्ता	जेई	एएम/एमजीआर	

फॉर्म 4 - माप पुस्तिका

(बाउंड वॉल्यूम के रूप में तीन प्रतियों में दिया जाएगा)

एमबी क्रमांक._____ पृष्ठ क्रमांक._____

निविदा आइटम नं.	काम के आइटम का पूरा विवरण	मापन				मात्रा	निविदा दस्तावेज़ के अनुसार मात्रा
		नहीं।	एल	बी	डी/एच		

रनिंग अकाउंट बिल / फाइनल बिल के लिए लागत का सारांश

चालू खाता बिल संख्या:

एमबी क्रमांक _____ पृष्ठ क्रमांक _____

सीरीयल नम्बर।	निविदा आइटम नं.	काम के आइटम का पूरा विवरण	मात्रा	₹ दर	इकाई	₹ मात्रा
(स्तंभ 1)	(स्तंभ 2)	(स्तंभ 3)	(स्तंभ 4)	(स्तंभ 5)	(स्तंभ 6)	(स्तंभ 7)

प्रोफार्मा 4 - बाधा रजिस्टर

काम का नाम :									
कार्य - आदेश:									
प्रारंभ की अनुसूची तिथि									
प्रारंभ की वास्तविक तिथि									
पूरा होने की निर्धारित तिथि									
पूरा होने की वास्तविक तिथि									
क्रम सं.	बाधा		ओवरलैपिंग बाधा (दिन)	शुद्ध बाधा (दिनों में)	संचयी बाधा (दिनों में)	कारण	संविदाकर्ता का चिन्ह	जेई	पूर्वाह्न या एमजी आर या सहायक महाप्रबंधक
	से	को							

फॉर्म 5 - अतिरिक्त/वेरिएशन के लिए फाइल और रजिस्टर करें

काम का नाम:									
संविदाकर्ता का नाम:									
कार्य - आदेश:									
निविदा की रकम:									
अब तक मंज़ूर अतिरिक्त/वैरिएशन आइटम की रकम:									
अभी तक मंज़ूरी के लिए सुझाए गए अतिरिक्त/वैरिएशन आइटम का कुल संभावित फ़ाइनेंशियल असर, जिसमें मौजूदा प्रस्ताव भी शामिल है:									
क्रमांक	वस्तु का विवरण	मात्रा	इकाई	संविदाकर्ता के दावे		एएम(टेक)/एमजीआर(टेक)(साइट) का प्रस्ताव		क्षेत्रीय निदेशक की सिफारिश	
				दर	मात्रा	दर	मात्रा	दर	मात्रा

खंड – X
बिना मूल्य वाला मात्रा बिल
(मूल्य बोली/भाग II की इमेज)

मद संख्या।	आइटम का विवरण	मात्रा।	इकाई।
1.	**<u>मजबूत, अलग और सुरक्षित, स्टील डबल मचान देना और खड़ा करना:</u>** मजबूत, स्वतंत्र और सुरक्षित, स्टील डबल मचान प्रदान करना और खड़ा करना, कप लॉक प्रकार / एच प्रकार के फ्रेम का उपयोग करके, कम से कम 40 मिमी व्यास वाले हल्के स्टील (एमएस) ट्यूबों से बना, ऊर्ध्वाधर सहारे, क्षैतिज ब्रेसिंग, सुरक्षा रेल / बैरिकेड्स आदि के लिए केंद्र से केंद्र तक 1.50 से अधिक दूरी पर नहीं। स्टील ट्यूबलर सेक्शन (लंबवत और क्षैतिज) को आसानी से खड़ा करने और खोलने के लिए कप और लॉक / नॉक-डाउन प्रकार के कपलिंग / बन्धन तंत्र के साथ जोड़ा जाएगा, जिसमें सभी स्तरों पर काम करने / निरीक्षण की सुविधा के लिए लकड़ी / स्टील के तख्तों / पैनलों के साथ उचित रूप से समर्थित सीढ़ियाँ, प्लेटफॉर्म / स्टेजिंग, सुरक्षा रेल / बैरिकेड्स होंगे। स्कैफोल्डिंग को बिल्डिंग/स्ट्रक्चर पर सपोर्ट नहीं दिया जाएगा और इसे तब तक रखा जाएगा जब तक काम पूरा नहीं हो जाता, जिसमें खोलना, प्लास्टर करना, ओपनिंग के लिए ग्रेनाइट स्लैब लाइनिंग लगाना, खिड़कियां और ग्रिल लगाना और आस-पास की मरम्मत और दोबारा पेंट करना वगैरह, इंस्पेक्शन, मेज़रमेंट वगैरह शामिल हैं, और फिर इसे ध्यान से खोलकर हटा दिया जाएगा, डिस्पोज़ किया जाएगा और बैंक की जगह से दूर ले जाया जाएगा। हर बे के सिरों पर वर्टिकल सपोर्ट, सबसे ऊपरी हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग और ग्राउंड लेवल के बीच की ऊंचाई का एरिया मापा जाएगा, ताकि मात्रा पता चल सके। पूरे काम के दौरान नेट फेस एरिया एक बार मापा जाता है।		

		276.00	वर्गमीटर.
2	**<u>मौजूदा माइल्ड स्टील (MS) खिड़कियों को खोलना/हटाना और हटाना, जिनका एरिया हर खिड़की के लिए 3.00 Sqm से ज़्यादा हो:</u>** बैंक के मुख्य कार्यालय भवन और दूसरी मंजिल पर मौजूद माइल्ड स्टील (एमएस) खिड़कियों, जिनका अनुमानित कुल आयाम 1.77 एमएक्स 3.25 मीटर है, को एमएस / लकड़ी के बाहरी फ्रेम, शटर, कांच, फिटिंग / फिक्सचर / फास्टनर, हार्डवेयर इत्यादि के साथ सावधानीपूर्वक खोलना और हटाना, हटाए गए और हटाए गए सामग्रियों को, जिसमें बचाव योग्य सामग्री भी शामिल है, बैंक के इंजीनियरों द्वारा बैंक परिसर के भीतर दिखाए गए स्थानों पर व्यवस्थित तरीके से स्थानांतरित करना और उनका निपटान करना, मलबे और गैर-बचाव योग्य वस्तुओं को बैंक परिसर से दूर ले जाना और उन्हें कोलकाता नगर पालिका निगम या किसी अन्य स्थानीय निकाय प्राधिकरण आदि द्वारा अधिकृत डंपिंग यार्ड में डालना, बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार पूरा करना। स्ट्रक्चरल मेंबर्स, दूसरे इंस्टॉलेशन, फिटिंग्स, दीवारों की अंदरूनी और बाहरी दोनों सतहों पर डैडो समेत फिनिश वगैरह को गलती से हुए किसी भी नुकसान को ठीक करके उनकी असली हालत में वापस लाया जाएगा। काम के दायरे में, खिड़कियां हटाने के बाद, दीवारों पर बची हुई खुली जगहों को टेम्पररी तौर पर बंद करना शामिल होगा, जिसमें 6mm प्लाईवुड पैनल/प्लैंक और तिरपाल लगाकर उन्हें तब तक लगाया जाएगा, जब तक उन खुली जगहों में नई खिड़कियां नहीं लगा दी जातीं। काम की जगह को टेम्पररी तौर पर अलग करके स्क्रीन/तिरपाल लगाकर अलग किया जाएगा ताकि हटाने के दौरान धूल दूसरी जगहों पर न फैले। जिन खिड़कियों को हटाया और तोड़ा जाना है, उनकी खुली जगहों के सिल्स, जैम्स और सॉफिट्स पर लाइनिंग और इन खुली जगहों के पास की दीवारों के बाहरी और अंदरूनी हिस्सों पर क्लैडिंग, जिसे बनाए रखना होगा, उसे ढीले होने/गिरने से बचाने के लिए सही प्लैंकिंग/प्रॉपिंग और काउंटर सनक स्क्रू लगाकर, एडहेसिव/ग्लू वगैरह लगाकर और लगाकर ठीक से सुरक्षित किया जाएगा। शिफ्ट किए गए और स्टैक किए गए बचाए जा सकने वाले सामान को हटाने के लिए रिबेट (स्क्रैप / बाय-बैक वैल्यू) पर नीचे दिए गए आइटम नंबर 6 के तहत अलग से विचार किया जाएगा।	23.00	प्रत्येक।

3.	**<u>खिड़कियों के खुलने की जगह पर लाइनिंग के तौर पर कम से कम 16 mm मोटे ग्रेनाइट स्लैब देना और लगाना।</u>** ऊपर आइटम नंबर 2 के अनुसार, खिड़कियों को हटाने और खोलने के बाद दीवारों पर बची हुई खुली जगहों की सिल, सॉफिट और जाम्ब को ठीक से तैयार करना। मौजूदा प्लास्टर, कांच या मिट्टी के सिरेमिक मोज़ेक टाइल / ग्रेनाइट / रेत / ग्रेनाइट पत्थर के स्लैब की लाइनिंग / क्लैडिंग को उनके पिछले मोर्टार के साथ सावधानी से हटाकर, CM 1:3 में सीमेंट प्लास्टर लगाकर और वॉटर प्रूफिंग कंपाउंड या अप्रूव्ड मेक / ब्रांड के रेडी-मिक्स प्लास्टर के साथ मिलाकर, ज़रूरी साइज़ में काटकर और सिल में कम से कम 16 mm मोटे अप्रूव्ड क्वालिटी और शेड ग्रेनाइट स्लैब (लंबाई में) बिना हर तरफ जोड़ के एक ही टुकड़े में लगाना, सीमेंट स्लरी या अप्रूव्ड क्वालिटी और टाइल एडहेसिव से फिक्स करना, प्लास्टर की गई सतहों / पत्थर के स्लैब की लाइनिंग / क्लैडिंग पर, जहाँ भी उन्हें साइट की शर्तों के अनुसार बनाए रखना हो। स्लैब के दोनों तरफ के खुले किनारे दीवारों के किनारों से 5 mm से 10 mm तक बाहर निकले होने चाहिए और उन्हें आधा गोल किया जाना चाहिए और मशीन से पॉलिश किया जाना चाहिए ताकि स्लैब की पहले से पॉलिश की गई सतह जैसी ही फिनिश मिल सके। काम के दायरे में, नुकसान (अंदर और बाहर दोनों सतहों) को ठीक करना शामिल होगा, जो आम तौर पर आस-पास की फिनिशिंग से मेल खाते हों और प्रभावित जगहों की दोबारा पेंटिंग करना। काम के दायरे में, बैंक के इंजीनियरों द्वारा बैंक परिसर के अंदर दिखाई गई जगहों पर, तोड़े और हटाए गए सामान को व्यवस्थित तरीके से शिफ्ट करना और डिस्पोज़ करना शामिल होगा। साथ ही, उन्हें बैंक परिसर से दूर ले जाकर कोलकाता म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन या किसी दूसरी लोकल बॉडी अथॉरिटी वगैरह द्वारा अधिकृत डंपिंग यार्ड में डंप करना होगा, जो बैंक के इंजीनियर के बताए अनुसार पूरा होगा। दीवारों/स्ट्रक्चरल हिस्सों, दूसरे इंस्टॉलेशन, फिटिंग और फिनिशिंग को नुकसान से बचाने, और डिस्पोज़ करने के दौरान, तोड़े गए सामान वगैरह के गिरने से बचने का ध्यान रखना चाहिए। **(ग्रेनाइट स्लैब की बेसिक कीमत - ₹2,100/- प्रति Sqm. जीएसटी अलग से)**	20.00	वर्गमीटर.

4.	**<u>आइटम नंबर 3 में पहले से दी गई सिल पर कम से कम 16 mm मोटे ग्रेनाइट स्लैब देना और लगाना:</u>** ज़रूरी साइज़ में काटना और कम से कम 16mm मोटे, मंज़ूर क्वालिटी और शेड वाले ग्रेनाइट स्लैब (लंबाई में एक ही पीस में, हर तरफ बिना जोड़ के) लगाना, जो आइटम नंबर 3 में पहले से दिए गए ग्रेनाइट सिल पर पूरी लंबाई में ओवरलैप करते हों और मंज़ूर क्वालिटी के साथ एक साथ चिपकाए गए हों और बैंक के इंजीनियर के बताए अनुसार लंबाई में चिपकने वाले पदार्थ बनाएं, ताकि जोड़ों से पानी न टपके। हॉल के अंदर की तरफ वाला खुला किनारा दीवारों के किनारों से 5 mm से 10 mm तक बाहर निकला होना चाहिए और आधा गोल होना चाहिए और मशीन से पॉलिश किया जाना चाहिए ताकि स्लैब की पहले से पॉलिश की गई सतह जैसी ही फिनिश मिल सके। काम के दायरे में नुकसान (अंदर और बाहर दोनों सतहों) को ठीक करना शामिल होगा, जो आम तौर पर आस-पास की फिनिश से मेल खाते हों और प्रभावित जगहों को फिर से पेंट करना होगा। काम के दायरे में यह शामिल होगा कि बैंक के इंजीनियर्स द्वारा बैंक के परिसर में दिखाई गई जगहों पर, तोड़े गए और हटाए गए सामान को सही तरीके से शिफ्ट और डिस्पोज़ करना। साथ ही, उन्हें बैंक के परिसर से दूर ले जाकर कोलकाता म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन या किसी दूसरी लोकल बॉडी अथॉरिटी वगैरह से अधिकृत डंपिंग यार्ड में डालना, जो बैंक के इंजीनियर के बताए अनुसार पूरा हो। दीवारों/स्ट्रक्चरल हिस्सों, दूसरे इंस्टॉलेशन, फिटिंग और फिनिश, और हटाए गए सामान वगैरह को नुकसान से बचाने के लिए, डिस्मेंटलिंग, शिफ्टिंग और डिस्पोज़िंग के दौरान ध्यान रखना चाहिए। काम को अच्छे से पूरा करने के लिए ज़रूरी मचान और स्टेजिंग देना, खड़ा करना, हटाना और अगर ज़रूरी हो तो हटाना भी काम के दायरे में शामिल है। दायरे में मैचिंग 18mm ग्रेनाइट की एक दूसरी ओवरलैपिंग फ्लैशिंग लेयर शामिल है, जिसे बारिश के पानी के रिसाव से बचाने के लिए एक पूरी तरह से वॉटरटाइट स्टेप बैरियर बनाने के लिए मंज़ूर एडहेसिव का इस्तेमाल करके लंबाई में चिपकाया जाता है। **(ग्रेनाइट स्लैब की बेसिक कीमत - ₹2,100/- प्रति Sqm. जीएसटी अलग से)**	10.00	वर्गमीटर.

5.	**<u>फैक्ट्री में बनी uPVC केसमेंट कम फिक्स्ड DGU ग्लास सिस्टम खिड़कियां देना और लगाना, जिनका कुल साइज़ लगभग 1.75 m x 3.25 m है, जिसमें दो खुलने वाले शटर और 4 फिक्स्ड पैनल हैं:</u>** स्वीकृत मेक और शेड (प्रिस्टीन व्हाइट या स्वीकृत समतुल्य) उपलब्ध कराना और लगाना, फैक्ट्री में बनी UPVC केसमेंट कम फिक्स्ड DGU ग्लास खिड़कियां, जिनका कुल माप लगभग 1.75m X 3.25m है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: i. विंडो सिस्टम को अप्रूव्ड मेक स्टैंडर्ड एक्सट्रूडेड UPVC केसमेंट विंडो सेक्शन का इस्तेमाल करके बनाया जाएगा, जिनका क्रॉस-सेक्शनल डाइमेंशन 118 mm x 58 mm (कम से कम 2.5mm) मोटी बाहरी दीवार से कम नहीं होगा, जिसमें मल्टी-चेंबर कंस्ट्रक्शन होगा और बाहरी फ्रेम के तौर पर फैक्ट्री में बना होगा और 118 mm x 80 mm (कम से कम 2.5mm) मोटी बाहरी दीवार होगी, जिसमें ट्रांसॉम/मुलियन के तौर पर मल्टी-चेंबर कंस्ट्रक्शन होगा, या सेक्शन और ट्रांसॉम/मुलियन/बाहरी फ्रेम वगैरह के तौर पर मल्टी-चेंबर कंस्ट्रक्शन होगा, जैसा कि मूल मैन्युफैक्चरर ने बताया है। ii. बाहरी फ्रेम और शटर के सभी कोनों और जोड़ों को बिना किसी मैकेनिकल जोड़ के, मिटर्ड कट और फ्यूजन वेल्डेड किया जाएगा। बाहरी फ्रेम और म्यूलियन को फ्यूजन वेल्डिंग/मैकेनिकल जोड़ों से सही लाइन और लेवल में एक साथ बांधा जाएगा। इसके लिए 'L' आकार के GI / SS क्लीट्स / क्लैंप और स्वीकृत साइज़ और डिज़ाइन के स्क्रू का इस्तेमाल किया जाएगा, जो साइड मूवमेंट को रोकने के लिए सही हों। सभी वेल्डेड जोड़ों को अच्छी तरह से ट्रिम किया जाएगा और फीचर-ग्रूव्ड / रेज़्ड-निब फिनिश किया जाएगा, ताकि तैयार विंडो सिस्टम सभी नुकीले किनारों और गड़गड़ाहट से मुक्त हो। मैकेनिकल जोड़ों को एक साथ चिपकाया जाएगा / भरा जाएगा और स्वीकृत क्वालिटी के ग्लू / सीलेंट से फिनिश किया जाएगा ताकि जोड़ की सही फिनिश सुनिश्चित हो सके। बाहरी फ्रेम में कैप वाले छेद होने चाहिए ताकि बारिश का पानी ठीक से निकल सके।		

	iii. बाहरी फ्रेम को ग्रेनाइट स्लैब क्लैडिंग / फ्रेम / लाइनिंग से मज़बूती से जोड़ा जाएगा, जो ऊपर आइटम नंबर 3 में दिया जाएगा, और हर तरफ (सिल, सॉफिट और जैम्ब) के लिए सही संख्या में M-8 x 75 mm / M-10 x 100 mm SS एंकर फास्टनर का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसा कि मैन्युफैक्चरर ने बताया है। खिड़की के फ्रेम और ग्रेनाइट स्लैब फ्रेम / लाइनिंग के बीच के जोड़ों को, सभी तरफ, मैन्युफैक्चरर के बताए अनुसार गन ग्रेड UV-रेसिस्टेंट सिलिकॉन-बेस्ड सीलेंट या उसके बराबर का सामान लगाकर और लगाकर सील किया जाएगा। iv. ऊपरी स्थिर भाग (**कृपया संलग्न सांकेतिक आकार को देखें**), जिसमें 3 निश्चित ग्लेजिंग शामिल है, को समान आयामों के साथ प्रदान किया जाएगा, कारखाने में स्वीकृत मेक का उपयोग करके बनाया जाएगा, केसमेंट विंडो सैश सेक्शन जिनमें क्रॉस-सेक्शनल आयाम 65 मिमी x 80 मिमी (न्यूनतम 2.5 मिमी) से कम नहीं होंगे, बाहरी दीवार मोटी होगी, बहु-कक्ष निर्माण के साथ, स्वीकृत गुणवत्ता, हर्मिटिकली सीलबंद डीजीयू ग्लास (6 मिमी कठोर + 12 मिमी वायु अंतराल + 6 मिमी कठोर) बनाएं, बाहरी ग्लास 6 मिमी मोटा टेम्पर्ड और लो ई रिफ्लेक्टिव ग्लास होगा और अंदर का ग्लास 6 मिमी मोटा स्वीकृत मेक का स्पष्ट कठोर ग्लास होगा, v. निचला हिस्सा (**कृपया साथ में दिए गए साइज़ को देखें**), जिसमें बीच में 1 फिक्स्ड ग्लेजिंग और फिक्स्ड ग्लेजिंग के दोनों तरफ 2 खुलने वाले शटर हैं, जिनका साइज़ बराबर है, या बैंक की ज़रूरत के हिसाब से, फैक्ट्री में मंज़ूर मेक का इस्तेमाल करके बनाया गया है, केसमेंट विंडो सैश सेक्शन जिनका क्रॉस-सेक्शनल साइज़ 65 mm x 80 mm (कम से कम 2.5mm) से कम नहीं है, बाहरी दीवार मोटी है, मल्टी-चेंबर कंस्ट्रक्शन के साथ, या सेक्शन और मल्टी-चेंबर कंस्ट्रक्शन के साथ ट्रांसॉम/मुलियन/बाहरी फ्रेम वगैरह जैसा कि मूल मैन्युफैक्चरर ने बताया है।, मंज़ूर क्वालिटी, हर्मिटिकली सील्ड DGU ग्लास (6mm टफन्ड + 12mm एयर गैप + 6mm टफन्ड) से बना है, बाहरी ग्लास 6mm मोटा टेम्पर्ड और लो E रिफ्लेक्टिव ग्लास होगा और अंदर		

	का ग्लास 6mm मोटा क्लियर टफन्ड ग्लास होगा जो मंज़ूर मेक का होगा, जिसमें 12mm का एल्युमीनियम स्पेसर (जिसमें कंडेनसेशन रोकने के लिए डेसीकेंट होंगे) और गैस्केट होगा। ज़रूरी साइज़ में, अप्रूव्ड क्वालिटी का EPDM कट होना चाहिए। हर शटर को अप्रूव्ड मेक के SS 304 ग्रेड फ्रिक्शन स्टे के 2 सेट का इस्तेमाल करके बाहरी फ्रेम / म्यूलियन से बांधा जाएगा। हर शटर में अप्रूव्ड क्वालिटी और मेक का लॉकिंग अरेंजमेंट भी होगा जिसमें पाउडर कोटेड जिंक एलॉय (सफ़ेद शेड) केसमेंट हैंडल स्पिंडल, जिंक प्लेटेड माइल्ड स्टील मल्टी पॉइंट लॉकिंग जिसमें केसमेंट स्ट्राइकर एक्सिस, सैश के ग्रोव के अंदर छिपा हुआ एस्पैग बैक सेट और केसमेंट विंडो के लिए कीप के साथ ट्रांसमिशन गियर होगा, जिसमें सही डायमीटर के ड्रिलिंग होल, सही SS / GI स्क्रू वगैरह का इस्तेमाल करके फिक्सिंग शामिल है। vi. बाहरी फ्रेम, मुलियन और शटर में मंज़ूर क्वालिटी के EPDM (एथिलीन प्रोपलीन डाइन मोनोमर) / रबर गैस्केट / बफ़र लगाए जाएंगे ताकि बंद हालत में खिड़की एयर टाइट रहे। vii. UPVC सेक्शन/प्रोफाइल, जैसे कि बाहरी फ्रेम और शटर के फ्रेम को गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील स्ट्रिप्स से ठीक से मजबूत किया जाएगा, जैसा कि मूल मैन्युफैक्चरर के स्पेसिफिकेशन्स में बताया गया है और जैसा बैंक के इंजीनियर ने बताया है। **viii.** रेट में इंस्टॉलेशन, डिलीवरी, हैंडलिंग चार्ज वगैरह शामिल होना चाहिए 1. रेफरेंस स्केच और मेज़रमेंट सिर्फ़ कोटेशन के लिए हैं। संविदाकर्ता को अपने खर्च पर काम मिलने के बाद ऊपर बताए गए डिज़ाइन और शॉप ड्रॉइंग के लिए बैंक से अप्रूवल लेना होगा। 2. काम के दौरान इंडिकेटिव डाइमेंशन / ओपनिंग साइज़ थोड़ा अलग हो सकता है, इसके लिए कोई अतिरिक्त क्लेम नहीं किया जाएगा क्योंकि संविदाकर्ता अपने खर्च पर काम मिलने के बाद ऊपर बताए गए डिज़ाइन और शॉप ड्रॉइंग के लिए बैंक से अप्रूवल लेगा।		

	3. खिड़कियों को तैयार ग्रेनाइट पत्थर की सिल ('Z' प्रोफ़ाइल में स्टेप्ड फ़ॉर्म) पर लगाया जाना है और असली साइज़ ग्रेनाइट खिड़की की सिल पूरी होने पर मिल सकते हैं। **नोट 1- सप्लायर को IS-875 (भाग III) के हिसाब से विंड लोड कैलकुलेशन और वैलिडेशन जमा करना होगा, यानी खिड़की IS 875 (भाग III) के हिसाब से साइक्लोनिक हवा की स्पीड झेल सके। इस बारे में, मटीरियल सप्लाई और इंस्टॉलेशन से पहले पूरी खिड़की, कांच, कब्ज़े वगैरह के लिए मैन्युफैक्चरर से एक टेस्ट प्रमाणपत्र (खुली, बंद हालत में) जमा करना होगा। इंस्टॉलेशन में लीकप्रूफ इंस्टॉलेशन के लिए 10 साल की वारंटी और खिड़की के प्रोफाइल सेक्शन में मैन्युफैक्चरिंग दोष के लिए 10 साल की वारंटी होनी चाहिए। काम के लगभग पूरा होने के दिन से हार्डवेयर पर 5 साल की वारंटी होनी चाहिए।** **नोट 2: फैब्रिकेशन से पहले बोलीदाता को विंडो फैब्रिकेटर से एक ऑथराइज़ेशन लेटर जमा करना होगा, जिसमें यह लिखा हो कि वह उस विंडो ब्रांड का अधिकृत डीलर/फैब्रिकेटर है जिसे वह सप्लाई कर रहा है। बोलीदाता को डिटेल्ड शॉप ड्राइंग जमा करनी होगी, जिसमें इस्तेमाल होने वाले बाहरी फ्रेम/सैश/मुलियन मेंबर्स का सेक्शन और ओपनिंग पैटर्न के साथ विंड लोड कैलकुलेशन और विंड लोड के हिसाब से एक स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रमाणपत्र उस ऊंचाई तक देना होगा जहां खिड़कियां लगाई जाएंगी।** **सभी हार्डवेयर फिटिंग SS 304 ग्रेड की होनी चाहिए, हैंडल को छोड़कर जो जिंक/Al. एलॉय के होने चाहिए और उन पर पाउडर कोटेड होना चाहिए। हैंडल और फ्रिक्शन हिंज स्टे जैसे हार्डवेयर का कम से कम 20,000 साइकिल/3 साल तक एंड्योरेंस टेस्ट किया जाना चाहिए।** **खिड़कियों का प्रोफ़ाइल सेक्शन बैंक में जमा करना होगा। बैंक से मंज़ूरी मिलने के बाद ही (प्रोफ़ाइल सेक्शन के लिए) फ़ैब्रिकेशन शुरू किया जाएगा।** **इंस्टॉलेशन का काम मैन्युफैक्चरर को स्किल्ड लेबर से करना होगा।**		

	बोली लगाने वालों को हैंडल/लॉक वगैरह का सैंपल बैंक के इंजीनियर को जमा करना होगा। सेक्शन साइज़ में 5% टॉलरेंस की इजाज़त है। अगर किसी सेक्शन का साइज़ टॉलरेंस लिमिट से ज़्यादा होता है, तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा।	135.00	वर्गमीटर.
6.	**<u>बचाए जा सकने वाले सामान को ले जाने पर रिबेट (स्क्रैप / बायबैक वैल्यू):</u>** छूट (स्क्रैप / बायबैक वैल्यू) , जिन्हें ऊपर बताए गए किसी भी आइटम के तहत काम में दोबारा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें जीएसटी और TCS शामिल हैं - (B)।	01 लॉट.	रास
कुल मिलाकर अनुमानित रकम - (A) + (B).			

अनुलग्नक – I

<u>प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी का प्रारूप</u>

(उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

इन प्रस्तुतियों से सभी पुरुषों को पता है, हम.....(बोली लगाने वाले का नाम और उनके पंजीकृत कार्यालय का पता) इसके द्वारा श्री / सुश्री(पावर ऑफ अटॉर्नी धारक का नाम और आवासीय पता) को, जो वर्तमान में हमारे साथ कार्यरत हैं और का पद धारण कर रहे हैं, हमारे अटॉर्नी के रूप में नियुक्त और अधिकृत करते हैं, कि वे हमारे नाम पर और हमारी ओर से, **"<u>बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में तीसरी मंजिल पर पूर्व और दक्षिण चेहरे पर पुराने माइल्ड स्टील (एमएस) फिक्स्ड ग्लेज़िंग को नई यूपीवीसी ग्लेजिंग सह शटर सिस्टम विंडो के साथ प्रतिस्थापित करना</u>"** के लिए हमारी बोली के संबंध में या उससे संबंधित सभी ऐसे कार्य, कर्म और चीजें आवश्यक हों, जिसमें सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना और उन्हें जमा करना, बोली-पूर्व बैठक में व्यक्तियों को प्रतिनियुक्त करना और आरबीआई को जानकारी / प्रतिक्रियाएं प्रदान करना,

हम इस पावर ऑफ़ अटॉर्नी के तहत हमारे अटॉर्नी द्वारा कानूनी तौर पर किए गए सभी कामों, कामों और चीज़ों को मंज़ूरी देने के लिए सहमत हैं और हमारे ऊपर बताए गए अटॉर्नी द्वारा किए गए सभी कामों, कामों और चीज़ों को हमेशा हमारे द्वारा किया गया माना जाएगा।

टिप्पणी:

पावर ऑफ़ अटॉर्नी पर ठीक से स्टैम्प और नोटराइज़्ड होना चाहिए। दिया गया पावर ऑफ़ अटॉर्नी इर्रिवोकेबल होगा।

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर/नाम
बोली लगाने वाले की मुहर/सील

(नोट: इस गारंटी के लिए उस राज्य के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी लगेगी, जहाँ इसे बनाया गया है और इस पर उस अधिकारी का साइन होगा जिसके साइन और अथॉरिटी को वेरिफाई किया जाएगा।)

अनुलग्नक II

ई-निविदा के बारे में ज़रूरी निर्देश

यह आरबीआई का एक ई-प्रोक्योरमेंट इवेंट है। ई-प्रोक्योरमेंट सर्विस प्रोवाइडर/बोलीदाता सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल (सीपीपीपी) है।
https://etenders.gov.in/eprocure/app

ई-निविदा का प्रोसेस: बोलीदाता मैनुअल किट होम पेज पर उपलब्ध है।

A) नए बोलीदाता के लिए पंजीकरण : इस प्रोसेस में वेंडर का सीपीपी पोर्टल पर पंजीकरण शामिल है जो फ्री है।
https://etenders.gov.in/eprocure/app?page=BiddersManualKit&service=page

किसी भी टेक्निकल जानकारी के लिए 24 x 7 हेल्प डेस्क नंबर पर कॉल करें

0120-4001 002

0120-4001 005

0120- 4493395

इंटरनेशनल बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे कंट्री कोड के तौर पर +91 लगाएं।

ई-मेल समर्थन:
प्रकाशित हुए निविदा से जुड़े किसी भी इश्यू या स्पष्टीकरण के लिए, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे संबंधित निविदा इनवाइटिंग अथॉरिटी से कॉन्टैक्ट करें।

तकनीकी - support-eproc@nic.in

नीति संबंधी - cppp-doe@nic.in

अनुलग्नक III

बैंकर प्रमाणपत्र / सॉल्वेंसी प्रमाणपत्र का फॉर्मेट

बैंक के लेटर हेड पर

कृपया अपने पत्र-व्यवहार में हमेशा कोट करें

संदर्भ संख्या _____ दिनांक: _____

को,
सुधांशु प्रसाद
क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
15 एनएस रोड, कोलकाता
प्रिय महोदय,

काम का नाम: बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में ईस्ट और साउथ फेस पर पुराने माइल्ड स्टील (MS) फिक्स्ड ग्लेज़िंग को तीसरी मंज़िल पर नए UPVC ग्लेज़िंग कम शटर सिस्टम विंडो से बदलना, साथ ही उससे जुड़े सिविल काम।

बैंकर प्रमाणपत्र

हम कन्फर्म करते हैं कि मेसर्स _____ हमारे साथ बैंकिंग कर रहे हैं। उन्हें ₹ को कोई भी संविदा देने के लिए फाइनेंशियली ठीक माना जा सकता है।

2. दूसरी जानकारी आपके देखने और रिकॉर्ड के लिए नीचे दी गई है:

क्रमांक।	विवरण	बैंक की टिप्पणियाँ
1	फर्म की बनावट (चाहे पार्टनरशिप / प्रोप्राइटरशिप / पब्लिक लिमिटेड)	
2	फर्म के मालिक/पार्टनर/डायरेक्टर के नाम	
3	उन्हें मिलने वाली क्रेडिट सुविधा / ओवरड्राफ्ट सुविधा	
4	लेन-देन	

5	वह समय जब से फर्म आपके बैंक के साथ बैंकिंग कर रही है	
6	कोई अन्य टिप्पणी	

3. यह प्रमाणपत्र बैंक या उसके किसी भी अधिकारी की किसी गारंटी या जिम्मेदारी के बिना जारी किया जाता है।

आपका विश्वासी,

बैंक की मुहर

(हस्ताक्षर)
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
बैंक के लिए

अनुलग्नक – IV

बयाना राशि जमा करने के लिए बैंक गारंटी का प्रोफार्मा
(उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

सेवा में,
सुधांशु प्रसाद
क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
15 एनएस रोड, कोलकाता

प्रिय महोदय,

काम का नाम: **बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में ईस्ट और साउथ फेस पर पुराने माइल्ड स्टील (MS) फिक्स्ड ग्लेज़िंग को तीसरी मंज़िल पर नए UPVC ग्लेज़िंग कम शटर सिस्टम विंडो से बदलना, साथ ही उससे जुड़े सिविल काम।**

संदर्भ: NIT/Advt.No. तिथि

जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक, जिसका सेंट्रल ऑफिस शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई में है (जिसे आगे 'आरबीआई' कहा जाएगा) ने ऊपर बताए गए काम (जिसे आगे "वह निविदा" कहा जाएगा) के लिए निविदा डॉक्यूमेंट्स में बताए गए नियमों और शर्तों पर निविदा मंगाए हैं। निविदा मंगाने की शर्तों में से एक यह है कि बोली लगाने वाला अर्नेस्ट मनी डिपॉज़िट (ईएमडी) के तौर पर ₹100 (सिर्फ़ ₹100) की बैंक गारंटी देगा। मेसर्स (बोली लगाने वाले का नाम) _____, (जिसे आगे "बोली लगाने वाला" कहा जाएगा), जो हमारे क्लाइंट/कंपनी हैं, वे उस काम के लिए अपना निविदा/बोली जमा करना चाहते हैं और उन्होंने हमसे ईएमडी के तौर पर ₹100 (सिर्फ़ ₹100) की बैंक गारंटी देने का अनुरोध किया है। अब यह गारंटी गवाह है।

1. हम (बैंक का नाम) इसके द्वारा आरबीआई, उनके उत्तराधिकारी, असाइनी के साथ सहमत हैं और यह वादा करते हैं कि अगर आरबीआई इस नतीजे पर पहुँचता है कि बोलीदाता ने निविदा की शर्तों के तहत अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा नहीं किया है या उनका उल्लंघन किया है, तो यह नतीजा हम पर और उस बोलीदाता पर भी लागू होगा; आरबीआई की मांग पर, हम आरबीआई को बिना किसी आपत्ति के, Rs. (सिर्फ़ Rs) या आरबीआई द्वारा माँगी गई कोई भी कम रकम देंगे। हमारी गारंटी को उन शर्तों के तहत बोलीदाता की ज़िम्मेदारियों को ठीक से पूरा करने के लिए अर्नेस्ट मनी डिपॉज़िट के बराबर माना जाएगा, लेकिन, ऐसी रकम के लिए हमारी ज़िम्मेदारी Rs. (सिर्फ़ Rs) से ज़्यादा नहीं होगी।

2. हम यह भी मानते हैं कि हम यह पक्का करेंगे कि ऊपर बताई गई रकम, जो Rs. (सिर्फ़ Rs) से ज़्यादा नहीं होगी, बिना किसी शक या विरोध के, आरबीआई से लिखित में नोटिस मिलने पर, जिसमें यह बताया गया हो कि रकम उन्हें मिलनी है, मांग करने पर हम भुगतान कर देंगे और हम कोई और सबूत या सबूत नहीं मांगेंगे और आरबीआई का नोटिस हमारे लिए पक्का और ज़रूरी होगा और हम उस पर किसी भी तरह से सवाल नहीं उठाएंगे। हम आरबीआई द्वारा क्लेम की गई रकम को ऊपर बताए गए नोटिस मिलने की तिथि से एक हफ़्ते के अंदर भुगतान करने का वादा करते हैं।

3. हम कन्फर्म करते हैं कि इस गारंटी के तहत आरबीआई के प्रति हमारी ज़िम्मेदारी आरबीआई और बोलीदाता के बीच हुए करार या करार या दूसरी समझ से अलग होगी। आरबीआई की पहले से लिखित मंज़ूरी के बिना हम इस गारंटी को रद्द नहीं करेंगे। हम इसके साथ ही इस बात पर भी सहमत हैं कि –

a) आरबीआई की तरफ से इस करार की शर्तों को लागू करने में या इस निविदा और/या इसके तहत तय किसी भी नियम और शर्तों का पालन करने में कोई भी नरमी या कमीशन, या आरबीआई द्वारा बोलीदाता को कोई समय देना या कोई नरमी दिखाना या इससे जुड़े किसी भी दूसरे मामले में, हमें और इस गारंटी के तहत हमारी ज़िम्मेदारी को किसी भी तरह से खत्म नहीं करेगा। यह गारंटी सिर्फ़ बोलीदाता द्वारा अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने और ऐसा न करने की स्थिति में, हमारे द्वारा Rs. (सिर्फ़ Rs) से ज़्यादा की रकम का भुगतान करने पर ही खत्म होगी।

b) इन तोहफ़ों के तहत हमारी ज़िम्मेदारी Rs. (सिर्फ़ Rs) से ज़्यादा नहीं होगी।

c) इस करार के तहत हमारी ज़िम्मेदारी पर हमारे बताए गए लोगों/क्लाइंट्स की तरफ से बताए गए काम के लिए निविदा देने में किसी भी कमी या गड़बड़ी या उसके तहत उनकी ज़िम्मेदारियों या हमारे बताए गए लोगों के संविधान में बदलाव या विघटन का कोई असर नहीं पड़ेगा।

d) यह गारंटी (निविदा मिलने की आखिरी तिथि से छह महीने तक) लागू रहेगी, बशर्ते कि अगर आरबीआई चाहे, तो इस गारंटी को उनके बताए गए समय के लिए, उन्हीं शर्तों और नियमों पर रिन्यू किया जा सकेगा जो इसमें दिए गए हैं।

e) इन तोहफ़ों के तहत हमारी ज़िम्मेदारी तब तक खत्म हो जाएगी जब तक कि इन तोहफ़ों को ऊपर बताए गए तरीके से उस दिन या उस दिन रिन्यू नहीं किया जाता जब हमारे बताए गए लोग अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करते हैं, जिसके लिए सिर्फ़ आरबीआई का लिखा हुआ सर्टिफ़िकेट ही पक्का सबूत है, चाहे तिथि बाद की हो। जब तक हमारे ख़िलाफ़ किसी बढ़े हुए समय के अंदर कोई दावा या मुकदमा या कार्रवाई नहीं की जाती, इस गारंटी के तहत हमारे ख़िलाफ़ आरबीआई के सभी अधिकार ज़ब्त कर लिए जाएँगे और हमें इसके तहत अपनी सभी ज़िम्मेदारियों और देनदारियों से आज़ाद कर दिया जाएगा।

आपका विश्वासी,
बैंक की ओर से
प्राधिकृत अधिकारी (मुहर सहित)
(नोट: इस गारंटी के लिए उस राज्य के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी लगेगी, जहाँ इसे बनाया गया है और इस पर उस अधिकारी का साइन होगा जिसके साइन और अथॉरिटी को वेरिफाई किया जाएगा)।

अनुलग्नक V

संविदा की शर्तों का प्रारूप

(सफल बोली लगाने वाले के लिए)

(लागू स्टाम्प एक्ट के अनुसार सही कीमत के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

यह संविदा करार_____ दिन_____, 2026 को भारतीय रिज़र्व बैंक कोलकाता, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत गठित निगमित निकाय, जिसका पंजीकृत कार्यालय यहां है: केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई - 400 001 (जिसे आगे "बैंक" कहा जाएगा) के बीच किया गया है, जिसका प्रतिनिधित्वद्वारा किया जाएगा जिसमें एक भाग के उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल होंगे और _____ _____जो _____ के तहत निगमित है और जिसका पंजीकृत कार्यालय _____ में है (जिसे आगे "संविदाकर्ता" कहा जाएगा) जिसमें दूसरे भाग के उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि और समनुदेशिती शामिल होंगे।

जहाँ, बैंक, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में बैंक के मुख्य कार्यालय भवन में, ईस्ट और साउथ फेस पर पुराने माइल्ड स्टील (MS) फिक्स्ड ग्लेज़िंग को नए UPVC ग्लेज़िंग कम शटर सिस्टम विंडो से बदलने के लिए संविदाकर्ता को हायर करना चाहता है।

और संविदाकर्ता ने आगे दिखाई गई शर्तों और नियमों के अधीन ऐसी नियुक्ति के लिए सहमति दे दी है।

और जबकि बैंक ने सेवाएं प्रदान करने के लिए पात्र ठेकेदारों से निविदाएं आमंत्रित की थीं "..... " जैसा कि निविदा के साथ संलग्न किए गए काम के स्कोप और दूसरे डॉक्यूमेंट्स में बताया गया है।

और जबकि संविदाकर्ता तथा अन्य ने निविदा प्रस्तुत की है और बैंक ने संविदा प्रदान किया है, जैसा कि निविदा दस्तावेज़ में दिए गए काम के स्कोप में बताया गया है, संविदाकर्ता को।

और जबकि संविदाकर्ता ने यहां बताई गई शर्तों और निविदा डॉक्यूमेंट्स (भाग I, भाग II, संविदा और उसके बदलाव) में बताई गई शर्तों के तहत दिए गए काम को पूरा करने के लिए सहमति दी है, जैसा कि दोनों पार्टियों ने बदला है और आखिरकार मान लिया है (जिन सभी को एक साथ "कहा गया शर्तें" कहा गया है) निविदा डॉक्यूमेंट्स (भाग I, भाग II, संविदा और उसके बदलाव) में बताए गए काम के डिटेल्ड स्कोप में बताए गए कामों को, उसमें बताई गई संबंधित दरों पर, उसमें तय रकम या उसके तहत देय दूसरी रकम (जिसे आगे "कहा गया संविदा राशि" कहा गया है) के बराबर होगा।

अब यह इस प्रकार सहमत है:	
1	**संविदा करार:** नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट्स बैंक और संविदाकर्ता के बीच संविदा का हिस्सा होंगे, और हर एक को संविदा का एक ज़रूरी हिस्सा माना जाएगा: a) यह संविदा करार और इसके परिशिष्ट b) अवार्ड लेटर. संदर्भ संख्या

	c) बोली-पूर्व बैठक के कार्यवृत्त d) निविदा प्रोसेस के दौरान सभी ईमेल और लेटर का लेन-देन e) भाग I. (तकनीकी वाणिज्यिक बोली) और भाग II. (मूल्य बोली) बोलीदाता द्वारा सबमिट की गई बोली f) निविदा इनवाइटिंग नोटिस (NIT), साथ में कोई भी सुधार/एडेंडा।
2	संविदा मूल्य**:** बैंक इसके द्वारा बोलीदाता को संविदा मूल्य देने के लिए सहमत है, जो बोलीदाता द्वारा अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के बदले में होगा। संविदा मूल्य का कुल योग होगा *[भरें: स्थानीय मुद्रा में राशि शब्दों में] , [भरें: राशि अंकों में] ,* या ऐसी अन्य राशियाँ जो संविदा की शर्तों और नियमों के अनुसार निर्धारित की जा सकती हैं।
3	**बयाना राशि जमा** : संविदाकर्ता ने निविदा दस्तावेज के साथ **₹54,668/-** के बराबर बयाना राशि (ईएमडी) भारतीय रिज़र्व बैंक, कोलकाता के पक्ष में NEFT के माध्यम से खाता संख्या: *[भरें] में जमा कर दी है*/ ट्रांज़ैक्शन रिमार्क्स। ईएमडी पर कोई इंटरेस्ट नहीं देना होगा। संविदाकर्ता द्वारा दिया गया अर्नेस्ट मनी, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी के रूप में सिक्योरिटी डिपॉज़िट जमा करने के बाद जारी किया जाएगा।
4	**प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी):** संविदाकर्ता 14 के भीतर *[फिल]* के पक्ष में संविदा राशि का 5 % पीबीजी जमा करेगा संविदा मिलने के कुछ दिन बाद तक बैंक गारंटी (PBG) वैलिड रहेगी। परफ़ॉर्मेंस बैंक गारंटी (PBG) शुरू में संविदा की पूरी अवधि और 60 दिन के लिए वैलिड होगी। इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। संविदाकर्ता द्वारा जमा की गई PBG, संविदाकर्ता के खराब परफ़ॉर्मेंस और/या उसके द्वारा लगाए गए वर्कर की लापरवाही या फेलियर की वजह से बैंक को हुए किसी भी नुकसान/डैमेज या करार के नियम और शर्तें के उल्लंघन की स्थिति में ज़ब्त या इस्तेमाल की जा सकती है। हालांकि, बैंक द्वारा लेटर ऑफ़ एक्सेप्टेंस/वर्क ऑर्डर जारी करना एक बाइंडिंग संविदा माना जाएगा, जैसे कि ऐसा करार हो गया हो और सभी नियम और शर्तें इस संविदा पर लागू होंगी। निविदा में बताए गए तरीके से PBG जमा करना पक्का किया जाएगा। ज़रूरी हालात में जमा करने में देरी होने पर, PBG जमा करने में देरी का चार्ज संविदाकर्ता के बिल से बैंक रेट पर वसूला जाएगा। संविदाकर्ता को संविदा बढ़ाने पर परफॉर्मेंस बैंक गारंटी भी जमा करनी होगी और PBG, नए संविदा के खत्म होने की तिथि से 60 दिन बाद तक वैलिड रहेगी।
5	**भुगतान की शर्तें:** भुगतान बैंक द्वारा संविदाकर्ता को निविदा के भाग I. के प्रोविज़न के अनुसार किया जाएगा। संविदाकर्ता यह पक्का करेगा कि उसके वर्कर्स को दी जाने वाली सैलरी और अलाउंस सरकारी सैलरी रेगुलेशन के हिसाब से हों। मिनिमम सैलरी देने का प्रूफ संविदाकर्ता को बैंक में जमा करना होगा। सैलरी में बढ़ोतरी का परसेंटेज सरकार द्वारा सैलरी में किए गए परसेंटेज रिवीजन के हिसाब से दिया जाएगा। कामगारों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं उसके तहत बनाए गए नियमों या किसी अन्य लागू कानून के तहत न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए। इसके अलावा, कामगारों को कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि और/या बोनस अधिनियम, 1965 के भुगतान के अनुसार लाभांश और ईएसआई अधिनियम, 1948 के तहत ईएसआई दिया जाना चाहिए। ईएसआई की अनुपस्थिति में, संविदाकर्ता को कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 के तहत कामगार

	मुआवजा बीमा जैसे बीमा के कवरेज के तहत दायित्व लेना चाहिए। कामगार मुआवजा पॉलिसियां बैंक के साथ संविदा की वैधता तक वैध होंगी। यदि संविदाकर्ता ये पॉलिसियां प्रदान नहीं करता है, तो बैंक को उपरोक्त बीमा पॉलिसियों को स्वयं लेने और संविदाकर्ता के बिल से इसकी लागत वसूलने का अधिकार सुरक्षित है। कुल प्रीमियम संविदाकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा। संविदाकर्ता के पास अपने कामगारों के लिए ईपीएफ अंशदान करने के लिए एक वैध ईपीएफ खाता होगा। यह रकम बिल से काट ली जाएगी, जिससे बैंक के संविदा खत्म करने के अधिकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। संविदाकर्ता लेबर कोड के सभी कानूनी नियमों का पालन करेगा, 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को काम पर नहीं रखेगा। संविदाकर्ता लागू कानूनों की ज़रूरतों को लागू करने के लिए ज़िम्मेदार होगा। च) संविदाकर्ता इस समझौते के प्रयोजन के लिए नियोजित व्यक्तियों को अगले महीने के **पांच (05) दिनों के भीतर वेतन/मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करेगा (चेक के माध्यम से या बैंक खाते में जमा करके) और इस आशय का एक प्रमाण पत्र कि वेतन/मजदूरी का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है, हर महीने बैंक को प्रस्तुत** किया जाएगा। निविदा के भाग । के प्रावधानों के अनुसार बोलीदाता को बैंक द्वारा भुगतान किया जाएगा।
6	**बीमा:** **संविदाकर्ता** अपने खर्च पर, इस संविदा के तहत काम शुरू होने की **तिथि** से लेकर समापन प्रमाणपत्र जारी होने तक, एक अप्रूव्ड इंश्योरेंस कंपनी के साथ, संविदा की रकम के बराबर रकम के लिए, जिसमें भूकंप का खतरा भी शामिल है, बैंक और संविदाकर्ता के जॉइंट नाम पर एक ऑल रिस्क पॉलिसी लागू करेगा और बनाए रखेगा। यह पॉलिसी संविदाकर्ताओं के लिए स्टैंडर्ड ऑल रिस्क पॉलिसी के अनुसार सभी रिस्क के लिए होगी (पॉलिसी में संविदाकर्ता का नाम पहले रखा जाएगा)। और काम शुरू करने से पहले ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को बैंक में जमा कर देगा। संविदाकर्ता को लोगों, जानवरों या चीज़ों को लगी सभी चोटों, और प्रॉपर्टी को हुए सभी स्ट्रक्चरल और डेकोरेटिव नुकसान के लिए ज़िम्मेदार माना जाएगा, जो संविदाकर्ता या उसके वर्कर या किसी नॉमिनेटेड उप-संविदाकर्ता या किसी कर्मचारी या दोनों के ऑपरेशन या लापरवाही से हो सकता है, चाहे ऐसी चोट या नुकसान लापरवाही, एक्सीडेंट या किसी भी दूसरे कारण से हुआ हो, जो इस संविदा को पूरा करने से किसी भी तरह से जुड़ा हो। इस क्लॉज़ के तहत ज़िम्मेदारी में, दूसरी बातों के अलावा, बिल्डिंग को हुआ कोई भी नुकसान, चाहे वह उसके ठीक बगल में हो या कहीं और, और सड़कों, गलियों, फुटपाथ, पुलों या रास्तों को हुआ कोई भी नुकसान, साथ ही बिल्डिंग और इस संविदा के तहत आने वाले दूसरे स्ट्रक्चर और कामों को हुआ कोई भी नुकसान शामिल होगा। संविदाकर्ता बिल्डिंग और इस संविदा के तहत आने वाले दूसरे स्ट्रक्चर और कामों को पाले, बारिश, हवा या मौसम की दूसरी खराबियों से हुए किसी भी नुकसान के लिए भी ज़िम्मेदार होगा। संविदाकर्ता बैंक को क्षतिपूर्ति देगा और क्षतिपूर्ति देता रहेगा तथा पूर्वोक्त किसी भी चोट या क्षति से उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान और खर्च के संबंध में और किसी भी क़ानून के तहत या अन्यथा चोट या क्षति के संबंध में किए गए किसी भी दावे के विरुद्ध और ऐसे दावे के परिणामस्वरूप मुआवजे या क्षति के किसी भी पुरस्कार के संबंध में उसे हानिरहित रखेगा।

संविदाकर्ता इस क्लॉज़ में बताए गए हर तरह के नुकसान की भरपाई करेगा, ताकि संविदा का पूरा काम हर तरह से पूरा और सही तरीके से किया जा सके और थर्ड पार्टी की प्रॉपर्टी को हुए नुकसान के सभी दावों की भरपाई की जा सके या उन्हें पूरा किया जा सके। संविदाकर्ता बैंक को उन सभी दावों के लिए भी हर्जाना देगा और हर्जाना देता रहेगा जो किसी भी व्यक्ति/आम आदमी या दूसरे **थर्ड पार्टी द्वारा** काम के संबंध में या उसके नतीजे में होने वाली किसी भी चीज़ के लिए बैंक के खिलाफ किए जा सकते **हैं। और अपने खर्च पर,** संविदा **शुरू होने की** तिथि **से लेकर** संविदा **पूरा होने तक, एक अप्रूव्ड इंश्योरेंस कंपनी के साथ ऐसे जोखिमों के खिलाफ बैंक और** संविदाकर्ता **(पॉलिसी में** संविदाकर्ता **का नाम पहले रखा जाएगा) के जॉइंट नाम से एक इंश्योरेंस पॉलिसी लागू करने और बनाए रखने का इंतज़ाम करेगा और काम शुरू होने से पहले ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को बैंक में जमा कर देगा।** पॉलिसी के तहत कवरेज की मिनिमम लिमिट संविदा की जनरल कंडीशन में कहीं और बताई गई होगी। संविदाकर्ता इसी तरह बैंक को उन सभी दावों से भी हर्जाना देगा जो बैंक पर **वर्कमैन कम्पनसेशन एक्ट** या इस संविदा के चलने के दौरान लागू किसी दूसरे कानून के तहत या संविदाकर्ता के किसी कर्मचारी या किसी उप-संविदाकर्ता के संबंध में कॉमन लॉ के तहत **किए जा सकते हैं। और वह अपने खर्चे पर, संविदा शुरू होने की** तिथि **से लेकर पूरा होने तक, एक मंज़ूर इंश्योरेंस कंपनी के साथ ऐसे जोखिमों के खिलाफ बैंक और** संविदाकर्ता **के जॉइंट नाम से एक इंश्योरेंस पॉलिसी बनाएगा (पॉलिसी में संविदाकर्ता का नाम पहले रखा जाएगा) और संविदा के चलने के दौरान समय-समय पर ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को बैंक में जमा करेगा। अगर** संविदाकर्ता ऊपर बताए गए तरीके से पक्का नहीं करता है, तो बैंक ऐसा पक्का कर सकता है और भुगतान किए गए प्रीमियम को संविदाकर्ता को मिलने वाले या मिलने वाले किसी भी पैसे से काट सकता है।

संविदाकर्ता किसी भी ऐसी देयता के लिए ज़िम्मेदार होगा जिसे ऊपर बताई गई इंश्योरेंस पॉलिसियों से बाहर रखा जा सकता है और इस संविदा को लापरवाही या गलत तरीके से पूरा करने की वजह से किसी भी व्यक्ति, जानवर या प्रॉपर्टी को होने वाले सभी दूसरे नुकसानों के लिए भी, चाहे नुकसान किसी भी वजह से हुआ हो। वह काम से जुड़े किसी भी क्लेम या कार्रवाई से होने वाले सभी और किसी भी कॉस्ट, चार्ज या खर्च के लिए और उससे होने वाले किसी भी कम्पनसेशन या डैमेज के अवार्ड के लिए भी बैंक को हर्जाना देगा और हर्जाना देता रहेगा। ऐसे डिफॉल्ट के संबंध में संविदाकर्ता के खिलाफ बैंक के दूसरे अधिकारों पर कोई असर डाले बिना, बैंक संविदाकर्ता को देने वाली किसी भी रकम में से बैंक द्वारा दिए गए किसी भी डैमेज, कम्पनसेशन, कॉस्ट, चार्ज और दूसरे खर्चों की रकम काटने का हकदार होगा, जो इस क्लॉज के तहत संविदाकर्ता को देने हैं। इस क्लॉज के तहत ली गई पॉलिसी के तहत इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ किए गए किसी भी क्लेम का इंश्योरेंस कंपनी द्वारा सेटलमेंट होने पर संविदाकर्ता पूरी सावधानी के साथ नष्ट या डैमेज हुए कामों को फिर से बनाने या रिपेयर करने के लिए आगे बढ़ेगा। इस मामले में, ऐसे नुकसान के लिए इंश्योरेंस कंपनी से मिला सारा पैसा संविदाकर्ता को दिया जाएगा और संविदाकर्ता, खराब हुए सामान या सामान को बनाने या उसकी मरम्मत पर हुए खर्च के लिए कोई और भुगतान पाने का हकदार नहीं होगा।

नुकसान के बाद दोबारा बनाने या ठीक करने के मामले में, संविदाकर्ता को काम पूरा करने के लिए बैंक की समझ के हिसाब से समय बढ़ाने का हक होगा, लेकिन, यहां बताए गए किसी भी क्लेम के सेटलमेंट में

	इंश्योरेंस कंपनी द्वारा आखिर में दी गई रकम में किसी भी कमी या कमी के लिए बैंक से रीइंबर्समेंट का हकदार नहीं होगा। इस क्लॉज़ के तहत अपनी ज़िम्मेदारी पर कोई असर डाले बिना, संविदाकर्ता सभी नॉमिनेटेड उप-संविदाकर्ता से उनके काम के हिस्सों के लिए इस क्लॉज़ के नियमों के अनुसार एक जैसी इंश्योरेंस पॉलिसी भी लागू करवाएगा और बैंक को ऐसी पॉलिसी दिखाएगा या बनवाएगा। संविदाकर्ता किसी नॉमिनेटेड उप-संविदाकर्ता को साइट पर काम शुरू करने की इजाज़त तब तक नहीं देगा जब तक कि वह इंश्योरेंस पॉलिसी जमा न कर दे। अगर उप-संविदाकर्ता साइट पर काम शुरू करने से पहले ऐसी पॉलिसी या इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेता है, तो संविदाकर्ता उस उप-संविदाकर्ता से जुड़े किसी भी क्लेम या नुकसान के लिए ज़िम्मेदार होगा। ऊपर बताई गई इंश्योरेंस से जुड़ी सभी शर्तों को पूरा करने के लिए, संविदाकर्ता को वर्क ऑर्डर जारी होने की तिथि से 14 दिनों के अंदर, अपने खर्च पर काम का इंश्योरेंस कराना होगा और काम के लगभग पूरा होने तक, आग से होने वाले नुकसान या क्षति के खिलाफ, बैंक और संविदाकर्ता के जॉइंट नाम से एक ऑफिस (बैंक का नाम यानी "RESERVE BANK OF INDIA" पॉलिसी में सबसे पहले रखा जाएगा) के साथ इंश्योरेंस रखना होगा। इसमें नीचे दिए गए रिस्क कवर होंगे। i. **संविदाकर्ता की ऑल रिस्क (CAR) पॉलिसी** इंश्योरेंस में स्टोरेज, इरेक्शन, टेस्टिंग और कमीशनिंग पॉलिसी शामिल है, जो पूरे संविदा वैल्यू के लिए है, जिसमें आग लगने का खतरा भी शामिल है, और मैन्युफैक्चरर के काम से साइट तक ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रांजिट इंश्योरेंस (हवा/समुद्र/सड़क वगैरह से, जैसा भी लागू हो)। ii. साइट पर संविदाकर्ता के कर्मचारियों के लिए **वर्कमैन कम्पेनसेशन पॉलिसी।** iii. **थर्ड पार्टी देयता पॉलिसी,** हर एक्सीडेंट पर 2 लाख रुपये की लिमिट के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा 3 एक्सीडेंट तक।
7	**पूरा होने का समय :** परियोजना के पूरा होने की अवधि की गणना निम्नलिखित से की जाएगी: लेटर ऑफ़ अवार्ड/वर्क ऑर्डर जारी होने के 14वें दिन। इस संविदा में समय को सबसे ज़रूरी माना जाएगा, और संविदाकर्ता इस बात से सहमत है कि साइट उसे सौंपे जाने के तुरंत बाद काम शुरू कर देगा ताकि बताई गई शर्तों के मुताबिक पूरा काम पूरा किया जा सके, फिर भी समय बढ़ाने के नियमों के तहत।
8	**अपेंडिक्स** : अटैच्ड अपेंडिक्स की लिस्ट में दिए गए अपेंडिक्स इस संविदा करार का एक ज़रूरी हिस्सा होंगे। संविदा में किसी भी अपेंडिक्स का मतलब इसके साथ अटैच्ड अपेंडिक्स होगा, और संविदा को उसी हिसाब से पढ़ा और समझा जाएगा।
9	**अधिकार क्षेत्र** : इस करार से जुड़े या उससे जुड़े सभी झगड़े *कोलकाता में ही माने जाएंगे* और सिर्फ़ *कोलकाता की अदालतों को* ही उन्हें तय करने का अधिकार होगा।

10	**भाषा** : निविदा फ़ॉर्म इंग्लिश या हिंदी में भरा जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट्स के इंग्लिश और हिंदी में कोई अंतर या साफ़ न हो, तो मतलब निकालने के मामले में इंग्लिश वर्शन ही मान्य होगा। संविदा के तहत बोली को सपोर्ट करने वाले या किसी और तरह से शेयर किए जाने वाले सभी कम्युनिकेशन, ड्रॉइंग, डिज़ाइन, डेटा, जानकारी, कोड, स्पेसिफिकेशन और दूसरे डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश या हिंदी में होंगे।
11	**अप्रकटीकरण :** i. संविदाकर्ता सीधे या इनडायरेक्टली बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर/सिस्टम/इक्विपमेंट वगैरह की कोई भी जानकारी, मटीरियल और डिटेल्स किसी थर्ड पार्टी को नहीं बताएगा, जो सर्विस प्रोवाइडर और/या DB डेवलपर को इस करार के संबंध में अपनी संविदा की जिम्मेदारियों को पूरा करने के दौरान मिली हो या उनके पास आई हो, और उसे हर समय पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रखेगा। संविदाकर्ता संविदा की डिटेल्स को प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल रखेगा, सिवाय इसके कि यह उसके तहत जिम्मेदारियों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए ज़रूरी हो। संविदाकर्ता सेकंड पार्टी की पहले से लिखी हुई सहमति के बिना किसी भी ट्रेड या टेक्निकल पेपर या कहीं और सर्विसेज़/कामों की कोई भी डिटेल्स प्रकाशित नहीं करेगा, प्रकाशित करने की इजाज़त नहीं देगा, या ज़ाहिर नहीं करेगा। ऊपर बताई गई बातों का पालन न करने पर, जैसा भी मामला हो, संविदाकर्ता की ओर से संविदा का उल्लंघन माना जाएगा, और सेकंड पार्टी को नुकसान का दावा करने और कानूनी उपाय करने का अधिकार होगा। ii. संविदाकर्ता अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी ज़रूरी कदम उठाएगा ताकि यह पक्का हो सके कि इस करार के तहत गोपनीय जानकारी न बताने की ज़िम्मेदारी पूरी तरह से पूरी हो। iii. फॉर्मल संविदा करार पर कोई बुरा असर डाले बिना, इस निविदा के तहत संविदाकर्ता पर लागू होने वाली सभी कॉन्फिडेंशियलिटी और नॉन-डिस्क्लोजर की ज़िम्मेदारियां, किसी भी वजह से इस करार के खत्म होने, पूरा होने या खत्म होने के बाद भी लागू रहेंगी।
12	**कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम** i. **संविदाकर्ता** "काम की जगह पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, रोक और निवारण) एक्ट, 2013" के नियमों का पूरी तरह से पालन करने के लिए पूरी तरह से ज़िम्मेदार होगा। बैंक के परिसर में अपने ही कर्मचारी के खिलाफ लैंगिक उत्पीड़न की कोई भी शिकायत होने पर , शिकायत संविदाकर्ता द्वारा बनाई गई इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के सामने फाइल की जाएगी, जो शिकायत के संबंध में उस एक्ट के तहत सही कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। ii. संविदाकर्ता के किसी भी पीड़ित कर्मचारी की तरफ़ से बैंक के किसी भी कर्मचारी के ख़िलाफ़ सेक्सुअल हैरेसमेंट की किसी भी शिकायत पर बैंक द्वारा बनाई गई रीजनल कंप्लेंट्स कमेटी ध्यान देगी। iii. अगर घटना में संविदाकर्ता का कर्मचारी शामिल है, तो संविदाकर्ता को किसी भी तरह के पैसे देने होंगे, जैसे कि अगर संविदाकर्ता के कर्मचारी द्वारा लैंगिक हिंसा साबित हो जाती है, तो बैंक के कर्मचारी को कोई भी पैसे की राहत। संविदाकर्ता अपने कर्मचारियों को काम की जगह पर सेक्सुअल हैरेसमेंट से बचाव और उससे जुड़े मामलों के बारे में जानकारी देने के लिए ज़िम्मेदार होगा।

13	**बैंक द्वारा संविदा की समाप्ति** यदि संविदाकर्ता, एक व्यक्ति या फर्म होने के नाते कोई "दिवालियापन का कार्य" करता है, या दिवालिया घोषित किया जाता है या एक निगमित कंपनी होने के नाते उसके खिलाफ अनिवार्य समापन का आदेश दिया जाएगा या स्वेच्छा से या न्यायालय और आधिकारिक समनुदेशिती या परिसमापक की निगरानी में समापन के लिए एक प्रभावी प्रस्ताव पारित किया जाएगा, ऐसे दिवालियापन या समापन के कार्यों में, जैसा भी मामला हो, उसे ऐसा करने की आवश्यकता वाले नोटिस के सात दिनों के अंदर, बैंक की उचित संतुष्टि दिखाने में असमर्थ होगा कि वह संविदा को पूरा करने और पूरा करने में सक्षम है और यदि बैंक द्वारा ऐसा अपेक्षित हो तो उसके लिए सुरक्षा दे सकता है। या अगर संविदाकर्ता (चाहे वह कोई व्यक्ति, फर्म या इनकॉरपोरेटेड कंपनी हो) संविदाकर्ता के खिलाफ कोर्ट से प्रॉपर्टी संलग्न करने का एग्जीक्यूशन या कोई और प्रोसेस झेलता है, या इस संविदा के तहत किसी भी भुगतान को संविदाकर्ता के किसी भी क्रेडिटर द्वारा या उसकी ओर से संलग्न होने देगा, या बैंक की लिखित सहमति के बिना इस संविदा को असाइन या सबलेट नहीं करेगा, या इस संविदा या संविदाकर्ता को इसके तहत मिलने वाले किसी भी भुगतान पर कोई चार्ज या बोझ नहीं डालेगा, या अगर बैंक यह तय करता है कि संविदाकर्ता ने संविदा छोड़ दिया है, या काम शुरू करने में नाकाम रहा है, या उन शर्तों के तहत बिना किसी कानूनी वजह के बैंक से काम शुरू करने का नोटिस मिलने के बाद 14 दिनों के लिए काम रोक दिया है, या काम को पूरी सावधानी से आगे बढ़ाने में नाकाम रहा हो और ऐसी सही तरक्की करने में नाकाम रहा हो जिससे काम तय समय में पूरा हो सके, या लिखित नोटिस मिलने के सात दिन बाद तक साइट से सामान हटाने या गिराने और बदलने में नाकाम रहा है कि उक्त सामान या काम को इन शर्तों के तहत बैंक ने खारिज कर दिया है या संविदा द्वारा पालन किए जाने वाले सभी कार्यों, मामलों या चीजों का पालन करने और निष्पादित करने में संविदाकर्ता द्वारा सात दिनों के भीतर उपेक्षा की गई है या लगातार विफल रहा है, जिसके बाद संविदाकर्ता को लिखित नोटिस दिया जाएगा जिसमें संविदाकर्ता को इसका पालन करने या निष्पादित करने की आवश्यकता होगी।

	तब और ऐसे किसी भी मामले में, बैंक, किसी भी पिछली छूट के बावजूद, संविदाकर्ता को सात दिन का लिखित नोटिस देने के बाद, संविदाकर्ता का संविदा और देनदारियां तय कर सकता है, जो पूरी तरह से वैसे ही लागू रहेगा जैसे संविदा तय ही नहीं हुआ था, और जैसे बाद में किए गए काम संविदाकर्ता ने या उसकी ओर से किए गए थे और इसके अलावा, बैंक अपने एजेंट या नौकरों के ज़रिए काम में घुसकर उसे और एस्टेट या आस-पास की ज़मीन या सड़कों पर पड़े सभी प्लांट, औज़ार, मचान, मशीनरी और सामान को अपने कब्ज़े में ले सकता है, और उसे अपनी प्रॉपर्टी की तरह इस्तेमाल कर सकता है या काम को आगे बढ़ाने और पूरा करने के लिए अपने नौकरों और काम करने वालों के ज़रिए या काम पूरा करने के लिए किसी दूसरे संविदाकर्ता या दूसरे व्यक्ति या लोगों को काम पर रख सकता है, और संविदाकर्ता किसी भी तरह से ऐसे दूसरे संविदाकर्ता या दूसरे व्यक्ति या लोगों को, जिन्हें काम पूरा करने और फिनिशिंग के लिए रखा गया है या काम के लिए सामान और प्लांट का इस्तेमाल करने से रोकने या रुकावट डालने के लिए कोई काम, बात या चीज़ नहीं करेगा। जब काम पूरा हो जाएगा या उसके तुरंत बाद, बैंक संविदाकर्ता को अपना बचा हुआ सामान और प्लांट हटाने के लिए लिखकर नोटिस देगा, और अगर संविदाकर्ता नोटिस मिलने के चौदह दिन के अंदर ऐसा नहीं करता है, तो बैंक उसे पब्लिक ऑक्शन में बेच सकता है, और संविदाकर्ता को मिली कुल रकम का क्रेडिट दे सकता है। इसके बाद बैंक यह पता लगाएगा और लिखकर सर्टिफ़ाई करेगा कि बैंक को या बैंक द्वारा कब्ज़े में लिए गए प्लांट और सामान की कीमत के लिए क्या (अगर कुछ भी) देना होगा और काम पूरा करने में बैंक को जो खर्च या नुकसान हुआ है, और अगर संविदाकर्ता को कोई रकम देनी है और जो रकम सर्टिफ़ाई की जाएगी, वह बैंक द्वारा संविदाकर्ता को या संविदाकर्ता द्वारा बैंक को, जैसा भी मामला हो, दी जाएगी, और बैंक का फ़ैसला पार्टियों के बीच आख़िरी और पक्का होगा।
14	**संविदाकर्ता द्वारा संविदा की समाप्ति** अगर बैंक के इंजीनियर के प्रमाणपत्र के तहत बैंक को देने वाली रकम का भुगतान, संविदाकर्ता द्वारा बैंक को ऊपर बताई गई रकम के भुगतान के लिए लिखित नोटिस देने के तीस दिन बाद भी बकाया है और भुगतान नहीं किया गया है, या अगर बैंक संविदा को मना कर देता है, या अगर बैंक के आदेश पर या किसी कोर्ट के किसी आदेश या दूसरे आदेश से काम तीन महीने के लिए रोक दिया जाता है, तो और ऐसे किसी भी मामले में, संविदाकर्ता को बैंक को लिखित नोटिस देकर संविदा तय करने की आज़ादी होगी और वह बैंक से किए गए सभी कामों के लिए और संविदा के मकसद से सप्लाई किए गए, खरीदे गए या तैयार किए गए किसी भी प्लांट या सामान से हुए किसी भी नुकसान के लिए भुगतान वसूलने का हकदार होगा। ऐसे भुगतान की रकम तय करने में, संविदाकर्ता के मूल निविदा में दिए गए नेट रेट को फॉलो किया जाएगा, या जहां वे लागू न हों, वहां वैल्यूएशन सेक्शन IV के क्लॉज़ 19 के अनुसार किया जाएगा।
15	**जुर्माना** लिक्विडेटेड डैमेज की रिकवरी, काम पूरा होने में देरी होने पर हर हफ़्ते मंज़ूर निविदा राशि के 0.25% की दर से होगी और मंज़ूर निविदा राशि के ज़्यादा से ज़्यादा 10% तक होगी।

बैंक और बोलीदाता/बोलीदाता के गवाह के तौर पर, इस करार को उनके अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा ऊपर लिखे पहले दिन और साल में ठीक से पूरा करवाया गया है।

बैंक की ओर से और उसके लिए हस्ताक्षरित

[हस्ताक्षर]

[नाम और पदनाम]उपस्थिति में:

1. [गवाह 1 के हस्ताक्षर और विवरण]
2. [गवाह 2 के हस्ताक्षर और विवरण]

बोली लगाने वाले की ओर से हस्ताक्षरित

[हस्ताक्षर][नाम और पदनाम]की उपस्थिति में:

1. [गवाह 1 के हस्ताक्षर और विवरण]
2. [गवाह 2 के हस्ताक्षर और विवरण]

अनुलग्नक – VI

परफॉर्मेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट/रिटेंशन मनी के लिए बैंक गारंटी का प्रोफार्मा

(जारी करने वाले बैंक के नाम पर खरीदे गए सही कीमत के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

जगह : _____

तिथि : _____

सेवा में,

सुधांशु प्रसाद

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिज़र्व बैंक

15 एनएस रोड, कोलकाता

_____ _____

प्रिय महोदय,

कार्य का नाम **बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में ईस्ट और साउथ फेस पर पुराने माइल्ड स्टील (MS) फिक्स्ड ग्लेज़िंग को नई UPVC ग्लेज़िंग कम शटर सिस्टम विंडो से बदलना, साथ ही उससे जुड़े सिविल काम** - परफॉर्मेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट/ रिटेंशन मनी के लिए बैंक गारंटी

जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक, जिसका सेंट्रल ऑफिस शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई में है, (जिसे आगे "आरबीआई" कहा जाएगा) ने ऊपर बताए गए प्रोजेक्ट (जिसे आगे "संविदा" कहा जाएगा) का संविदा मेसर्स _____ (बोली लगाने वाले का नाम) (जिसे आगे "कहा गया बोली लगाने वाला" कहा जाएगा, जिसमें उसके उत्तराधिकारी और असाइनी शामिल होंगे) को दिया है। और जबकि बोली लगाने वाला, उस संविदा के तहत आरबीआई को कुल ₹._____ (सिर्फ़ _____ रुपये) (राशि अंकों और शब्दों में) की एक परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा करने के लिए बाध्य है, ताकि बोली लगाने वाला संविदा में दिए गए नियमों और शर्तों को ठीक से पूरा कर सके। हम, _____ (बैंक का नाम), (जिसे आगे "बैंक" कहा जाएगा), मेसर्स _____, जो बोली लगाने वाला है, के अनुरोध पर, संविदा के नियमों और शर्तों को ठीक से पूरा करने के लिए परफॉर्मेंस गारंटी के तौर पर आरबीआई को _____ रुपये से ज़्यादा की रकम का भुगतान करने का वादा करते हैं।

अब यह गारंटी गवाह है

1. हम (बैंक का नाम) इसके द्वारा आरबीआई, उनके उत्तराधिकारी, असाइनी के साथ सहमत हैं और यह वादा करते हैं कि अगर आरबीआई इस नतीजे पर पहुँचता है कि बोलीदाता ने संविदा की शर्तों के तहत अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा नहीं किया है या उसका उल्लंघन किया है, तो यह नतीजा हम पर और उस बोलीदाता पर भी लागू होगा; आरबीआई की माँग पर, हम आरबीआई को बिना किसी आपत्ति के, Rs. (सिर्फ़ Rs) की रकम या आरबीआई द्वारा माँगी गई कोई भी कम रकम देंगे। हमारी गारंटी को उस संविदा के तहत बोलीदाता की ज़िम्मेदारियों को ठीक से पूरा करने के लिए परफॉर्मेंस गारंटी रकम के बराबर माना जाएगा, लेकिन, ऐसी रकम के लिए हमारी ज़िम्मेदारी Rs. (सिर्फ़ Rs) से ज़्यादा नहीं होगी।

2. हम यह भी मानते हैं कि ऊपर बताई गई रकम (सिर्फ़ _____रुपये) से ज़्यादा नहीं होगी, और हम बिना किसी आपत्ति या विरोध के, सिर्फ़ आरबीआई से लिखित नोटिस मिलने पर, जिसमें यह बताया गया हो कि रकम उन्हें मिलनी है, भुगतान कर देंगे और हम कोई और सबूत नहीं मांगेंगे और आरबीआई का नोटिस हमारे लिए पक्का और बाइंडिंग होगा और हम उस पर किसी भी तरह से सवाल नहीं उठाएंगे। बैंक, किसी भी कोर्ट, ट्रिब्यूनल या आर्बिट्रेटर के सामने पेंडिंग किसी भी मुकदमे या कार्रवाई में बोलीदाता द्वारा उठाए गए किसी भी विवाद/विवादों के बावजूद, आरबीआई को इस तरह मांगी गई कोई भी रकम देगा और इस गारंटी के तहत ज़िम्मेदारी पूरी और साफ़ होगी। हम ऊपर बताए गए नोटिस मिलने की तिथि से एक हफ़्ते के अंदर आरबीआई द्वारा क्लेम की गई रकम का भुगतान करने का वादा करते हैं।

3. हम कन्फर्म करते हैं कि इस गारंटी के तहत आरबीआई के प्रति हमारी ज़िम्मेदारी आरबीआई और बोलीदाता के बीच हुए करार या एग्रीमेंट्स या दूसरी समझ से अलग होगी।

4. आरबीआई की लिखित सहमति के बिना हम यह गारंटी रद्द नहीं करेंगे। हम इसके अलावा इस बात से भी सहमत हैं कि –

a) आरबीआई की तरफ से इस करार की शर्तों को लागू करने में या इस संविदा और/या इसके तहत तय किसी भी नियम और शर्तों का पालन करने में कोई भी नरमी या कमीशन, या आरबीआई द्वारा बोलीदाता को कोई समय देना या कोई छूट दिखाना या इससे जुड़े किसी भी दूसरे मामले में, हमें और इस गारंटी के तहत हमारी ज़िम्मेदारी को किसी भी तरह से खत्म नहीं करेगा। यह गारंटी सिर्फ़ बोलीदाता द्वारा अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने पर ही खत्म होगी और अगर वे ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो हमारी तरफ से Rs. (सिर्फ़ Rs) से ज़्यादा की रकम का भुगतान करके।

b) इन शर्तों के तहत हमारी देयता Rs. (सिर्फ़ Rs) से ज़्यादा नहीं होगी।

c) इस करार के तहत हमारी देयता पर हमारे बताए गए लोगों/क्लाइंट्स की तरफ से किसी भी कमी या गड़बड़ी या उनके दायित्वों या हमारे बताए गए लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव या विघटन का कोई असर नहीं पड़ेगा।

d) यह गारंटी (दोष देयता अवधि के 60 दिन बाद तक) लागू रहेगी, बशर्ते कि अगर आरबीआई चाहे, तो इस गारंटी को उनके बताए गए समय के लिए, उन्हीं नियमों और शर्तों पर रिन्यू किया जा सकेगा जो इसमें दी गई हैं।

ई) इन प्रस्तुतियों के तहत हमारी देनदारी तब तक समाप्त हो जाएगी जब तक कि इन प्रस्तुतियों को ऊपर दिए गए अनुसार उस दिन या उस दिन नवीनीकृत नहीं किया जाता है जब हमारे उक्त घटक अपने दायित्वों का पालन करते हैं, जिसके लिए केवल आरबीआई द्वारा लिखित प्रमाणपत्र ही निर्णायक सबूत है, जो भी तिथि बाद में हो। जब तक हमारे खिलाफ किसी विस्तारित अवधि के भीतर कोई दावा या मुकदमा या कार्रवाई दायर नहीं की जाती है, इस गारंटी के तहत हमारे खिलाफ आरबीआई के सभी अधिकार जब्त हो जाएंगे और हमें इसके तहत हमारी सभी दायित्वों और देनदारियों से मुक्त कर दिया जाएगा। जिसके साक्ष्य के रूप में मैं/हम बैंक के इस गारंटी पर हस्ताक्षर और मुहर लगा चुके हैं, जिसे एतद्द्वारा विधिवत अधिकृत किया गया है। _____ की ओर से (बैंक का नाम) अधिकृत बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर नाम: पदनाम बैंक की

मुहर/सील उपरोक्त नामित द्वारा बैंक की ओर से और उसके लिए हस्ताक्षरित, मुहरबंद और वितरित, गवाह की उपस्थिति में:

1 हस्ताक्षर नाम पता (नोट: इस गारंटी के लिए उस राज्य में लागू स्टाम्प शुल्क की आवश्यकता होगी, जहां इसे निष्पादित किया गया है और उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा जिसके हस्ताक्षर और प्राधिकरण को सत्यापित किया जाएगा)

अनुलग्नक VII

वॉटर-प्रूफिंग के लिए परफॉर्मेंस गारंटी का प्रोफार्मा

(उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

जगह: _____

तिथि: _____

क्षेत्रीय निदेशक
संपदा विभाग
भारतीय रिज़र्व **बैंक**
कोलकाता

काम का नाम: ZTC में तीसरी मंज़िल पर पुराने माइल्ड स्टील (MS) फिक्स्ड ग्लेज़िंग को नए uPVC ग्लेज़िंग कम शटर सिस्टम विंडो से बदलना, साथ ही बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में संबंधित सिविल काम।

प्रिय महोदय/महोदया,

हम M/s. _____ (प्रोप्राइटरी वॉटरप्रूफिंग एजेंसी) ने काम के लिए वॉटर-प्रूफिंग एक्सपर्ट के तौर पर _____ एरिया का ट्रीटमेंट किया है। हमने निविदा दस्तावेज़ में दिए गए वॉटरप्रूफिंग और डैम्प प्रूफिंग काम के स्कोप और ज़िम्मेदारी को पढ़ा और समझा है। हम (M/s. _____) भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ संविदा के अनुसार और उसी हिसाब से मेसर्स _____ (संविदाकर्ता का नाम जिसके नाम पर RBI ने वर्क ऑर्डर जारी किया है) द्वारा बिल्डिंग में डैम्प प्रूफिंग और वॉटर प्रूफिंग के कामों के लिए हायर की गई एक प्रोप्राइटरी एजेंसी के तौर पर, हमने वॉटर-प्रूफिंग एक्सपर्ट के तौर पर हमें दिए गए कामों के स्पेसिफिकेशन्स के अनुसार ऊपर बताई गई सतहों / एरिया का ट्रीटमेंट किया है।

काम लगभग पूरा होने के बाद और ___दिन ____महीने_____से पहले किसी भी समय या समयों पर यदि हमारे द्वारा उपचारित क्षेत्र या कोई अन्य संबंधित भाग (बाहरी या आंतरिक) मेसर्स _____ लीक होने लगे या रिसने वाले पानी के प्रभाव से किसी भी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाए जिसमें गीले पैच, सीलन आदि बनना शामिल है, या तो किए गए काम की अपर्याप्तता के कारण या विनिर्देश, कारीगरी आदि से संबंधित किसी भी अन्य कारण से, जिसमें अन्य एजेंसियों द्वारा किए गए किसी भी सतह के उपचार और पाइपलाइन कार्य आदि की जिम्मेदारी शामिल है, हम मेसर्स _____ इसके द्वारा कार्य के लगभग पूरा होने की तिथि से 5 साल तक सभी आवश्यक उपचारात्मक उपायों को उस सीमा तक और जितनी बार आवश्यक हो, नियोक्ता (भारतीय रिज़र्व बैंक) को किसी अतिरिक्त लागत के बिना परिसर को ऐसे रिसाव, सीलन से मुक्त करने के लिए करने की गारंटी देते हैं। इस प्रश्न के संबंध में नियोक्ता का निर्णय कि क्या कोई रिसाव है या उपचार में पानी या नमी आ गई है हम यह भी

~~ज़िम्मेदारी लेते हैं कि अगर ज़रूरी हो, तो सुधार का काम करने के बाद, खराब हुई सतहों को उसकी असली हालत में वापस लाएंगे, इसके लिए नया सामान लाएंगे और एम्प्लॉयर को कोई अतिरिक्त खर्च नहीं देना होगा।~~

~~हस्ताक्षर~~
~~मेसर्स_____ (स्वामित्व वाली वॉटरप्रूफिंग एजेंसी)~~
~~तिथि:~~
~~जगह:~~
~~काउंटर साइन किया है मेसर्स _____ की ओर से (संविदाकर्ता जिनके नाम पर RB। ने वर्क ऑर्डर जारी किया है)~~

~~तिथि:~~

~~जगह:~~

अनुलग्नक VIII

भारत के साथ ज़मीनी सीमा शेयर करने वाले देश के बारे में बोली लगाने वाले की तरफ़ से अंडरटेकिंग / घोषणा / सर्टिफ़िकेट का प्रोफ़ॉर्मा

(बोली लगाने वालों को अपने लेटर हेड पर सील और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के साइन के साथ जमा करना होगा)

सेवा में, तिथि:

सुधांशु प्रसाद
क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
15 एनएस रोड, कोलकाता

संदर्भ: आवेदन के लिए _____

महोदया,

मैं/हम (नाम और पता, जिसमें निवास का देश भी शामिल है)

का बोलीदाता) पास होना पढ़ना और समझा अंतर्वस्तु का कार्यालय ज्ञापन (ओम) एफ। संख्या 6/18/2019-पीपीडी दिनांकित जुलाई 23, 2020 और इसका बाद का आदेश / दोहराव जारी किए गए द्वारा सरकारी खरीद विभाजन, विभाग का व्यय, वित्त मंत्रित्व, सरकार भारत के संबंध में प्रतिबंध पर खरीद से ए बोली लगाने वाले का ए देश कौन शेयरों ए भूमि भारत के साथ सीमा।

2 मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि (बोली लगाने वाले का नाम)

2.1 भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से नहीं है, या

2.2 है से ए देश बंटवारे भूमि सीमा साथ भारत और है गया दर्ज कराई साथ सक्षम प्राधिकारी, जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है, या

2.3 है से ए देश बंटवारे भूमि सीमा साथ भारत कहाँ सरकार का भारत है ऋण की विस्तारित लाइनें, या

2.4 यह भारत के साथ ज़मीनी सीमा शेयर करने वाले देश से है, जहाँ भारत सरकार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में लगी हुई है।

(ऊपर दिए गए में से जो भी लागू न हो उसे काट दें)।

3 मैं/हम यह भी प्रमाणित करता/करते हैं कि (बोली लगाने वाले का नाम) सभी ज़रूरतें पूरी करता है

में यह संबंध और है योग्य को होना माना अंतर्गत प्रावधान उपरोक्त में से निर्दिष्ट कार्यालय ज्ञापन और इसका बाद का आदेश / दोहराव। मुझे लगता है हम भी कार्यभार संभालना वह यहां तक की में मामला अनुबंधों का कहाँ हम हैं अनुमत द्वारा बैंक/आरबीआई को उप- संविदा मुझे लगता है हम(नाम
बोली लगाने वाले का) भूमि सीमा साझा करने वाले देश(देशों) के बोली लगाने वाले को कोई भी काम उप-अनुबंधित नहीं करेगा भारत, जब तक ऐसा बोली लगाने वाले पूरा सभी आवश्यकताएं निहित में ऊपर निर्दिष्ट
कार्यालय ज्ञापन / आदेश।

4. मैं/हम जानते और समझते हैं कि, यदि यह वचन/घोषणा/प्रमाणपत्र द्वारा प्रस्तुत किया गया है

अगर हमारी जानकारी गलत पाई जाती है, तो बैंक हमारे निविदा / वर्क ऑर्डर को रिजेक्ट / टर्मिनेट करने के लिए आज़ाद होगा और वह किनारा करेगा भी होना मुक्त को आरंभ करना कोई कानूनी कार्रवाई में अनुसार साथ कानून ज़ब्त करना सहित का बयाना धन जमा / प्रदर्शन किनारा गारंटी / सुरक्षा जमा और / या हमें प्रतिबंधित करना से बैंक द्वारा आमंत्रित निविदाओं में भाग लेना भविष्य में.

बोली लगाने वाले के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के सिग्नेचर और नाम, रबर स्टैम्प के साथ

तिथि:

जगह:

अनुलग्नक IX

बोली लगाने वाले द्वारा कानूनी कार्रवाई / सिविल मुकदमे / मुकदमेबाजी / मध्यस्थता पर वचन

[आवेदक के लेटर हेड पर]

तिथि:

सेवा में,

सुधांशु प्रसाद

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिज़र्व बैंक

15 एनएस रोड, कोलकाता

संदर्भ: _____ के लिए आवेदन

महोदया,

1 मैं/हम (बोलीदाता का नाम) घोषणा करता/करती हूँ कि कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी रहा

/ किसी भी कानूनी अधिकार क्षेत्र में किसी भी कारण से हमारे खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

1. मुझे लगता है हम (नाम का बोलीदाता) घोषित वह निम्नलिखित हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है/की जा रही है:

..... (कानूनी कार्रवाई का विवरण, विचाराधीन प्रोजेक्ट, शामिल कानूनी प्राधिकरण आदि)

.....

तथापि, हम वाणी वह ऊपर कानूनी कार्रवाई करता है नहीं चाहना हमारा क्षमता को बाँटना एम्पैनलमेंट के लिए एप्लीकेशन के अनुसार बैंक की ज़रूरतें।

(नोट: ऊपर दिए गए दो डिक्लेरेशन में से जो लागू न हो उसे काट दें)

2. इसके अलावा, हम यह भी घोषणा करते हैं कि सिविल मुकदमे/मुकदमेबाजी/मध्यस्थता आदि के कोई भी मामले हमारे समक्ष नहीं आएंगे।

हमारे किसी भी पूरे किए गए प्रोजेक्ट में शुरू किया गया हो

2. आगे, हम भी घोषित वह अगले नागरिक मुकदमों / मुकदमेबाजी / हमारे पूरे किए गए प्रोजेक्ट्स में आर्बिट्रेशन केस शुरू किए गए/जा रहे हैं:

..... (प्रोजेक्ट का विवरण और कार्रवाई का प्रकार आदि)

.....

(नोट: ऊपर दिए गए दो डिक्लेरेशन में से जो लागू न हो उसे काट दें)

बोली लगाने वाले के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के सिग्नेचर और नाम

रबर स्टैम्प के साथ

तिथि:

जगह:

अनुलग्नक X

पब्लिक संस्था(यों) द्वारा डिबारमेंट की घोषणा के बारे में निविदा में शामिल किया जाने वाला अंडरटेकिंग:

(निविदा को अपने लेटरहेड पर जमा करना होगा)

काम का नाम: **बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में ईस्ट और साउथ फेस पर पुराने माइल्ड स्टील (MS) फिक्स्ड ग्लेज़िंग को बदलकर तीसरी मंज़िल पर नई UPVC ग्लेज़िंग कम शटर सिस्टम विंडो लगाई गई, साथ ही उससे जुड़े सिविल काम भी किए गए।**

1. मैं/हम (बोली लगाने वाले का नाम) घोषणा करता/करती हूँ कि
 a) मैं/हम या हमारी किसी संबद्ध फर्म* को भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्था/इकाई द्वारा(बोली जमा करने की आखिरी तिथि) तक प्रतिबंधित/निलंबित/काली सूची में नहीं डाला गया है।
 b) मैंने/हमने या हमारी किसी संबद्ध फर्म* ने पिछले तीन वर्षों में (बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि) तक भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्थान/इकाई के साथ सत्यनिष्ठा संहिता (जैसा कि निविदा में उल्लिखित है) के संबंध में कोई उल्लंघन नहीं किया है।
 c) मुझे/हमें या हमारी किसी भी सहयोगी फर्म* को बोली जमा करने की आखिरी तिथि तक पब्लिक प्रोक्योरमेंट (मेक इन इंडिया) ऑर्डर, 2017 के उल्लंघन के लिए किसी भी प्रोक्योरिंग एंटिटी द्वारा डिबार नहीं किया गया है।
 d) अगर मुझे/हमें या हमारी किसी जुड़ी हुई फर्म* को भारत या किसी दूसरे देश में किसी पब्लिक संस्था/एंटिटी द्वारा बताए गए काम के लिए काम मिलने पर या उससे पहले डिबार/सस्पेंड/ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है, तो हम बैंक को लिखकर बता देंगे।
2. मैं/हम(बोली लगाने वाले का नाम) यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं/हम या हमारी सहयोगी फर्म*(सहयोगी फर्म(फर्मों) का नाम) को(भारत या किसी अन्य देश में सार्वजनिक संस्था का नाम और पता) द्वारा प्रतिबंधित/निलंबित/काली सूची में डाला गया है और यह(तिथि) तक प्रभावी रहेगा। ऐसे पत्र की एक प्रति आपकी जानकारी और रिकॉर्ड के लिए संलग्न है।

(बोली लगाने वाले की मुहर और हस्ताक्षर)

तिथि

जगह

(नोट: ऊपर दिए गए दो डिक्लेरेशन में से जो लागू न हो उसे काट दें)

*एलाइड फर्म: एक फर्म को "एलाइड फर्म" कहा जाएगा अगर मैनेजमेंट कॉमन हो, या बैन/सस्पेंडेड फर्म के पास काफी या मेजोरिटी शेयर हों और इस वजह से उसका कंट्रोलिंग वॉइस हो। इसके अलावा, सभी सक्सेसर फर्मों को भी एलाइड फर्म माना जाएगा।